C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol.III, Second Session, 2014/1936 (Saka)
No.20, Tuesday, August 5, 2014/Shravana 14, 1936 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos.381 to 388	3-72
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.389 to 400	73-118
Unstarred Question Nos.3589 to 3818	119-603

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 604-614

STATEMENT BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 36th Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on 'Production and Availability of Pesticides', pertaining to the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers.

Shri Ananthkumar 615

(ii)Status of implementation of the recommendations contained in the 46th Report of Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2013-14), pertaining to the Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture

Shri Radha Mohan Singh 615

(iii) India's stand in WTO

Shrimati Nirmala Sitharaman 623-629

STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 125 DATED 08.07.2014 REGARDING "LOSS TO TOURISM SECTOR" ALONGWITH REASONS FOR DELAY

Shri Shripad Yesso Naik 616

MATTERS UNDER RULE 377 **638-655**

(i) Need to ban vulgar commercial advertisements in print and electronic media in the country

Shri Ashwini Kumar Choubey 638

(ii) Alleged financial irregularities committed by Delhi and District Cricket Association

Shri Kirti Azad 639

(iii) Need to take urgent steps to curb criminal activities by gangs of dacoits active in Banda Parliamentary Constituency

Shri Bhairon Prasad Mishra 640

(iv) Need to start operation of Trauma Centre at Bikram in Patna District, Bihar

Shri Ram Kripal Yadav 641

(v) Need to provide funds for promotion of Kannada language.

Shri Karadi Sanganna Amarappa 642

(vi) Need to establish a Navodaya Vidyalaya in Hapur, Uttar Pradesh.

Shri Rajendra Agrawal 643

(vii) Need to improve passenger facilities at Ghatshila Railway Station in Jamshedpur Parliamentary Constituency

Shri Bidyut Baran Mahato 644

(viii) Need to improve compensation and jobs to farmers whose lands were acquired for setting up power plant in Devli in Wardha Parliamentary Constituency

Shri Ramdas C. Tadas 645

(ix) Need to ensure welfare of poor athletes who won laurels for country at international events

Shri Harish Meena 646

(x) Need to sanction setting up of sewage treatment plant in Ludhiana City to ensure cleanliness of Buddha Nullah, a seasonal water stream in Malwa region of Punjab

Shri Ravneet Singh 647-648

(xi) Need to establish two Kendriya Vidyalayas in North Chennai Parliamentary Constituency

Shri T.G. Venkatesh Babu 649

(xii) Need to announce revival package for Jute Sector and also infuse modernisation in the sector

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar 650

(xiii) Need to give adequate compensation to Odisha in lieu of loss incurred by the State due to reduction in the rate of Central Sales Tax

Shri Bhartruhari Mahtab 651

(xiv) Need to develop Kalyan-Thane-Mumbai Waterway

Dr. Shrikant Eknath Shinde 652

(xv) Need for expeditious completion of gauge conversion of railway lines between Palakkad (Kerala) and Pollachi, (Tamil Nadu)

Shri M.B. Rajesh 653

(xvi) Need to equip theAIIMS, Patna with all facilities including medical tests and provision for direct connection with AIIMS, Delhi in order to fix dates for doctors' appointment and operation of patients

Shri Kaushalendra Kumar 654

(xvii) Need to evolve a mechanism to ensure guaranteed income to the farmers to prevent their suicide.

Shri Jose K. Mani 655

DISCUSSION UNDER RULE 193 **657-745**

Flood and drought situation in the country

Shri Jai Prakash Narayan Yadav	657-660
Shri Jose K. Mani	661-663
Shri R.K. Singh	664-666
Shri Anto Antony	667-670
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	671-673
Shri Keshav Prasad Maurya	674-675
Shri Balabhadra Majhi	676-677
Shri Kiren Rijiju	678-683
Shri Kodikunnil Suresh	684-685
Shri Rajkumar Saini	686
Shri Pankaj Chaudhary	687-688
Shri Bhanu Pratap Singh Verma	689-690
Shri N. Kristappa	691-692
Shri A.T. Nana Patil	693-694
Shri Ram Prasad Sarmah	695-696
Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank	697-698
Shri K. Ashok Kumar	699-700
Shri C.R. Chaudhary	701-702

Shri Gaurav Gogoi	703-705
Shri Kamakhya Prasad Tasa	706-707
Shri Ravindra Kumar Pandey	708
Shri Dharmendra Kumar	709
Shri C. Mahendran	710-713
Shri S. Selvakumara Chinnaiyan	714-717
Shri Anurag Singh Thakur	718-719
Shri Arjun Ram Meghwal	720
Shri Jugal Kishore	721
Shrimati Santosh Ahlawat	722-723
Shri Ashwani Kumar Chaubey	724-726
Shri Radha Mohan Singh	727-745
SECURITIES LAWS (AMENDMENT) BILL, 2014	**746-759**
Motion to Consider	746
Shri Arun Jaitley	746-748
Shri M. Veerappa Moily	749-755
Dr. Kirit Somaiya	756-759
ANNEXURE – I	
Member-wise Index to Starred Questions	777
Member-wise Index to Unstarred Questions	778-782
ANNEXURE – II	
Ministry-wise Index to Starred Questions	783
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	784

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. M. Thambidurai

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Prof. K.V. Thomas

Shri Anandrao Adsul

Shri Prahlad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

SECRETARY GENERAL

Shri P.K. Grover

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, August 5, 2014/Shravana 14, 1936 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

… (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, we have given notice to raise one important issue. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will allow you after the Question Hour.

Q. 381 -- Shri D.K. Suresh.

11.0 ¼ hrs.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER : Q. 381-Shri D.K.Suresh.

(Q. 381)

SHRI D.K. SURESH : Madam Speaker, community development programmes, integrated rural development programme, the introduction of Panchayati Raj system, and more recently the introduction of MGNREGA along with globalization have changed the village scenario. The purchasing power of a rural consumer has gone up and their lifestyle has changed. Products and services like fertilizers, seeds, PDS, mobile phones, TV, fan, motor cycle, watches, soaps, cosmetics and several other goods have now become a necessity in rural areas.

Today, in our country, 56 per cent of income, 64 per cent of expenditure and 33 per cent of savings come from rural India. BPL consumers in India are ignorant of their consumer rights. Inadequate information reinforced by lack of awareness makes the BPL consumer vulnerable. Exploitation of rural consumer is happening due to ignorance, both in goods and services category. Goods and services are reaching the rural villages, but justice is not reaching their door-steps.

Therefore, I would like to know from the hon. Minister whether the Government is taking any steps to involve Panchayati Raj Institutions to reach the rural consumers.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) : अध्यक्ष महोदया, उपभोक्ता मामले के अधिकारों को प्रभावी ढंग से संरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार ने सन् 1986 में एक कानून बनाया है। इस कानून के तहत राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर एक कंज्यूमर कोर्ट बनाए गए हैं। अगर कोई पीड़ित उपभोक्ता, खरीदी गई कोई वस्तु, जिसमें दोष है या सेवा में त्रुटि है, तो वह कंज्यूमर कोर्ट में जा कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। … (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY : The Minister has not replied to his question about involvement of Panchayati Raj Institutions.

SHRI D.K. SURESH : Whether the Panchayati Raj Institutions will be included in the system or not was the specific question that I have put to the hon. Minister, Madam.

At present, a consumer can file a case in the District Consumer Disputes Redressal Forum where the defaulting entity has its main office or branch office. It is creating inconvenience and harassment to the consumer to a large extent. Will the Minister state whether the Government has any proposal to allow the filing of a case against companies and service providers in a consumer forum in the district where the complainant lives?

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदया, जहां तक माननीय सदस्य का पहला प्रश्न पंचायत राज को इसमें इंवाल्व करने का था, निश्चित रूप से पंचायत को हम लोग इसमें इंवाल्व करेंगे। अभी तक हमारे जो कंज्यूमर कोटर्स हैं, वे तीन स्तर पर हैं, एक नेशनल लेवल पर है, एक राज्य स्तर पर है और एक जिला स्तर पर है। जो नेशनल लेवल पर है, केंद्र स्तर पर है, उसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज होते हैं, और इसमे 11 मेंबर होते हैं। जो स्टेट का होता है, उसमें दो मेंबर होते हैं और एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, कहीं-कहीं जज भी होते हैं। डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट रिटायर्ड जज होते हैं और मेंबर होते हैं। हमको यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि जो सरकार की मंशा थी कि कंज्यूमर्स को सुविधा मिले और जल्दी से जल्दी उनके केस का निपटारा हो, वह हो नहीं पा रहा है। वह सारा का सारा सिस्टम कोर्ट के माफिक हो गया है। नाम है डिस्ट्रिक्ट फोरम, नाम है स्टेट कमीशन, नाम है नेशनल कमीशन, लेकिन वह पूरा का पूरा कोर्ट का मामला हो गया है। नतीजा यह है कि नियम बना हुआ है कि तीन महीने में उपभोक्ता को न्याय मिल जाना चाहिए, लेकिन कभी-कभी तीन-तीन साल लग जाते हैं। सरकार ने, हमने इस दिशा में सोचा है कि इसमें कैसे सुधार कर सकते हैं, क्या हम इसको अथॉरिटी के रूप में ला सकते हैं, क्या इसका कोई दूसरा विकल्प निकाल सकते हैं? सरकार के विचाराधीन यह भी है कि क्या वर्तमान सिस्टम को सरल करके प्रभावी बना सकते हैं? हम जरूर चाहते हैं कि कंज्यूमर का जो इंट्रेस्ट है, जो उपभोक्ता का हित है, जो उपभोक्ता का संरक्षण है, वह हर हालत में कायम रहे।

माननीय अध्यक्ष : श्री बी.वी.नाईक - उपस्थित नहीं।

श्री राम प्रसाद शर्मा : महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि असम में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वह डोल ड्रम्स में है। वह टोटली फेल्ड है। Corruption has taken place in everything. एक फेमिली आइडेंटिटी कार्ड बनाने के लिए, राशन कार्ड बनाने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। क्या इसका कोई मैकेनिज्म है, जिसके माध्यम से माननीय मंत्री जी सुधार लाने की चेष्टा करेंगे?

श्री राम विलास पासवान : पीडीएस सिस्टम खाद्य मंत्रालय से संबंधित है। यह इसमें नहीं आता है, लेकिन चूंकि उपभोक्ता का मामला है तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो पीडीएस का मामला है, हम भारत सरकार की तरफ से सब्सिडी देते हैं, एक लाख इकत्तीस हजार करोड़ रूपया हम पीडीएस के रूप में सब्सिडी देते हैं, लेकिन पीडीएस का कैसे इस्तेमाल हो, कौन उसका लाभार्थी हो, कैसे राशन कार्ड बनाया जाए, यह सारा का सारा मामला राज्य सरकार के अंतर्गत है और राज्य सरकार इसका निर्णय लेती है।

DR. RATNA DE (NAG): I would like to ask the hon. Minister whether there is any thinking in the Government for setting up of an authority for safeguarding the consumers' safety. If yes, would the hon. Minister provide further details?

श्री राम विलास पासवान : महोदया, यह मामला निश्चित रूप से हमारे दिमाग में है। हम सोच रहे हैं कि नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अभी कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, उसके बदले में अथॉरिटी बना दी जाए। यदि हो सके तो अथॉरिटी के चेयरमैन का चयन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हो, स्टेट का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हो। इसके अलावा हम चाहते हैं कि एक मीडिएशन सेंटर रहे, समझौता केन्द्र रहे और यदि आपस में समझौता हो जाएगा तो तुरंत इसका हल निकल जाएगा। यदि समझौता फेल हो जाता है तो फिर वह अथॉरिटी के पास जाएगा। यदि अथॉरिटी के साथ भी निपटारा नहीं होता है तो जनरल कोर्ट का दरवाजा तो खुला हुआ है ही।

(Q.382)

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY : Madam Speaker, insurance is a knowledge based business. If insurance companies have knowledge regarding the risk assessment of crops, they can design a better insurance product for the farmers. Today, the insurance for crops is the least popular. It is forced upon them to buy from banks. Nobody voluntarily buys crop insurance. Similarly, the insurance companies do want to sell crop insurance. They are forced by the Government and IRDA to sell crop insurance.

Madam, I will not ask supplementary questions. These were my questions. They were re-worded. In the process of re-wording the questions, the underlying meaning and intent of my questions were lost. So, I will simply re-ask those questions which I had submitted.

I want to know whether the Government has made any risk assessment of crops – region wise and season wise. The question was read as, climatic changes. The same crop in the same region sometimes is more risky in a particular season and less risky in a particular region. Does the Government have this information? I would like this information. In the answer, it says that all information is available with ICAR. The very reason we formulated this question was, none of this information is available with the ICAR.

The second question is this.

माननीय अध्यक्ष : पहले एक प्रश्न पूछिये, उसका उत्तर आने दें। फिर दूसरा पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, कृषि बीमा योजना सन् 2000 में प्रारंभ हुई थी। ध्यान में होगा कि उस समय एन.डी.ए. की सरकार थी। उसके बाद बीच में कई बार पाइलट परियोजनाएँ भी शुरू की गईं और फिर 2013-14 में 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद कुछ गाइडलाइंस उसमें जारी की गईं। पाँच ऐसे राज्यों की ओर से आपत्ति आई कि नई गाइडलाइंस के मुताबिक जो प्रारंभ किया जा रहा है, वह उनके राज्यों के अनुकूल नहीं है। उनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा से भी एक पत्र आया था। इसमें कुछ विसंगतियाँ हैं, ऐसा मैं मानता हूँ और इसीलिए मैंने सभी सम्माननीय मुख्य मंत्रियों को 7 जुलाई को पत्र भी लिखा है और अगले सप्ताह सभी राज्यों के कृषि सचिवों की बैठक बुलाई है कि इन विसंगतियों को कैसे दूर किया जा सकता है। मैं सभी माननीय सांसदों से भी अपील करना चाहूँगा कि आप अपने सुझाव दें।

चूँकि विसंगतियाँ चाहे सन् 2000 से चल रही हों या 2013-14 में नई गाइडलाइन आई हों, हम गाँवों में रहते हैं और देख रहे हैं कि हमारी फसल बरबाद होती है, उसकी रिपोर्टिंग इस प्रकार से होती है कि बीमा लाभ भी नहीं मिल पाता है। इसमें विसंगतियाँ हैं और उनको सुधारने के लिए हम सबके सुझाव भी आमंत्रित करते हैं और इस दिशा में हमने काम भी प्रारंभ किया है।

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY : Madam, I would like to know whether the Government has identified risk-prone crops and compared this risk data with neighbouring countries like Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka and also internationally. Secondly, I would like to know whether the actuarial data, which is the risk data of the crops, is shared or available to public sector or private sector insurance companies. This is extremely important because the Insurance Bill is going to come up.

श्री राधा मोहन सिंह : हमने अपना जो भी आकलन है, वैबसाइट पर डाला है और उसमें पूरी जानकारी आपको उपलब्ध है जो हमारी ओर से की जाती है।

SHRI P. SRINIVASA REDDY : Madam Speaker, over 60 per cent of rice area in India is rain-fed and farmers face loss due to scanty rainfall. Changes in crop insurance and allowing private companies may end the monopoly of agricultural insurance companies. This would protect the farmers from heavy losses. But farmers hardly know about the crop insurance. While I am associating myself with my colleague, I would like to know from the hon. Minister whether the Government has allowed private insurance companies for doing crop insurance business in India. I would also like to know whether any trustworthy and efficient Ombudsman is appointed. If so, I would like to know the details of private insurance companies which are currently operating across the country particularly in Telangana State.

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, 2013-14 में जो नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, सबने ही कहा है और मुख्य मंत्रियों से भी मैंने सुझाव मांगा है। हम आप सबको भी आमंत्रित करते हैं कि आप अपना सुझाव दें कि किस प्रकार से एक ऐसी लाभदायी योजना बनाई जा सके जो किसानों को लाभ पहुँचा सके।

श्री लक्ष्मी नारायण यादव : महोदया, मैं आपसे सिर्फ यह विनती करना चाहता हूँ कि इस मुद्दे पर आप आधे घंटे की चर्चा दे दें।

माननीय अध्यक्ष : आप नोटिस दे दीजिए, चर्चा करा सकते हैं। आपका कोई प्रश्न तो नहीं है?

श्री लक्ष्मी नारायण यादव: प्रश्न तो मेरा था लेकिन मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि हम लोग उनको सजैशन भी दे सकते हैं। असल में नुकसान का जो आकलन है, उसकी यूनिट क्या है वह मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ।

श्री राधा मोहन सिंह : उसकी यूनिट में ताल्लुका, तहसील, ब्लॉक, दूसरा- मण्डल, फिरका या आठ-दस गांव की कोई अन्य छोटी इकाई और तीसरा- ग्राम पंचायत जिसमें चार-पांच गांव शामिल हों। इसमें एक मध्य प्रदेश राज्य है, जो सिर्फ पंचायत स्तर तक की रिपोर्टिंग करता है, लेकिन इसमें खर्च इतना आता है कि बाकी राज्य वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। यह तीन इकाइयां हैं।

श्री गणेश सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया।

महोदया, दरअसल देश का किसान जब से नयी सरकार बनी है, तभी से बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है। हर वर्ष फ़सलें ख़राब हो रही है और जो फसल बीमा कम्पनियां हैं, वे न तो उनका सही सर्वे करती है और जो सर्वे की इकाई बनी हुई है, वह पटवारी-हलका बना हुआ है। इसका लाभ किसानों को नहीं मिलता जबकि किसान के खेत को ही इकाई माना जाना चाहिए। हर वर्ष किसान घाटा उठा रहा है, पहले तो दो-चार साल में प्राकृतिक आपदा आती थी, अब तो हर साल आ रही है और हर साल में दोनों रबी एवं खरीफ फसल में आ रही है। किसान इतना घाटे में जा चुका है कि वह इसीलिए आत्महत्या करने के लिए मजबूर है।

मेरा निवेदन है कि कोई नयी फसल बीमा योजना जिसमें किसान का खेत इकाई हो और बहुत थोड़ा सा प्रीमियम किसान को देना पड़े, कोई ऐसी फसल बीमा योजना लायी जानी चाहिए। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वह कोई नयी फसल बीमा योजना बना रहे हैं?

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, नयी बीमा योजना किसान के लिए हितकारी हो, इसके लिए मैंने सुझाव मांगे हैं। मैंने बताया कि 7 जुलाई, 2014 को सभी माननीय मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। अगले सप्ताह सभी राज्यों के कृषि सचिवों की बैठक बुलायी गयी है और हम माननीय सदस्य सहित सभी सदस्यों से अनुरोध करना चाहेंगे कि वह अपने-अपने सुझाव इस बारे में दें।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी ने सुझाव मांगे हैं तो आप लोग अपने-अपने सुझाव दे दीजिए।

(Q. 383)

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR : Hon. Speaker, Madam, the hon. Minister in his reply states right at the outset that the price of milk is not regulated by the Government of India. It is so sad that over the past ten months the price of milk per litre has increased by 19 per cent in Delhi, Kolkata and other parts of the country. Milk is an essential commodity. It is an essential nutrient for infants, essential food item for children, aged people and those recuperating from debilitating diseases. Particularly with our religious sentiments and most of us being vegetarian, sometimes we require a lot of milk. The answer does not give us the total requirement of milk in the country. I would like to know from the hon. Minister whether the government is thinking of intervening and controlling the price so that people who are using milk everyday as their dietary component are not placed in such difficulty as of now.

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, दूध की कीमत भारत सरकार द्वारा रैगूलेट नहीं की जाती है। सहकारी और निजी डेयरियों द्वारा दूध की कीमतें वर्ष में औसतन दो से तीन बार निर्धारित की जाती हैं। हमारा मंत्रालय दो माह में एक बार कोऑर्डिनेशन के लिए बैठक करता है। उसमें जानकारी आयी है कि दो से तीन बार, पिछली बार दूध और दूध उत्पादकों की कीमतों में वर्ष 2014 में वृद्धि की गयी थी और दूध की कीमतों में इस वृद्धि के बारे में यह बतलाया गया कि खरीद की कीमतों में भी वृद्धि की गयी है। हमारी जो बैठक हुई थी, उसमें यह जानकारी आयी है कि वर्ष 2013-14 के बीच औसत खरीद मूल्य में 17.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और सहकारी क्षेत्र में दूध का उपभोक्ता मूल्य 14.50 प्रतिशत पर है। यानी उपभोक्ताओं को 14.50 प्रतिशत देना पड़ा, लेकिन जिस किसान से खरीदा गया, उसको 17.68 प्रतिशत मिला। यानी किसान को इसमें लाभ हुआ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको दूसरा सप्लीमेंटरी पूछने का मौका मिलेगा।

मंत्री जी, आप अपना उत्तर कम्पलीट कीजिए ।

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, मूल्य निर्धारण वे करते हैं लेकिन हमने जो मॉनिटरिंग की, को-ऑर्डिनेशन की बैठक ली, उसमें यह जानकारी आयी कि किसानों को अधिक मूल्य मिला है। उपभोक्ताओं पर भी दबाव बढ़ा है लेकिन जो किसान हैं, जो दूध बेचते हैं, उन्हें इसका मुनाफा हुआ है।

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR: Thank you, hon. Madam.

Whatever the hon. Minister has said is already given in the reply. So, it is not a reply to the question whether the hon. Minister is thinking in terms of controlling the price.

The second supplementary that I would like to ask the hon. Minister through you is what is the total quantity of milk produced by milk co-operatives, particularly those run by women.

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, मैं उसका विवरण बाद में अलग-से भिजवा सकता हूं। वह अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव : महोदया, मेरा प्रश्न है कि आपने पहले जो 5% प्रोत्साहन अनुदान दिया था, उसे अब वापस ले लिया है। क्या आप इसे फिर से शुरू करेंगे?

क्या आप महिलाओं और किसानों के लिए कोई नयी स्कीम लाएंगे?

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, वर्ष 2012 में स्कीम्ड मिल्क पावडर का स्टॉक देश में ज्यादा हो गया था और उसके मूल्य भी कम हो गए थे। इसलिए उसके एक्सपोर्ट पर 5% का प्रोत्साहन पैकेज दिया गया था। लेकिन वर्ष 2013 में उसके आधार पर काफी निर्यात हुआ और वर्ष 2014 में मार्च के पहले जब देखा गया तो जो सामान्य स्टॉक चाहिए, वह उससे काफी कम था। इसीलिए, इस प्रोत्साहन राशि को बंद कर दिया गया जिससे देश में इसकी कमी न हो।

श्री रत्न लाल कटारिया : मैडम स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से दूध की बढ़ती क़ीमतों का ज़िक्र आया है तो हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने जहां पर हरित क्रांति की घोषणा की है, वहीं पर नीली क्रांति की भी घोषणा की है। क्या दुग्ध क्रांति बनाने के लिए कोई योजना बनायी गयी है? अगर कोई योजना श्वेत क्रांति लाने के लिए बनायी गयी है तो उसका ब्यौरा क्या है?

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, पिछले दो वर्षों में हम ने इस पर जो खर्च किया है, इस वित्तीय वर्ष में हम उस से दुगुनी राशि खर्च करने जा रहे हैं। इस बार के बजट में 50 करोड़ रुपये अलग-से भी एलोकेट हुए हैं। यह एडिशनल है और इसके आधार पर हम दुग्ध उत्पादन के लिए कोई और नयी योजना शुरू करेंगे।

PROF. K.V. THOMAS : Madam, due to the drought like situation in the country, there is a scarcity of milk as well as the price is going up. Even though this is a State subject, when the situation comes, what has been done earlier is that meetings of State Ministers are called and Government of India controls the export of SMP. As for the import of milk powder, if you see that it is being distributed to the States. I would like to know whether the Government proposes in the current situation to control the export of SMP, import milk powder and distribute it to the States. What is the step the Government of India has taken on this drought like situation?

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, हम इस में संतुलन स्थापित करने के लिए निश्चित रूप से अपने अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग अगर संतुष्ट नहीं हैं तो आप चर्चा मांगिए, मैं दे दूंगी।

…(व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL : At least, the Minister should reply. … (*Interruptions*)

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, मेरा बात सुन लीजिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप इस पर चर्चा मांगिए। ऐसा नहीं होता है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुझे भी मालूम है कि बहुत विषय हैं। आप चर्चा मांगिए। मैंने सबको कहा है कि चर्चा मांगिए। उसके लिए दिया जाएगा।

…(व्यवधान)

(Q.384)

डॉ. अरुण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कृषि विज्ञान केन्द्र, जो भारत सरकार के माध्यम से मॉनिटर्ड हैं, लेकिन राज्यों में इनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। खासकर जो एनजीओ से संचालित है, उनकी स्थिति ओर भी दयनीय है। क्या उनके सुधार के लिए कोई योजना बनाई गई है?

श्री राधा मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह भारत सरकार के द्वारा नहीं, विश्वविद्यालयों के द्वारा संचालित होता है और विश्वविद्यालय पर राज्य सरकारों का नियंत्रण होता है। इसमें नियुक्ति और उसका ट्रांसफर सारे काम विश्वविद्यालयों के माध्यम से होते हैं, जो राज्य सरकार के नियंत्रण में है। हमारे आठ या 11 जोन्स हैं, जिस जोन में हमारे डायरेक्टर होते हैं, वे उनकी सिर्फ टैक्नीकल सहायता करते हैं, बाकी राज्य सरकार के नियंत्रण में चलता है।

डॉ. अरुण कुमार : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं, राज्य सरकार देखती जरूर है, लेकिन भारत सरकार की उसमें धनराशि लगती है तो क्या इनके टैक्नीकल डायरेक्टर, टैक्नीकल एडवाइज़ से जो आउटकम निकलता है, उसको नहीं देख सकते, क्योंकि यह धन बेकार में दुरुपयोग हो रहा है और उस धन की लूट हो रही है। क्या इसकी छूट है?

श्री राधा मोहन सिंह: मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जब शिकायतें आती हैं तो हम उसकी जांच भी कराते हैं। चार स्थानों से शिकायतें आई थीं, एक तो कृषि विज्ञान केन्द्र गुंटूर से आई था। उसकी हम जांच करा रहे थे, इसी बीच मामला न्यायालय में चल गया। फिर इसके बाद नांदेड़ से एक शिकायत आई थी। कमेटी बनी और कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट को उस विज्ञान केन्द्र ने लागू कर दिया है। फिर उन्नाव और दूसरा जमुई जिले के बिहार का मामला है, जिसकी छानबीन हो रही है।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आजादी के 66 वर्षों के बाद भी, इसमें जो परसंटेज दिया गया है कि इतने किसान ट्रेनिंग में मलेशिया गए, वह बहुत कम हैं। देश की आबादी एक अरब से भी ऊपर है। जो ट्रेनिंग में गए हैं, उनका इसमें डाटा दिया हुआ है, मात्र 14.88 लाख किसानों को प्रशिक्षित करना। 2013 का आंकड़ा अगर देखा जाए तो इतने बड़े देश में 18 किसान गए हैं।

अध्यक्ष महोदया, हमारे झारखंड प्रदेश में और खासकर हमारी कांस्टीट्यूएंसी गिरिडीह में बागमारा ब्लॉक है, वहां पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं। उन्हें जो बीज मिला, वह ऐसा मिला कि उसमें से कुछ भी नहीं निकला। आज वहां अकाल भी पड़ा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि झारखंड प्रदेश में जो कृषि विज्ञान केन्द्र है, क्या वह वहां पर कुछ काम कर रहा है या वहां सिर्फ घोटाला हो रहा है?

श्री राधा मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इनके क्षेत्र में जो बीज का वितरण हो रहा है, हम राज्य सरकार को कृषि विकास योजना के तहत राशि देते हैं, बीज वितरण का काम, बाकी कृषि का पूरा काम राज्य सरकार के जिम्मे है। जहां तक किसी खास कृषि विज्ञान केन्द्र का सवाल है, यदि कोई शिकायत आती है तो हम निश्चित रूप से उसकी जांच कराएंगे।

SHRI P.R. SUNDARAM : What are the steps taken by the agricultural scientists in propagating the benefits of KVKs, by giving knowledge of fertility of soil to farmers in person?

श्री राधा मोहन सिंह : कृषि विज्ञान केन्द्र के स्ट्रेंग्थनिंग की दृष्टि से बारहवीं पंचवर्षीय योजना में जो हमें राशि मिली, उसके मुताबिक जहां-जहां स्टाफ की कमी है, इस सबके लिए पैसा राज्य सरकार को देने वाले हैं। जो मेरी जानकारी है कि कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से हमारे वैज्ञानिक वहां से कुछ गांव को चिन्हित करते हैं और जो कुछ नए-नए बीजों का उत्पादन होता है, उसका प्रदर्शन उन गांवों में करते हैं। यह बड़े पैमाने पर राज्य सरकार के द्वारा ब्लॉक के माध्यम से होता है, लेकिन कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से भी हर ब्लॉक में कुछ गांवों का चयन करके उसका प्रदर्शन करते हैं और बीच-बीच में कृषि विज्ञान केन्द्र पर जो प्रगतिशील कृषक हैं, उनको बुलाकर प्रशिक्षण और ट्रेनिंग भी देते हैं।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ये जितने भी कृषि विज्ञान केन्द्र हैं, इनकी न्यूनतम भूमि कितनी होनी चाहिए और अधिकतम भूमि कितनी होनी चाहिए? क्या इन सारे कृषि विज्ञान केन्द्रों के पास भूमि उपयुक्त हैं? क्या उन सबने मॉर्गेज कर दिये हैं, क्या किया है, उसके बारे में विस्तार से सूचना सदन को दें?

दूसरा, इसमें जो आपने एक उन्नाव केन्द्र के बारे में कहा है, जो मेरे संसदीय क्षेत्र के बिल्कुल बगल में है। मैं इस प्रकरण को निजी तौर पर जानता हूं। इसकी जांच कई बार हो चुकी है और अंत तक पहुंचते-पहुंचते उसमें यह निर्णय निकलता है कि यह सबसे अच्छा कृषि विज्ञान केन्द्र है। हम सदन में बार-बार यह सुनते हैं कि वहां जांच हो रही है। क्या आपने उसकी सारी फाइलों को खुद मंगाकर देखा है? मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि इसकी कितनी बार जांच हुई है, क्या निर्णय हुए हैं और जांच के पीछे के कारण क्या हैं? जिन लोगों ने इसमें घोटाला किया था, उन पर क्या-क्या मुकदमें चल रहे हैं? वे दण्डित हैं, लेकिन कृषि विज्ञान केन्द्र को क्यों दण्डित किया जा रहा है? यह आपका सबसे अच्छा कृषि विज्ञान केन्द्र

है। इसकी रिपोर्ट एक्सीलेंट है। मैं इसको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। आप इसकी रिपोर्ट्स निकालकर देखें और तब उसके बाद इस पर निर्णय करें कि क्या इसकी जांच का कोई औचित्य है? एक अच्छे सक्षम और ईमानदार के.वी.के. जो प्रदेश का ही नहीं, देश के सबसे अच्छों में से एक है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसकी जांच आप स्वयं करें, इसे किसी भी अधिकारी पर न छोड़ें। यदि आप आवश्यक समझें तो मैं इसमें आपकी सहायता कर सकता हूं, लेकिन एक बहुत ही अच्छे कृषि विज्ञान केन्द्र को प्रताड़ित करने का कोई भी रास्ता अगर आपके अधिकारी निकाल रहे हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप उन अधिकारियों को भी दण्डित करेंगे?

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, मेरी जानकारी में 15 दिन पहले यह बात आयी है और हमने विभाग को इस सम्बन्ध में निर्देश दिए हैं, लेकिन मैं स्वयं एक सप्ताह के अन्दर इसकी पूरी प्रक्रिया की गहराई तक जाकर यदि कोई अधिकारी दोषी भी होगा तो उसे हम दण्डित भी करेंगे कि क्यों उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। इसका निराकरण एक सप्ताह के अन्दर हम माननीय सदस्य के पास भिजवा देंगे।

(Q.385)

श्री लक्ष्मण गिलुवा : अध्यक्ष महोदया, वर्तमान में स्थापित गैर-सरकारी संगठन के नियंत्रण की प्रक्रिया प्रभावशील है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या इसे और अधिक प्रभावशील बनाने के लिए सरकार कोई कदम उठा रही है? क्या नए एनजीओ में बदलाव के लिए कोई नीति पर सरकार कोई विचार कर रही है?

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, गैर सरकारी संगठनों के द्वारा जो काम किए जाते हैं उनके नियंत्रण के लिए मानीटरिंग की व्यवस्था है। केन्द्र सरकार के अधिकारी स्वयं जाकर के भी उनके कारोबार को देखते हैं। राज्य सरकार को पत्र लिखकर या वहां के मंत्रालय से और वहां के अधिकारियों के द्वारा भी उनकी जांच-पड़ताल की जाती है। नियंत्रण को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से जो-जो खामियां हमें दिखायी दे रही हैं, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं और उसको लागू करने का प्रयास हम करेंगे।

श्री लक्ष्मण गिलुवा : अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र सिंहभूम, झारखंड में एनजीओ का कार्य तो हो रहा है, लेकिन आप उसको हकीकत में देखेंगे तो वह जमीन में कहीं दिखायी नहीं पड़ता है। सिंहभूम संसदीय क्षेत्र वर्तमान में काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, साथ ही साथ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भी है। इस क्षेत्र के विकास के लिए और अधिक धनराशि का प्रबंध होना चाहिए। साथ ही साथ जो एनजीओ क्षेत्र में काम नहीं करते हैं उन पर सरकार कार्रवाई करे, क्या इसके लिए सरकार कोई कदम उठा रही है?

माननीय अध्यक्ष : इनको सोशल ऑर्गेनाइजेशंस कहें तो वे सामाजिक काम करेंगे। इन्हें एनजीओ नहीं कहिए।

श्री थावर चंद गहलोत : महोदया, गैरसरकारी संगठनों के द्वारा वे जिस क्षेत्र में काम करते हैं, राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्ताव हमारे विभाग, हमारे मंत्रालय के पास आते हैं। झारखंड से वर्ष 2011-12 और वर्ष 2012-13 में 4 एनजीओज के प्रस्ताव आए थे, उन चारों को हमने स्वीकृति दे दी थी। अभी दो प्रस्ताव विचाराधीन है। 'हरिजन सेवक संघ' नामक एक संस्थान अखिल भारतीय स्तर पर है। वह भी पलामू में एनजीओ के रूप में विद्यालय चलाता है। माननीय सांसद और किसी प्रकार की जानकारी देंगे, तो हम उस संबंध में भी जानकारी दे देंगे। अगर वहां से कोई प्रस्ताव आएगा तो हम उस पर गंभीरता से विचार करेंगे।

श्री निशिकान्त दुबे : अध्यक्ष महोदया, 10 सालों से एनजीओ कुकुरमुत्ते की तरह आगे बढ़ रहे हैं। आपने खुद कहा है कि 26 अलेज्ड मिसयूज के केसेज हैं। इस देश में डेवलपमेंट के लिए कहीं पावर प्लांट बनाना हो तो उसे एनजीओ रोकने का प्रयास करता है, कहीं डैम बनता हो तो एनजीओ उसे रोकने का प्रयास करता है। इनके कारण कपार्ट जैसी संस्था खत्म हो गई है। आप रूरल डेवलपमेंट कमेटी की अध्यक्षा रह चुकी हैं। कपार्ट जैसी संस्था इन्हीं एनजीओज के कारण खत्म हो गई है। वर्ष 2007 में सीएजी ने 14वीं रिपोर्ट दी जिसके आधार पर मंत्री महोदय ने मुझे उत्तर दिया है कि एनजीओ के पास यूटीलाइजैशन सर्टिफिकैट होना जरूरी है, तब वह उन्हें पैसा देते हैं, उनका रिव्यू करते हैं, उनका मॉनिटरिंग करते हैं, उनका इवैल्यूएशन करते हैं और उनके बाद उसका इंस्पेक्शन करते हैं, इसके बाद ही उनको पैसा दिया जाता है। यह उन्होंने अपने जवाब में कहा है। यहां दिल्ली के सांसद बैठे हुए हैं। मैंने आर.टी.आई. से कुछ क्वैरिज मंगाई है। इंडियन स्पाइनल इंज्यूरी सेन्टर, वसंतकुंज को आपका डिपार्टमेंट पैसा देता है। मुझे पता नहीं है कि यह आपकी जानकारी में है या नहीं है? मैं भी 25 सालों से दिल्ली में रह रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष : कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री निशिकान्त दुबे : अध्यक्ष महोदया, प्रश्न यही है। एक तो मैंने यह उदारहण दिया है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि डा. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट से संबंधित बहुत बड़ा केस हुआ था, आपको पता है, इन्होंने उत्तर में उसके बारे में कहा। यह वर्ष 2010-11 का केस था। इसमें इन्होंने जवाब में कहा है कि वर्ष 2010-11 का जो यह टेंशन है - डा. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट का, आपको पता है कि उसमें केन्द्रीय मंत्री इन्वॉल्व थे लेकिन उसका एफ.आई.आर. अभी तक लॉज नहीं हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं कि वर्ष 2014 तक उसका एफ.आई.आर लॉज नहीं हुआ है। सी.ए.जी. ने आपको जो पांच प्वाइंट्स कहा है उनके आधार पर आपने जो जवाब दिया है तो आप बताएं कि आप किस तरह से इंस्पैक्शन और मॉनिटरिंग कर रहे हैं? भविष्य में इस संबंध में आपका मंत्रालय क्या करने वाला है? मैं आपके माध्यम से यह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, बहुत सारे उत्तर तो उन्होंने ही दिऐ हैं कि हम एनजीओज को जब धनराशि आवंटित करते हैं तो कौन-कौन सी प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। ...(व्यवधान) हमने वर्ष 2011-12 में 1465 और वर्ष 2012-13 में 1295 वर्ष 2013-14 में 1424 एनजीओज को धन राशि आवंटित की है। इन सबमें नियम-प्रक्रियाओं का पालन करते हुए किया गया है। 26 एनजओएज ऐसे हैं, जिनके खिलाफ शिकायत आई है। हमने 4 एनजीओज को ब्लैक लिस्टेड किया है। हम शिकायत की जांच राज्य सरकार के माध्यम से कराते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहां से जो अधिकारी गए हैं उन्होंने जिसे दोषी पाया, परन्तु राज्य सरकार ने रिपोर्ट भेजी कि नहीं, वह तो सही काम कर रहे हैं। अनेक

जगह से ऐसी बातें आती हैं जिनमें विलंब होता है। डा. जाकिर हुसैन नामक संस्थान की जो बात माननीय सांसद ने कही है, वह जांच विचाराधीन है और उस पर गंभीर विचार-विमर्श के बाद एफ.आई.आर. दर्ज करने की आवश्यकता होगी तो वह भी तत्काल करने की कार्रवाई करेंगे।

श्री नन्दी एल्लैया : अध्यक्ष महोदया, वॉलंट्री आर्गनाइजेशन के बारे में मंत्री जी का उत्तर है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि लोक सभा या राज्य सभा में जितने इलैक्टेड मैम्बर्स हैं, उन्हें फंड्स के बारे में कभी पता नहीं चलता। क्या कलैक्टर्स इस बारे में कभी जांच करते हैं? किन-किन कैटेगरीज में उनका काम होता है, इसकी जांच होनी चाहिए। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि उत्तर में लिखा है लेकिन वहां के क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं है। भिन्न-भिन्न प्रकार के आइटम्स होते हैं। एनजीओज आर्गनाइजेशन की जांच करनी चाहिए। लोक सभा या राज्य सभा के सदस्यों को इसके बारे में मालूम होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : आप लिख लीजिए। यह इनकी सजैशन है।

श्री थावर चंद गहलोत : ठीक है, धन्यवाद।

श्री नन्दी एल्लैया : मंत्री जी ने क्या बोला है, मुझे समझ में नहीं आया।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बताइए कि यह सजैशन है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, हम नियम प्रक्रिया का अनुपालन करते हैं और कौन सा एनजीओ कहां स्थापित है, उनकी क्या गतिविधियां हैं, उसकी जानकारी और उन्हें जो पैसा स्वीकृत करते हैं, उसकी सारी प्रक्रिया है। कलैक्टर या राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्ताव आता है। जहां तक यह सवाल है कि जनप्रतिनिधियों को उसकी जानकारी नहीं होती, मैं इस संबंध में विभाग में आवश्यक विचार-विमर्श करूंगा। अगर जनप्रतिनिधियों की इसमें कोई भूमिका होगी तो उसे भी सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। एनजीओ गैर-सरकारी संगठन है। वह प्रस्ताव बनाकर भेजते हैं जो राज्य सरकार के माध्यम से हमारे पास आता है। हम उसे स्वीकृति दे देते हैं, परन्तु मौके पर जो काम होता है, अगर जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र में रूचि लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, उसमें कसावट भी आएगी।

SHRI KALYAN BANERJEE : Madam Speaker, I am deeply obliged for giving me this chance. In our country, there are mushrooms of NGOs everywhere. Some persons become important all of a sudden. If you just check up with them, then they will say that they are running NGOs. Now the problem is that there are not

sufficient laws to control the NGOs. I am very happy that the hon. Minister for Law is also here. Sufficient laws are not there to control NGOs. There is no accountability of these NGOs as well. Nobody knows about it and there is no procedure laid down in this regard.

I was going through page 12 of the answer given by the hon. Minister. I do not find, from these answers, any *suo motu* action taken by the Department for proceeding against them. They take action only on the basis of the complaints received. I have a question to the hon. Minister. Do the Executives initiate appropriate proceedings against the erring NGOs, specially where politicians are involved? If you lift the veil, you may find that many politicians are involved.

What steps have been taken by the Executives of the Ministry in this regard? They take action on the basis of complaints. Complaints are received and thereafter, the Executives have woken up. I am not blaming you as you have been here for the last three months. I know the background. The question is whether the Executives are working on them or not. They should not wake up only on the basis of complaints received. They have to wake up and initiate proceedings *suo motu*. I want to know whether steps have been taken on their own in this matter. If this is so, in how many cases they have taken action and in how many cases are politicians involved? If you lift the veil, you may find some politicians involved and steps are required in such cases. I want to know whether the Executives have taken action in such cases or not.

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, मैंने बताया कि नियम प्रक्रिया बनी हुई है और उसी के आधार पर एनजीओज के प्रस्ताव को स्वीकृति देते हैं। हम वार्षिक तौर पर जांच करते हैं, ऑडिट भी करवाते हैं, अर्ध-वार्षिक जांच की व्यवस्था भी है। अमल की कार्यवाही सीधे केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। हम उन सब माध्यमों से जांच करवाते हैं। एक खामी हमें भी दिखाई देती है कि लायेबिलिटी या एकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और यह होने के बाद अगर कोई अपराधी पाया जाता है, तो दंड का प्रावधान भी करना चाहिए। विभागीय स्तर पर हम इस विषय पर भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अगर आवश्यकता होगी, तो इस आशय से कदम उठायेंगे।

(Q.386)

डॉ. बंशीलाल महतो : आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हूं, लेकिन मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में कोरबा भारत वर्ष का एक अभिन्न अंग है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 1976 से उर्वरक के कारखाने का शिलान्यास हुआ, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने उसमें कुछ भी नहीं किया। क्या हमारी वर्तमान सरकार उस कारखाने पर खर्च करके उसे चालू करेगी? वह कोल आधारित प्लांट है, जैसा कि पहले उसका आकलन हुआ था। उसमें हजारों एकड़ जमीन ले ली गयी है और बाउंड्री वॉल भी तैयार है। जंगल की भी सफाई हुई थी। वहां पर अभी तक हजारों करोड़ों रुपये खर्च किये जा चुके हैं। मैंने आज जब लिस्ट देखी, तो छत्तीसगढ़ में स्थित उर्वरक कारखाने का कहीं कोई उल्लेख नहीं है।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या उस कारखाने को पुनः चालू किया जायेगा? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि प्रत्येक सदस्य...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपना दूसरा प्रश्न बाद में पूछिये।

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य आपके उत्तर से बहुत संतुष्ट हैं, लेकिन अब आप उन्हें और संतुष्ट कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : अध्यक्ष महोदया,, बहुत-बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में कोरबा का फर्टिलाइजर प्लांट है, उसे वर्ष 1973 में शुरू करने की सोच थी। उसके लिए सभी प्रबंध भी हो चुके थे, मशीनरी भी लायी गयी थी, लेकिन उसे खोला नहीं गया। वर्ष 1990 में उस फर्टिलाइजर प्लांट को बंद कर दिया गया। उस फर्टिलाइजर प्लांट को कैसे शुरू करें, इस बारे में हम प्रदेश सरकार के साथ बात करेंगे। यदि हो सका, तो ज्वाइंट वेंचर में उसे रिवाइव करने की कोशिश करेंगे।

डॉ. बंशीलाल महतो : अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार से कोई प्रस्ताव आया है? मेरा कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार से प्रस्ताव लाया जाये। मैं खुद उसे प्रस्ताव को भिजवाऊंगा। आप उसे चालू कराइये, क्योंकि इस पर पहले ही काफी रुपये खर्च हो चुके हैं। यह बहुत उपयोगी कारखाना है। वहां कोयले का भंडार है और ऊर्जाधानी है। वहां पानी की भी समस्या नहीं है। ये सारी उपलब्धता वहां प्राकृतिक रूप से है, इसलिए उसे चालू करना आवश्यक है।

श्री अनन्तकुमार : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सांसद डॉ. बंशीलाल महतो के सुझाव का स्वागत करता हूं। मैं कहना चाहूंगा कि हम खुद उस फर्टिलाइजर प्लांट को शुरू करने के लिए छत्तीसगढ़ चले जायेंगे। ...(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Madam Speaker, my question arises from the last part of the Question which relates to the revival of sick units. The intelligent Minister is aware that the Talcher fertilizer plant is not sick. It has been totally closed down. There was some attempt during the last days of the UPA II regime to revive the Talcher fertilizer plant.

I would like to understand from the Minister, through you, what steps this Government has taken other than the steps taken earlier by the UPA Government to revive that fertilizer plant in Talcher.

SHRI ANANTH KUMAR: After becoming sick only the plants get closed down. Regarding Talcher fertilizer plant, I would like to say that we had two rounds of meetings with all the concerns, with the Minister of Coal, with the Minister of Petroleum and Natural Gas. We are going to establish two joint ventures, one with the Coal India Limited and the other with the GAIL. With these two joint ventures, with coal gasification model, we are going to revive the Talcher plant. If everything goes according to the plan, I think, we are going to give a good news in November – December of this year itself.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : In the reply given by the hon. Minister, it has been stated that the financial performance of the FACT turned negative due to the anomalies in the erstwhile price concession scheme for complex fertilizer during 2002-03 to 2007-08. I do agree with him. But the main problem is that the FACT is forced to close down the Ammonia Plant due to the direction, verdict from the hon. Supreme Court. So, it is a commitment on the part of the Government of India that the FACT would be duly compensated. FACT as also the Ministry submitted a proposal for the Rs.900 crore financial restructuring package and the plan has been submitted. It is pending before the Government of India. I would like to know from the hon. Minister whether the revival plan of FACT would be done at the earliest so that the company can be revived *in toto*.

SHRI ANANTHKUMAR: After assuming charge as the Chemicals and Fertilizers Minister, my first visit was to the oldest fertiliser plant of India, the FACT. I visited Kochi. I inspected the Kochi Plant. After that, we have held rounds of

meetings regarding the revival of FACT which is a premier fertilizer plant. We have also proposed a Rs.929 crore revival package. It is under the consideration of the Government of India.

There is an issue. The issue is of getting the feed-stock from Petronet. Recently, I held a meeting with the Petroleum and Natural Gas Minister and the other representatives of the Petroleum and Natural Gas Ministry. Our Government led by Shri Narendrabhai Modi wants that the FACT should be revived.

PROF. SAUGATA ROY : Madam, the hon. Minister has spoken about the closed fertilizer plants. It is strange that India is one of the biggest importers of fertilizer. When India goes to the international market, the price of fertilizer goes up. In spite of that, the fertilizer plants are lying closed in the country. Shri Mahtab has mentioned about the Talcher Unit; Shri Premachandran has mentioned about the FACT Plant in Kochi. In West Bengal, there were only two fertilizer plants: one at Haldia and the other at Durgapur. Both these have been lying closed for a long time. Sometimes it happens that technology is outmoded and at other times it happens that the feedstock like Naphtha or natural gas or coal is not available. What, according to him, is the reason for the closure of these factories? What steps the Government is going to take to revive the only two fertilizer plants in West Bengal?

SHRI ANANTHKUMAR: Madam Speaker, the hon. Member Prof. Saugata Roy has raised a very valid question. He has also said in his question that feedstock is an important issue. The grand vision of our Prime Minister Shri Narendrabhai Modi is to have a gas grid in the country and it has been mentioned in the recent Budget also. The gas grid between Jagdishpur and Haldia which the GAIL is going to lay is going to connect by the spur-way all the fertilizer plants which have been closed That is an important issue. The fertilizer plant in Gorakhpur, Sindri, Barauni, Durgapur and in Haldia are important. Recently, I have taken a meeting with GAIL, meeting with the Petroleum and Natural Gas Minister. SAIL is also participating in Sindri. Hence I had a meeting with the Steel and Mines Minister. I think when we lay the pipeline between Jagdishpur and Haldia, it is going to be

the first ever gas corridor in this part of the country, the Hindi heartland because it is not only going to cater to the fertilizer plants but also it is going to cater to the petro-chemical plants; it is going to cater to the steel mills also. I think it will rejuvenate industrialisation in the Hindi heartland. I think that will be the solution for Durgapur and Haldia also.… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : उत्तर से सबको संतुष्ट कर रहे हैं। कृपया बैठिए।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Q. No. 387 – Shri Rattan Lal Kataria.

(Q.387)

श्री रत्न लाल कटारिया : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पिछले 10 वर्षों में यूपीए सरकार से धोखा खाने के बाद भारतवर्ष के दलित समाज ने एनडीए सरकार को भारी बहुमत दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने हिन्दुस्तान के दलितों की भलाई के लिए कोई विज़न डाक्यूमेंट बनाया है जिससे उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सकें और उनको लाइफ ऑफ डिग्निटी मिल सके?

श्री थावर चंद गहलोत: अध्यक्ष महोदया, निश्चित रूप से इस सरकार ने इन वर्गों के लिए विज़न डाक्यूमेंट बनाया है। हमारा जो चुनाव घोषणापत्र था, उसमें भी इन बातों का उल्लेख है। हम प्रयासरत हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग, जो बेरोजगार हैं, उनको अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।

श्री रत्न लाल कटारिया : अध्यक्ष महोदया, यूएनओ सहित विभिन्न संस्थाओं की रिपोर्ट्स आई हैं, जिनमें यह बात उभरकर आई है कि हिन्दुस्तान आज भी उन देशों में शामिल है, जहां एक-तिहाई लोग ऐसे हैं जो भुखमरी और कुपोषण का जीवन बिता रहे हैं। उनमें से अधिकांश लोग अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित होते हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि लिब्रलाइजेशन एवं ग्लोबलाइजेशन एरा के पश्चात् दलित समाज के लिए रोजगार के जो अवसर घटे हैं, क्या उसकी भरपाई करने के लिए सरकार ने कोई रोडमैप बनाया है, जिसका जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लखनऊ की रैली में किया था कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार है और यह सरकार गरीबों के लिए बहुत ही क्रान्तिकारी कदम उठाएगी?

श्री थावर चंद गहलोत: अध्यक्ष महोदया, निश्चित रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के ऐसे लोग जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से कमजोर हैं, के उत्थान एवं विकास के लिए हमारे मंत्रालय के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं को आर्थिक सहयोग दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है और इन वर्गों से संबंधित लोगों को प्रशिक्षित करने की कोशिश की जाती है। स्किल्ड वर्कर के रूप में, कौशल शिक्षा के रूप में उनको प्रशिक्षित करने का प्रयास हम करते हैं और जब उनका प्रशिक्षण हो जाता है, तो हमारा प्रयास यह रहता है कि उन प्रशिक्षित लोगों को आर्थिक अनुदान देकर स्वावलंबी बनाकर, कारोबार करने के लिए कुछ मदद की जाए एवं विभिन्न संस्थानों में रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रयास किया जाए।

श्री राजीव सातव : अध्यक्ष महोदया, यह प्रश्न बेरोजगारी से जुड़ा है और प्रधानमंत्री जी ने चुनावी भाषणों में आने वाले पांच वर्षों में देश की बेरोजगारी खत्म करने की बात की थी। क्या सरकार आने वाले पांच वर्ष में देश के सभी युवाओं को रोजगार देगी?

श्री थावर चंद गहलोत: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का प्रश्न मूल रूप से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित है, मेरा विभाग उसमें सहायता जरूर करता है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए। मैं आश्वस्त करता हूं कि मेरे विभाग से संबंधित कार्ययोजनाओं पर हम ठीक से अमल करेंगे।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : अध्यक्ष महोदया, दूध की रखवाली बिल्ली नहीं कर सकती है।

अध्यक्ष महोदया, एक तरफ मंत्री जी रोजगार देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण है, उसके अंतर्गत ही उनको अपना जायज हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो दूसरे रोजगार कहां से दिला पाएंगे। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि नए रोजगार दिलाने के साथ-साथ उनके जो असली रोजगार के संविधान के तहत अधिकार प्राप्त है, अगर वही अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को उनके लिए किए गए आरक्षण के अनुसार सभी जगह भर्ती कर दिया जाए, तो बहुत बड़ा कल्याण कर देंगे।

श्री थावर चंद गहलोत: अध्यक्ष महोदया, वैसे इस प्रश्न का भी सीधा संबंध मेरे विभाग से नहीं है, परन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि मैं संबंधित विभागों के साथ एवं मेरे विभाग के साथ विचार-विमर्श करके, जो रिक्त स्थान हैं और आरक्षित पदों को भरने का उनका हक है, उनको भरने का प्रयास करेंगे।

(Q. 388)

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN : Madam Speaker, I would like to say that my question has been changed totally and reversed and then the answer is given. In spite of that I want to ask one question. On Indo-Bangladesh border, specially in Murshidabad district, smuggling is a common phenomenon. There is Border Security Force, there is border fencing and there is strong patrolling.

माननीय अध्यक्ष: अब उत्तर नहीं आ पाएगा, क्योंकि प्रश्न काल समाप्त हो रहा है इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि संक्षेप में प्रश्न पूछें।

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN : So everything is there. But despite that, smuggling is going on. I would like to know from the hon. Minister how it will be checked.

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, नारकोटिक्स की तस्करी होती है, इसमें कोई दो मत नहीं हैं। यह तस्करी का सिलसिला लम्बे समय से जारी है। इसे रोकने के लिए बराबर प्रभावी कदम उठाए जाते रहे हैं। लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि बॉर्डर पर फेंसिंग, फ्लड लाइटिंग और साथ ही साथ वहां पर मुकम्मल सुरक्षा जैसे उपाय जितने होने चाहिए, उतने नहीं हो पाए हैं। इससे और अधिक सुरक्षा की व्यवस्था को मुकम्मल किए जाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में समय-समय पर अपने विभाग में मैं समीक्षा भी करता रहता हूं। सीमाओं की सुरक्षा, वहां पर फेंसिंग यदि पुरानी हो गई है तो उसे नया करने के सम्बन्ध में, फ्लड लाइटिंग को बढ़ाने के सम्बन्ध में क्या-क्या किया जा सकता है, इस सम्बन्ध में प्रभावी कदम उठाने के लिए हमने आवश्यक निर्णय किए हैं।

माननीय अध्यक्ष: अब हम प्रश्न काल समाप्त करते हैं और मैं इसके लिए सभी सदस्यों को धन्यवाद देती हूं।

श्री गणेश सिंह: अध्यक्ष महोदया, आज पहली बार प्रश्न काल बिना व्यवधान के चला है।...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव: हमने प्रश्न काल स्थगित करने का नोटिस दिया था, बावजूद इसके हमने प्रश्न काल को डिस्टर्ब नहीं किया।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं इसके लिए सब सदस्यों को धन्यवाद दे रही हूं, आप वह भी नहीं सुनना चाहते।

12.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now papers to be laid on the Table of the House.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) वर्ष 2014-2015 के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(Placed in Library, See No. LT 536/16/14)

(2) वर्ष 2014-2015 के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का परिणामी बजट।

(Placed in Library, See No. LT 537/16/14)

(3) वर्ष 2014-2015 के लिए उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का परिणामी बजट।

(Placed in Library, See No. LT 538/16/14)

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI ANANTHKUMAR): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Outcome Budget (Hindi and English versions) of the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 539/16/14)

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : मैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(Placed in Library, See No. LT 540/16/14)

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) असम अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

(Placed in Library, See No. LT 541/16/14)

(दो) डोनाई पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

(Placed in Library, See No. LT 542/16/14)

(तीन) मध्य प्रदेश अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

(Placed in Library, See No. LT 543/16/14)

(चार) पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

(Placed in Library, See No. LT 544/16/14)

(पाँच) राँची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

(Placed in Library, See No. LT 545/16/14)

(छह) इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

(Placed in Library, See No. LT 546/16/14)

(2) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चर स्टडीज, दाहुंग के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चर स्टडीज, दाहुंग के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखते हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(Placed in Library, See No. LT 547/16/14)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT, ENTREPRENEURSHIP, YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRI SARBANANDA SONOWAL): Madam I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Sports Development Fund, New Delhi, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Sports Development Fund, New Delhi, for the year 2012-2013.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 548/16/14)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sports Authority of India, New Delhi, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sports Authority of India, New Delhi, for the year 2011-2012.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 549/16/14)

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, Sriperumbudur, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the

Government of the working of the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, Sriperumbudur, for the year 2012-2013.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in Library, See No. LT 550/16/14)

(7) A copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Youth Affairs and Sports for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 551/16/14)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI NIHAL CHAND): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Chemicals and Fertilizers for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 552/16/14)

(ii) Outcome Budget of the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 553/16/14)

(2) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Kolkata, for the year 2012-2013, together with Audit Report thereon.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(Placed in Library, See No. LT 554/16/14)

(4) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Guwahati, for the year 2012-2013, together with Audit Report thereon.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

(Placed in Library, See No. LT 555/16/14)

(6) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, S.A.S. Nagar, for the year 2012-2013, together with Audit Report thereon.

(7) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (6) above.

(Placed in Library, See No. LT 556/16/14)

(8) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the Rajasthan Drugs and Pharmaceuticals Limited, Jaipur, for the year 2012-2013.

(ii) Annual Report of the Rajasthan Drugs and Pharmaceuticals Limited, Jaipur, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(9) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (8) above.

(Placed in Library, See No. LT 557/16/14)

(10) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 36 of the National Institute of Pharmaceuticals Education and Research Act, 1998.

(i) The National Institute of Pharmaceuticals Education and Research (Amendment) Statutes, 2014 published in Notification No. G.S.R. 433(E)in Gazette of India dated 7th July, 2014.

(ii) The National Institute of Pharmaceuticals Education and Research (Degree of Masters and Doctor of Philosophy) amended Ordinance, 2014 published in Notification No. G.S.R.406 in Gazette of India dated 24th January, 2014.

(Placed in Library, See No. LT 558/16/14)

(11) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (6) of Section 3 of the Essential Commodity Act, 1955:-

(i) S.O.114(E) published in Gazette of India dated 16th January, 2014, order indicating the supplies of urea to be made by domestic manufacturers of urea to States and Union Territories during Rabi Season, 2013-2014.

(ii) S.O.1088(E) published in Gazette of India dated 15th April, 2014, order indicating the supplies of urea to be made by domestic manufacturers of urea to States and Union Territories during Kharif Season 2014.

(Placed in Library, See No. LT 559/16/14)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the following papers (Hindi and English versions) under Section 20 of the Protection of Human Rights Act, 1993:-

(i) Special Report to Parliament of India on Silicosis of the National Human Rights Commission.

(ii) Memorandum of Action Taken on the Special Report on Silicosis of the National Human Rights Commission.

(Placed in Library, See No. LT 560/16/14)

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Foreigners Order, 1948:-

(i) S.O.1479(E) published in Gazette of India dated 7th June, 2014, designating Mangalore seaport in Dakshina Kannad District of Karnataka State as an authorized Immigration check post for entry into India with valid travel documents for all classes of passengers.

(ii) S.O.1480(E) published in Gazette of India dated 7th June, 2014, appointing Commissioner of Police, Mangalore city, as the "Civil Authority" for the purpose of Foreigners Order, 1948 for the Immigration check post located at Mangalore sea port in the jurisdiction of Dakshina Kannad District of Karnataka State with effect from 01.07.2014.

(iii) S.O.1421(E) published in Gazette of India dated 2nd June, 2014, appointing the Foreigners Regional Registration Officer, Ahmedabad in Bureau of Immigration, as the Registration Officer to perform the functions of the Registration Officer under rule 3 of the Registration of Foreigners Rules, 1992 and the Foreigners Order, 1948 for the jurisdiction of Ahmedabad City, Ahmedabad Rural and Gandhi Nagar District of Gujarat under the administrative control of Commissioner of Police, Ahmedabad Superintendent of Police, Ahmedabad Rural and Superintendent of Police, Gandhi Nagar District respectively in the State of Gujarat with effect from 1st August, 2014.

(iv) The Foreigners (Amendment) Order, 2014 published in Notification No. S.O. 1422(E) in Gazette of India dated 2nd June, 2014.

(Placed in Library, See No. LT 561/16/14)

(3) A copy of the Delhi Police (Punishment and Appeal)(Amendment) Rules, 2011 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. 13/28/2011/HP-I/Estt./3891 to 3897 in Delhi Gazette dated 30th November, 2011 under sub-section (2) of Section 148 of the Delhi Police Act, 1978:-

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 562/16/14)

(5) A copy of the Border Security Force Para Veterinary Staff, Group 'B' and 'C' posts (Combatised) Recruitment Rules, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 81(E) in Gazette of India dated 7th February, 2014 under sub-section (3) of Section 141 of the Border Security Force Act, 1968.

(Placed in Library, See No. LT 563/16/14)

(6) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 18 of the Central Reserve police Force Act, 1949:-

(i) The Central Reserve Police Force Group 'B' and 'C' (Radio Operator, Crypto, Technical, Radio Fitter, Draughtsman)(Non-Gazetted) Male or Female ranks (Signals) Amendment Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 144 in Gazette of India dated 14th May, 2011.

(ii) The Central Reserve Police Force, Group 'B' posts (General Duty, Technical and Tradesmen Cadre) Recruitment Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 88(E) in Gazette of India dated 15th February, 2014.

(Placed in Library, See No. LT 564/16/14)

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) :

मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) वर्ष 2014-2015 के लिए कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 565/16/14)

(2) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(एक) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (दूसरा संशोधन) आदेश, 2014, जो 27 जून, 2014 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या का.आ.1632(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पहला संशोधन) आदेश, 2014, जो 13 जून, 2014 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या का.आ.1508(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(Placed in Library, See No. LT 566/16/14)

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) जम्मू और कश्मीर हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1994-1995 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) जम्मू और कश्मीर हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर का वर्ष 1994-1995 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(Placed in Library, See No. LT 567/16/14)

(ख) (एक) जम्मू और कश्मीर हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1995-1996 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) जम्मू और कश्मीर हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर का वर्ष 1995-1996 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(Placed in Library, See No. LT 568/16/14)

(ग) (एक) जम्मू और कश्मीर हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1996-1997 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) जम्मू और कश्मीर हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर का वर्ष 1996-1997 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 569/16/14)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : श्री रावसाहेब दादाराव दानवे की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हू :-

(1) (एक) फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 570/16/14)

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2014 जो 28 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 280(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा.का.नि. 326(अ) जो 7 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा यह घोषणा की गई है कि 01.04.2014 से प्रारंभ होकर 31.05.2014 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए कच्चा चीनी उत्पादन के लिए विपणन तथा संवर्धन सेवाओं हेतु प्रोत्साहन की दर प्रति मीट्रिक टन दो हजार दो सौ सतत्तर रुपए होगी।

(तीन) सा.का.नि. 369(अ)/आव.व./गन्ना जो 30 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा चीनी सत्र 2012-2013 के लिए गन्ने का निर्माणीवार उचित तथा लाभकारी कीमत अधिसूचित किया गया है।

(चार) सा.का.नि. 394(अ) जो 11 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा यह घोषणा की गई है कि 01.06.2014 से प्रारंभ होकर 31.07.2014 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए कच्चा चीनी उत्पादन के लिए विपणन तथा संवर्धन सेवाओं हेतु प्रोत्साहन की दर प्रति मीट्रिक टन तीन हजार तीन सौ रुपए होगी।

(पाँच) विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर (अनुज्ञप्तिकरण अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध) निराकरण (संशोधन) आदेश, 2014 जो 3 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1685(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(Placed in Library, See No. LT 571/16/14)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 15 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी ज्ञापन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(Placed in Library, See No. LT 572/16/14)

(ख) (एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी ज्ञापन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 573/16/14)

(3) संविधान के अनुच्छेद 338क की धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में आरक्षण नीति लागू नहीं किए जाने के बारे में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली का विशेष प्रतिवेदन, 2013 ।

(दो) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में आरक्षण नीति लागू नहीं किए जाने के बारे में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के विशेष प्रतिवेदन, 2013 में व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 574/16/14)

(5) अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) (संशोधन) नियम, 2014 जो 23 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 416(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 575/16/14)

(6) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (सभापति तथा सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियम, 2013 जो 12 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 734(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 576/16/14)

12.04 hrs.

STATEMENT BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 36th Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on 'Production and Availability of Pesticides', pertaining to the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers.*

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI ANANTHKUMAR): Madam, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 36th Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on 'Production and Availability of Pesticides', pertaining to the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers.

12.04 ½ hrs.

(ii)Status of implementation of the recommendations contained in the 46th Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2013-14), pertaining to the Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture.*

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : अध्यक्ष जी, आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 13 के सामने दर्शाया गया कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 46वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 577/16/14.
** Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 578/16/14.

12.05 hrs.

STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 125 DATED 08.07.2014 REGARDING "LOSS TO TOURISM SECTOR" ALONGWI+TH REASONS FOR DELAY.*

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : महोदया, मैं दिनांक 08.07.2014 को सदन के पटल पर रखे गये 'पर्यटन क्षेत्र के हानि' के संबंध में प्रो. सौगतराय, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 125 के संबंध में 8.7.2014 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (ii)उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब के कारण बताने वाला एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 579/16/14.

भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं0 +125

8 जुलाई, 2014/17 आषाढ़, 1936(शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन क्षेत्र को हानि

125 प्रो. सौगत रायः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कीः

(क) क्या सरकार ने गत वर्ष उत्तराखंड में घटित प्राकृतिक आपदा के कारण पर्यटन क्षेत्र को हुई अनुमानित हानि का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे अर्थव्यवस्था को हुई अनुमानित हानि सहित इसके क्या परिणाम हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष पैकेज दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : उत्तराखंड राज्य सरकार के अनुसार, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया (पीएचडीसीसीआई) द्वारा किए गए अध्ययन में अर्थव्यवस्था को लगभग 12000 करोड़ रूपए की अनुमानित हानि बताई गई है। सरकारी पर्यटन संपत्तियों को लगभग 116.00 करोड़ रूपए की हानि होने का अनुमान लगाया गया है। कुछ प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंच न होने के कारण सभी निजी पर्यटन परिसंपत्तियों के नुकसान का अभी तक पूर्ण रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सका है।

(ग) और (घ) : पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य में पर्यटन के संवर्धन के लिए कोई पैकेज प्रदान नहीं किया है। तथापि नष्ट हुए/क्षतिग्रस्त सरकारी पर्यटन परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण/निर्माण के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा 100.00 करोड़ रूपए का विशेष वित्तीय पैकेज घोषित किया गया है जिसमें से 10.58 करोड़ रूपए निर्मुक्त करने के साथ 72.55 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की गई है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने 2013-14 में उत्तराखंड में विभिन्न पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 145.17 करोड़ रूपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता भी स्वीकृत की है।

12.06 hrs.

At this stage, Shri Dharmendra Yadav came and stood on the floor near the Table.

12.07 hrs.

At this stage, Shri Dharmendra Yadav went back to his seat.

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, एक साथ सभी नहीं उठेंगे। धर्मेन्द्र यादव जी, आपने जो नोटिस दिया है, वह मैंने देखा है। माननीय मंत्री जी ने कल स्टेटमेंट दिया है, अगर फिर भी आप कोई नोटिस दें तो चर्चा हो सकती है, हल्ले-गुल्ले में कोई बात नहीं हो सकती है, आप चर्चा के लिए नोटिस दीजिए। आपने सस्पेंशन के लिए नोटिस दी थी। चर्चा के लिए किसी नियम के अंतर्गत नोटिस दें, तो चर्चा हो सकती है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Sudip Bandyopadhyay.

… (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, my request would be to you that all Zero Hour notices should not be sent in lottery only.… (*Interruptions*) Some issues involving national perspective have to be given priority. … (*Interruptions*)

Madam, today the issue that I want to raise is in connection with the ethos and philosophy of our region.… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : सुदीप बन्दोपाध्याय जी, आप बोलिये।

...(व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Madam, India stands for the principles of secularism, communal harmony and national integrity.… (*Interruptions*) We must respect and keep faith in and respect to all other religions. But recently some evil forces of the country are trying to create communal tensions in different parts of the country which appears alarming to all of us. A new Government has come into power. Government of India, I think, should remain alert, cautious and vigilant to prevent communal tensions; otherwise safety and security of the common people of the country and the secular fabric of this vast country will be under threat. The Government should rise to the occasion and assure the House.

Madam, what we found yesterday was that the hon. Prime Minister went and offered pooja in Nepal with 2400 kg of ghee. We are all happy to see it.

We are all happy to see that.… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: He is appreciating the Prime Minister.

… (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: Madam, I appreciate it. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: He is not objecting to it. He is appreciating the hon. Prime Minister. Do you not want appreciation? Why are all these things happening?

… (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Madam, I appreciate the steps taken by the hon. Prime Minister but it was equally expected that the Prime Minister should communicate Eid Mubarak to others also.… (*Interruptions*). These are the common sentiments, ethos and feelings of the country. All castes and creeds, all sections of the people should be greeted with happy Vijayadashmi at the time of Vijayadashmi and Eid Mubarak at the time of Eid. Why is there such a difference? Let all should unite together to make the country's ethos and philosophy a giant partnership. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri M.B. Rajesh, Shri P.K. Biju, Adv. Joice Goerge, Shrimati P.K. Sreemathi Teacher, Shri Jose K. Mani, Shri P. Karunakaran, Shri Bhagwant Mann and Shrimati Kavitha Kalvakuntla are allowed to associate with the matter raised by Shri Sudip Bandyopadhyay.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam, over the centuries, Indian civilization has been preaching to the people of the world the concept of 'live and let live'. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Adhirji, you can associate with Sudip Bandyopadhyayji.

… (*Interruptions*)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : अध्यक्ष जी, बाल श्रम एक गंभीर समस्या है। देश में लगभग एक करोड़ से ज्यादा बच्चे होटल, ढाबे, ईंट-भट्‌टे, कालीन या चूड़ी फैक्टरी में बचपन तबाह करते रहते हैं।...(व्यवधान) बाल श्रम निवारण कानून के अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक लगी है किंतु इन सभी स्थानों पर बाल श्रम जारी है।

12.13 hrs.

At this stage, Shri Dharmendra Yadav, Shri Adhir Ranjan Chaudhary and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

बाल मजदूरी के कारणों में आम तौर पर गरीबी को प्रमुख माना जाता है, इसके अलावा अधिक जनसंख्या, सस्ता श्रम, बाल श्रम से जुड़े कानूनों का लागू नहीं होना, माता-पिता द्वारा बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय काम पर भेजा जाना ताकि परिवार की आमदनी बढ़ सके, जैसे कारण भी जिम्मेदार हैं। देश के पारम्परिक उद्योग धंधों के अलावा निर्यात से जुड़े उद्योगों में बड़ी संख्या में बाल मजदूर लगे हुए हैं। तस्करी, गुलामी, शोषण और उत्पीड़न के शिकार मासूम बच्चे होते हैं। फुटबाल की सिलाई करते उनकी

उंगलियों से रिसने वाले खून, अभ्रक की खदानों में धंस रहे मासूम बच्चों की निकल रही निरीह चीखें गलीचों में धागे के साथ बुने गए बचपन, पटाखा फैक्ट्रियों में धमाकों में बिखरे मासूमों के बचपन ज़री एवं वस्त्र उद्योग के कारखानों में बच्चों की घुटन की कीमत पर मालामाल होती विदेशी कंपनियां अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाती हैं।

विरोधाभास तो यहां तक है कि जिन सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों का दायित्व बाल श्रमिकों को बाल श्रम से मुक्ति दिलाने का है, उन्हीं के घरों में बाल श्रमिक सबसे ज्यादा घरेलू नौकरों के रूप में पाए जाते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि बाल श्रम को गहराई से समझने की, बचपन बचाने के लिए उस संवेदनशीलता की जरूरत है, जो अंतर्मन में दया भाव उपजाती है, साथ ही बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम का कड़ाई से पालन करने की है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि पिछली लोकसभा के लंबित बाल श्रम प्रतिषेध संशोधन अधिनियम शीघ्र सदन में ला कर उसे पारित करने का सहयोग करें।

माननीय अध्यक्ष : श्री शिवकुमार उदासि, डॉ. संजय जायसवाल, श्री देवजी एम. पटेल, डॉ. किरिट पी. सोलंकी और श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत अपने आपको डॉ. विरेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध करते हैं।

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam Speaker, I want to put the record straight what Sudip Bandyopadhyayji has said, this Government believes in 'Sarva Dharma Sambhava'.… (*Interruptions*) The hon. Prime Minister visited Pashupatinath Temple. He has also given his greetings to the whole Muslim community across the country. It has been widely published. I want to put it on record that we believe in 'Sarva Dharma Sambhava'.… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 1230 hours.

… (*Interruptions*)

12.14 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty-Minutes past Twelve of the Clock.

12.30 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes past Twelve of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

… (*Interruptions*)

STATEMENTS BY MINISTERS….Contd.

(iii) India's stand in WTO*

HON. SPEAKER: Now, Item No. 15 – Shrimati Nirmala Sitharaman to make a Statement regarding India's stand in the WTO.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam, this Statement regarding India's stand in the WTO is an important Statement. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: That is what I am saying. It is slated to be taken up at 12.30 p.m.

Now, Shrimati Nirmala Sitharaman.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Let the Statement regarding India's stand in the WTO be made. The House will be benefited by knowing what has happened in the WTO. It is an important Statement. … (*Interruptions*)

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : माननीय अध्यक्ष जी, हमें भी एक मौका दे दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : दे दूंगी। आज की कार्यसूची में 12.30 बजे उनका स्टेटमेंट नोटेड है। पहले स्टेटमेंट होने दीजिए।

…(व्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Shri Kharge ji, let the Statement be made now. It is a very important Statement. The House should know what has happened in the

---

* Placed in Library, See No.LT 580/16/14.

international forum about the future of the country, interest of the farming community, etc.

HON. SPEAKER: Now, Shrimati Nirmala Sitharaman.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Thank you, Madam, for giving me this opportunity. Madam, through you, I would like to seek the indulgence of all the Members because my intention is to give an elaborate Statement. It might be a bit longer than what ideally it should be but kindly bear with me.

I am making this intervention in the House today in order to place before the Hon'ble Members the facts relating to the stand taken by India in the World Trade Organization (WTO) recently.

The Bali Ministerial Declaration was adopted on 7th December, 2013 on conclusion of the Ninth Ministerial Conference of the WTO in Bali. Ministerial Decisions were adopted on ten issues relating to the Doha Development Agenda which is the agenda for the unfinished Doha Round of trade negotiations, underway in the WTO since 2001.

Amongst these Ministerial Decisions, two are of particular significance - the Ministerial Decision for an Agreement on Trade Facilitation and the Ministerial Decision on Public Stockholding for Food Security Purposes. … (*Interruptions*)

Madam, some other sound is also coming through headphone. I am having difficulty in reading. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: हां, हिन्दी ट्रांसलेशन आ रहा है। मुझे भी सुनाई दे रहा है। हिन्दी ट्रांसलेशन जोर से सुनाई दे रहा है। आप लोग चैक कर लीजिए।

…(व्यवधान)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : इसका सरकार से कुछ लेना-देना नहीं है।...(व्यवधान)

SHRI E. AHAMED (MALAPPURAM): Madam, we are getting simultaneously the speech as well as its Hindi interpretation on the headphone. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Madam, you can continue now.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: The Trade Facilitation Agreement is basically aimed at greater transparency and simplification of customs procedures, use of electronic payments and risk management techniques and faster clearances at ports. We have autonomously taken several similar measures such as the 'Indian Customs Single Window Project' announced in the Budget 2014-15 to facilitate trade, under which importers and exporters will be able to lodge documents at a single point, reducing interface with Governmental agencies, dwell time and the cost of doing business.

The Protocol of the Trade Facilitation Agreement (TFA) was to be adopted by 31st July, 2014 by the WTO. After this, the Agreement would automatically come into force from 31st July, 2015 if ratified by two-thirds of the members of the WTO.

In contrast to their efforts on Trade Facilitation in the WTO, some developed countries have been reluctant to engage on other issues.

Seeing the resistance to taking forward the other Decisions, the apprehension of developing countries was that once the process of bringing the Trade Facilitation Agreement into force was completed, other issues would be ignored, including the important issue of a permanent solution on subsidies on account of public stockholding for food security purposes.

India, therefore, took the stand that till there is an assurance of commitment to find a permanent solution on public stockholding and on all other Bali deliverables, including those for the Least Developed Countries (LDCs), it would be difficult to join the consensus on the Protocol of Amendment for the Trade Facilitation Agreement.

Without a permanent solution, public stockholding programmes in India and other developing countries will be hampered by the present ceiling on domestic support which is pegged at 10 per cent of the value of production and is wrongly considered as trade-distorting subsidy to farmers under existing WTO rules. The existence of such a subsidy element is determined by

comparing present day administered prices with fixed reference prices of the 1986-88 period which is unrealistic.

The problem is a very real one. Developing countries are finding themselves hamstrung by the existing rules in running their food stockholding and domestic food aid programmes. The developed world too had market price support programme and was able to move away from such support -- though not fully even now -- because of their deep pockets. This is not possible for developing countries. It is important for developing countries to be able to guarantee some minimum returns to their poor farmers so that they are able to produce enough for themselves and for domestic food security.

Developed countries continue to have large entitlements to provide support to farmers. These would have been cut in the Doha Development Round which unfortunately remains unfinished. Had this Round, which has development at its core, concluded as per the agreed timelines and its development agenda, the world would have had an outcome in a single undertaking in which competing interests could have been balanced. Today, developing countries are fighting to keep the negotiations focused on development against the single-minded mercantilist focus of most of the rich developed world on market access issues.

Overall balance is important even in a limited package of outcomes. The Bali outcomes were negotiated as a package and must be concluded as such.

It is regrettable, indeed, that today the WTO is unable to agree even to fast track negotiations on an issue of such importance to millions of subsistence farmers across the developing world, while the rich world can continue to subsidize their farmers unabatedly.

The matter came up for discussion in the margins of BRICS Trade Ministers meeting in Brazil on 14th July and the G20 Trade Ministers meeting in Sydney on 19th July. It was also raised by the representatives of some countries in their interactions with the Indian Government. On each occasion, I explained that India is a signatory to the Bali Decisions, including Trade Facilitation and is not standing in the way of its implementation but is seeking an equal level of

commitment and progress in working on the issues of public stockholding which affects the country's livelihood and food security. A permanent solution on food security is a must for us and we cannot wait endlessly in a state of uncertainty while the WTO engages in an academic debate on the subject of food security which is what some developed countries seem to be suggesting before they are ready to engage on this important issue.

Food security is a humanitarian concern especially, in these times of uncertainty and volatility. Issues of development and food security are critical to a vast swathe of humanity and cannot be sacrificed to mercantilist considerations.

` Developing countries such as India must have the freedom to use food reserves to feed their poor without the threat of violating any international obligations. This is our sovereign right. It is our duty to protect our citizens' fundamental rights to life and livelihood.

Agriculture is the mainstay of the Indian population. In a country of the size of India with 60 per cent of our population dependent on a relatively unremunerative agriculture sector, we cannot give up administered prices. This is the only way we can procure food for the Public Distribution System (PDS), the central pillar on which our efforts to ensure food security, rest. Public stockholding is a widely used means to ensure food security in many developing countries where agriculture is largely rainfed.

We have to look after both consumer and producer interests. We have to enable our people to live a life of dignity by ensuring access to an adequate quantity of quality food at affordable prices.

On 25 July 2014, India made a statement in the WTO General Council conveying, *inter alia,* that the adoption of the Trade Facilitation Protocol must be postponed till a permanent solution on public stockholding for food security is found.

India offered suggestions—I reiterate—India offered suggestions-on the procedure to be followed in order to ensure time-bound delivery of an outcome on

public stockholding for food security. We also urged that a similar approach be adopted on all other elements of the Bali Package notably the LDC issues.

The integrity of India's stand is reflected in our unwavering efforts to offer a way forward in the face of criticism. Even on 31 July 2014, India offered a way to achieve not only a permanent solution on the issue of public stockholding for food security but also to implement the Trade Facilitation Agreement in the agreed timeframe as well as deliver favourable outcomes for LDCs.

We have offered practical suggestions for the way forward. The issue of a permanent solution on the public stockholding is a simple one that can be addressed very easily as there are already several proposals on the table. A solution to this simple problem will be a tremendous relief for millions of our farmers and poor consumers.

However, despite India's efforts, our concerns were not satisfactorily addressed.

The Director General of the WTO reported to an informal meeting of the Trade Negotiations Committee on 31 July 2014 that a solution could not be found to bridge the gap.

The General Council meeting was, thereafter, formally declared closed without adopting the Trade Facilitation Protocol.

India stood firm on its demands despite immense pressure. The Government of India is committed to protecting the interests of our farmers against all odds. Our farmers work in extremely adverse conditions, most of them at the mercy of the vagaries of the monsoon, aggravated today by climate change. For farmers in many developing countries farming is a subsistence activity, not a commercial one. We are committed to their welfare and I am grateful for the support and understanding extended by farmers' organizations in this issue.

I am also thankful to the hon. Members of Parliament, many civil society groups and academicians who have lent their voice in support of the Government's efforts to ensure a fair deal.

It is evident from the expressions of support that India's stand has resonated across the world and I take this opportunity to also thank the countries that have stood by India in the WTO.

India is an unwavering votary of the multilateral trading system and we reiterate our commitment to the WTO. We continue to believe that it is in the best interest of developing countries, especially the poorest, most marginalized ones among them and we are determined to work to strengthen this institution. The timely correction of any imbalances or anomalies in the working of the system or its rules is critical to ensure that the WTO works impartially and fairly in the interest of all its members and not just a select few.

And, finally, hon. Members and the Chair, I am confident that India will be able to persuade the WTO Membership to appreciate the sensitivities of India and other developing countries and see their way to taking this issue forward in a positive spirit. This would be a major contribution by this institution towards meeting the global challenge of food insecurity and would convey a strong message that the WTO is genuinely committed to the cause of development.

PROF. K.V. THOMAS (ERNAKULAM): Hon. Speaker, the previous Government has also taken the same stand on this aspect.

माननीय अध्यक्ष : शून्य काल कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको बोलने का मौका मिलेगा।

…(व्यवधान)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : अध्यक्षा जी, यौन उत्पीड़न का एक बहुत ही संगीन मामला सबके सामने आया है। एक महिला जज जो कि अपर ज्यूडिशरी में सैशन जज है, हाई कोर्ट के जज द्वारा उनका यौन उत्पीड़न किया गया है। …(व्यवधान) एक ऐसा स्थल जो कि हम सब के लिए पूजनीय है, जितनी संसद पूजनीय है, उतनी ही कोर्ट-कचहरी हम सबके लिए पूजनीय है। मुझे लगता है कि जो हमारी संस्कृति है और जो हमारे देश का संविधान है, उसके मुताबिक महिलाओं को आर्टिकल 14 के तहत, अपने जीवन का और अपने कार्य को अधिकार है और ऐसे में, right to work, right to life of a woman has been affected and the State has a right to protect such officers. अगर इस तरह की चीज़ें ऐसी पूजनीय स्थल पर होंगी तो महिलाएं अपने आप को कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी। मैं सरकार का ध्यान, कोर्ट-कचहरी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ और हमारी संस्कृति में एक श्लोक है

> " यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः
> यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते स्र्वास्तत्राफलाः क्रियाः"

जहां पर नारी की पूजा होती है, वहां पर देवता वास करते हैं। लेकिन जहां पर नहीं होती, वहां पर फल भी निष्फल हो जाता है। कोर्ट-कचहरी का कोई लाभ नहीं है, अगर महिलाएं अपने आप को उस जगह पर सुरक्षित नहीं पाएंगी, and people, who are supposed to dispense justice, are engaging themselves in such a shameful act. I call for its condemnation. I want to bring this incident to the notice of this House. It is a condemnable act and I think everyone must support for this particular cause. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.पी.चौधरी, श्री एम.बी.राजेश, श्री पी.के.बिजू, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश एवं श्रीमती जयश्रीबेन पटेल स्वंय को श्रीमती मीनाक्षी लेखी के विषय के साथ संबद्ध करते हैं।

अधीर रंजन जी, आप क्या कह रहे हैं?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप इसी विषय पर बोलेंगे?

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, वह बात तो हो गई है। लेकिन जो बन्दोपाध्याय जी ने सवाल उठाया था। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने एक जनरल बात कही थी।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, चौधरी साहब भी वही बात कर रहे थे। ...(व्यवधान) सडनली वह बीच में अधूरी रह गई ...(व्यवधान) आप उनको एलाऊ कर दीजिए, उसके बाद में आप निर्णय ले सकते हैं कि उसको चर्चा में लाना है या नहीं लाना है। ...(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam, over the centuries, Indian civilization has been preaching to the people of the world 'Live and Let Live'. हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी सत्ता में आये हैं, यह बड़ी बात है। ...(व्यवधान) वे पशुपति से लेकर तिरूपति तक कहीं भी जायें, कोई आपत्ति नहीं है।...(व्यवधान) जितना भी हो सके उतना घी जलायें, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आजादी के बाद हमारे हिन्दुस्तान में हर प्रधानमंत्री ने एक रिवाज बनाया था कि हिन्दुस्तान में जब रमजान महीना होगा,...(व्यवधान) तो रमजान महीने में एक इफ्तार पार्टी का इन्तजाम किया जायेगा।...(व्यवधान) खासकर अटल बिहारी वाजपेयी जी यह रिवाज मानते आ रहे थे, लेकिन इस बार क्या हो गया कि ...(व्यवधान)*

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) ...**

माननीय अध्यक्ष : ऐसी पर्सनल बातें रिकॉर्ड में नहीं जायेंगी। I am sorry.

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: No, I am sorry. श्री राजेन्द्र अग्रवाल जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) ...**

माननीय अध्यक्ष : यह तरीका नहीं है। आपको पार्टी चाहिए तो उनसे जाकर मांगिये।

...(व्यवधान)

---

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.के. बिजू और श्री एम.बी. राजेश अपने आपको श्री अधीर रंजन चौधरी जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

…(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): महोदया, आपने मुझे अत्यन्त चिंताजनक विषय के ऊपर बोलने की अनुमति प्रदान की है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है?

…(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : मैं इस बात को यहां रख रहा हूं तो मैं खुद बहुत दुखी और चिंतित हूं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हां, हमें मालूम है कि रमजान का महीना है।

…(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : और मुझे लगता है कि सारी घटना सुनकर यह सदन भी चिंतित होगा और कुछ मात्रा में शर्मसार भी होगा।…(व्यवधान) मेरे क्षेत्र के अन्दर खरखौदा थाने के अन्तर्गत 27 तारीख को एक लड़की का अपहरण हुआ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट आप रूकिए। अधीर रंजन जी, आप एक बात समझिए। जो बात उन्होंने कही है कि सबको समानता होनी चाहिए और वही बात माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी दोहरायी है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, मेरी बात सुनिए। आप भी उसी तर्ज पर बोलते तो मैंने आपको बोलने का मौका दिया था, लेकिन इफ्तार पार्टी मांगने का यह स्थान नहीं है। I am sorry. That is why, I will not allow.

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र अग्रवाल जी, आप आगे बोलिए।

…(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : महोदया, धन्यवाद। पिछली 27 जुलाई को एक लड़की का अपहरण हुआ। …(व्यवधान) उसकी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी।…(व्यवधान) 29 तारीख को केवल रिपोर्ट दर्ज की गयी। …(व्यवधान) 3 अगस्त को वह लड़की एक स्थान से अपने को छुड़ाकर आयी, वह भागकर आयी। …(व्यवधान) उसने जो विवरण बताया, वह बहुत चिन्ताजनक है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सिर्फ श्री राजेन्द्र अग्रवाल जी की बात ही रिकार्ड में जाएगी।

…(व्यवधान)

12.54 hrs.

At this stage, Shri Rajesh Ranjan and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : पास के गांव के एक प्रधान ने उसका अपहरण किया।...(व्यवधान) चार-पांच दिन उसे अपने घर में रखा। उसकी पत्नी और पास के एक मदरसे के हाफिज की सहायता से उसके साथ गैंगरेप हुआ।...(व्यवधान) उसको उसके बाद मुजफ्फरनगर के एक अन्य मदरसे में ले जाया गया।...(व्यवधान) मदरसे का दुरूपयोग किया गया।...(व्यवधान) उसी लड़की ने आकर यह बताया कि इस प्रकार की 40-50 लड़कियां वहां पर और भी हैं।...(व्यवधान) उस लड़की की जो गर्भनाल है, उसे निकाल लिया गया।...(व्यवधान) उसके साथ गैंगरेप हुआ, उसकी गर्भनाल निकाल ली गयी।...(व्यवधान) और कोई कार्रवाई करने में वहां के प्रशासन ने बहुत विलम्ब किया, 10 बजे से वह लड़की वहां पर थी, मेरे पहुंचने के बाद, अन्य जनप्रतिनिधियों के पहुंचने के बाद एफआईआर दर्ज हुयी।...(व्यवधान) इस बीच में जो मुजफ्फरनगर का संबंधित मदरसा था, वहां पर छापा मारा गया।...(व्यवधान) उसको संभवतः पहले सूचना दे दी गयी।...(व्यवधान) वहां कोई लड़की बरामद नहीं हुयी।...(व्यवधान)

मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि यह बहुत चिंताजनक बात है।...(व्यवधान) यह ट्रैफिकिंग का मसला भी है।...(व्यवधान) यहां पर वहां की सरकार से जुड़े हुए लोग भी बैठे हुए हैं।...(व्यवधान) हमारा अनुभव यह है कि एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए...(व्यवधान) उससे जुड़े हुए अपराधी यदि कोई अपराध करते हैं, तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच करती है।...(व्यवधान) इसी वजह से कांठ की घटना हुयी है, उसी वजह से सहारनपुर की घटना हुयी है और उसी वजह से यह घटना भी हुयी है। ...(व्यवधान)

महोदया, मेरा निवेदन है कि इस सम्पूर्ण प्रकरण की सीबीआई के द्वारा जांच की जाए।...(व्यवधान) इसमें जो लोग भी संलिप्त हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri M.I. Shanavas, do you want to raise something?

… (*Interruptions*)

SHRI M.I. SHANAVAS (WAYANAD): Madam, I wanted to present an issue before the House, but there is no order in the House. … (*Interruptions*) Since there is no order in the House, I do not want to proceed. … (*Interruptions*)

12.55 hrs

At this stage, Shri Dharmendra Yadav, Shri Gaurav Gogoi, Shri Bhagwant Mann and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान) : अध्यक्ष महोदया, शून्यकाल में एक महत्वपूर्ण लोक महत्व के विषय को उठाने की अनुमति देने के लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। महोदया, वर्ष 2014-15 के बजट में माननीय वित्त मंत्री ने देश के मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जो एक स्वागत योग्य कदम है। इस कार्य के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से मांग करता हूँ कि देश की संस्कृत पाठशालाओं को पुनर्जीवित कर उनका आधुनिकीकरण करने के लिए 1000 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने की अविलंब घोषणा करें। देश में संस्कृत पाठशालाओं की स्थिति दयनीय है। उनके भवन खस्ताहाल हैं। वर्षों से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है । जो शिक्षक कार्यरत हैं, उन्हें महीनों तक वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है। संस्कृत हमारी संस्कृति की मूल है। यह देवभाषा है। यह प्राचीन होने के साथ साथ आधुनिक और वैज्ञानिक भी है तथा कंप्यूटर के माध्यम से शोध करने के लिए सर्वथा उपयुक्त भी है। यही कारण है कि अमेरिका की सर्वोच्च वैज्ञानिक संस्था 'नासा' में इस भाषा पर शोध-कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही इंग्लैंड, यूरोप के अलावा दुनिया के अनेक विकसित देशों में इस पर शोध कार्य चल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अपने ही देश में यह भाषा मरणासन्न पड़ी हुई है। यूपीए की सरकार ने तो इस भाषा को पूरी तरह से समाप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ...(व्यवधान)

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : कल एक बयान में कहा है कि ...[*]मैं आपके माध्यम से ऐसे मुख्य मंत्री पर कार्रवाई की मांग करता हूँ। झारखंड राज्य के मुख्य सचिव ने प्रैस वार्ता करके यह बयान दिया है कि राज्य का मुख्य मंत्री राजनैतिक हस्तक्षेप कर रहा है, इसलिए उस राज्य के अंदर एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। वहाँ के अपराधी बेलगाम हो गए हैं, राज्य सरकार के प्रोत्साहन से उन्हें खुली छूट है। राज्य सरकार का मुखिया मुख्य मंत्री और वहाँ के चीफ सैक्रेटरी अखबारों के माध्यम से एक-दूसरे के आमने सामने हैं। इसलिए आज जब भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ विरोध प्रदर्शन करना चाहा है तो सुबह से वहाँ लाठियाँ चल रही हैं, आँसू-गैस छोड़ी जा रही है। राज्य भर से आने वाले कार्यकर्ताओं को जगह-जगह रोककर वहाँ पीटा जा रहा है। झारखंड में कानून का राज समाप्त हो चुका है इसलिए मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि झारखंड पर विशेष चर्चा हो और झारखंड की सरकार को बर्ख्वास्त किया जाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय का नाम श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध किया जाता है।

---

[*] Expunged as ordered by the Chair.

The House stands adjourned to meet again at 2 o'clock.

… (Interruptions)

12.58 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

<u>14.01 hrs</u>

The Lok Sabha re-assembled at One Minute past Fourteen of the Clock.

(Shri Arjun Charan Sethi *in the Chair*)

… (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, please allow me to speak one sentence. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Ashwini Kumar Choubey:

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: 'Zero Hour' is over.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : It is not a 'Zero Hour' issue, Sir. For the last few days, we have been putting forward our submission for consideration that we should be allowed to raise a discussion on 'communal violence' under Rule 193. … (*Interruptions*)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): Why is this special dispensation to him, Sir? … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, the time for raising such issues is over.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Hon. Chairman, Sir, we have heavy business. We have been discussing 'drought and flood' for the last two days. I would urge the Chair and also the House to take that up and complete it within one-and-a-half hours or two hours. Then, we have to take up SEBI and we also have other business. Hon. Members can bring any other issue to the notice of the Chair which can then be discussed in the Business Advisory Committee also. So, please take up the next item 'drought and flood'. … (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, I am not raising any issue. I am simply saying that from our Party, we have already forwarded a submission with a request that a discussion on 'communal violence' may be considered. It needs to be considered. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : What is this, Sir? You are not allowing me to speak one sentence. On behalf of our Party, for days together, we have been submitting a request. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You have already spoken. Please sit down.

… (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : What is this, Sir? … (*Interruptions*) It is better if the Government says that we should not come to the House. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You have already spoken for more than a few seconds.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Now, we shall take up Matters under Rule 377.

14.02 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i)Need to ban vulgar commercial advertisements in print and electronic media in the country

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : महोदय, आपने नियम 377 के तहत मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय, देश के कोने-कोने में इन दिनों अधिकतर विज्ञापन अर्द्धनग्न एवं कामोत्तेजक अवस्था में दिखा कर अपने-अपने उत्पादों के प्रति आकर्षित किया जाता है, चाहे वह प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रोनिक मीडिया। इससे हमारे समाज पर बुरा असर पड़ रहा है। परिवार के छोटे-बड़े सदस्य एक साथ मिल कर टीवी देखने में उस समय संकोच करते हैं, जब बीच-बीच में उस तरह का अर्द्धनग्न, भद्दा विज्ञापन दिखाया जाता है। किसी नारी को अर्द्धनग्न अवस्था में दिखाना नारी समाज के लिए अपमानजनक बात है। साथ ही 'यत्र नारयस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता' जैसी वैदिक मान्यताओं को भी कलंकित करता है।

महोदय, विज्ञापन ऐसा होना चाहिए, जिससे उत्पादों का प्रचार-प्रसार भी हो तथा परिवार और समाज पर इसका अच्छा असर पड़े, इससे उत्पादों के प्रति भी निश्चित रूप से विश्वास और भरोसा होगा। अतएव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ऐसे अर्द्धनग्न विज्ञापनों पर अविलम्ब रोक लगाए, जिससे समाज के हर किसी के मन-मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव पड़े। 'देवघर काँवरिया मेला', जिसमें देश-विदेश के लाखों तीर्थयात्री आते हैं, साथ ही धार्मिक मेले आदि अन्य आयोजनों में भी सड़क, चौक-चौराहों पर इस प्रकार के अश्लील विज्ञापन लगाये जाते हैं, जिस पर अविलम्ब पाबन्दी लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की जाए।

(ii) Alleged financial irregularities committed by Delhi and District Cricket Association

SHRI KIRTI AZAD (DARBHANGA): Delhi and District Cricket Association has illegally occupied land in Delhi for the purpose of promoting cricket. DDCA organizes unauthorized commercial tournament IPL on non-leased land, which is not in existence since 2002. While no Government property can be sub-leased, DDCA has illegally constructed 10 corporate boxes in 2005 and has collected 36 crore having leased these boxes illegally for 10 years to corporates such as ONGC and Gannon Dunkerley & Company Limited. There is a rampant evasion of entertainment tax by under-pricing a large number of tickets at a mere Rs. 100 while other spectators have to pay Rs. 10, 000 to Rs. 30,000 per seat, causing a loss of Rs. 5 crore per match. The Government should take immediate steps to recover Rs. 36 crore and entertainment tax that has not been paid to the Government for every IPL match over the last 7 years by the DDCA. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : Shri Thupstan Chhewang – not present.

… (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, I want to say something. Please allow me to speak. … (*Interruptions*)

(iii) Need to take urgent steps to curb criminal activities by gangs of dacoits active in Banda Parliamentary Constituency

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : माननीय सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बांदा-चित्रकूट में काफी समय से डकैतों का प्रभाव रहा है।...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इनामी डकैत बलखड़िया मेरे ही संसदीय क्षेत्र का निवासी है और यह वहां बहुत ही सक्रिय है।...(व्यवधान) इसके अलावा छोटे-छोटे दर्जनों ऐसे डाकू गैंग हैं जो आये दिन क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों के ठेकेदारों से जबरन धन वसूली, फिरौती एवं हत्याएं कर रहे हैं।...(व्यवधान) केन्द्र सरकार की अधिकतर विकास योजनाएं इन डकैत गिरोहों के कारण बन्द पड़ी हैं।...(व्यवधान)

अभी पिछले दिनों ही बलखड़िया गैंग द्वारा मानीकपुर थानान्तर्गत एक पकड़ की गयी।...(व्यवधान) उसके ठीक दूसरे दिन डकैत गौरी यादव गैंग द्वारा तमाम लोगों को पकड़कर उन से जबरन वसूली की गयी है। क्षेत्र में चलने वाले स्टोन क्रेशर एवं मिल मालिकों से बाकायदा माहवार धन वसूली की जाती है। यदि उन्हें चाही गयी रक़म नहीं मिलती है तो वहां काम बन्द करवा दिया जाता है। ये गिरोह चुनाव प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं।

चित्रकूट जिले के आदिवासी बहुल गांव ददरी, मड़ईयन, रूकमा, सोसाइटी कोलान, मारकुंडी, बहिलपुरवा, टिकरिया, सकरउवां, चमरउवां, मानपुर, बंदरी, खमरिहा, सिलखोरी, घुरेटनपुर, अनुसूइया आश्रम और सीमावर्ती मध्य प्रदेश के थरपहाड़, टिकरी, नरही तथा बांदा जिले के दस्यु प्रभावित क्षेत्र महुई, कुलसारी, गोबरी, पियार, कारूबाबा, सन्तूपुर, नीबी, बेरौना, संग्रामपुर, बघेलाबारी आदि में दस गिरोहों का बड़ा भारी आतंक है। यहां तक कि गांव के लोगों को 35 मटका पानी, क्योंकि उस गैंग में 35 लोग हैं, इसलिए प्रति व्यक्ति एक-एक मटका पानी भिजवाना पड़ता है।

अस्तु इस लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग करता हूं ताकि जनमानस को राहत मिल सके।

माननीय सभापति : श्री राम कृपाल यादव।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय, मुझे बस एक सेन्टेन्स बोलने दीजिए।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The Minister for Parliamentary Affairs has already stated on the floor of the House that we have to first complete Matters under Rule 377. … (*Interruptions*)

(iv) Need to start operation of Trauma Centre at Bikram in Patna District, Bihar

श्री राम कृपाल यादव (पाटलीपुत्र) : महोदय, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 2002 में पूरे हिन्दुस्तान में छः ट्रॉमा सेन्टर खोलने का निर्णय लिया था।...(व्यवधान) बिहार के पटना जिले के विक्रम में भी एक ट्रॉमा सेन्टर स्थापित किया जाना था।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: After 377, I will give allow you to speak.

श्री राम कृपाल यादव : इस सेन्टर की स्थापना पर भी लगभग 11 करोड़ रुपये खर्च किये गए। भवन तैयार है। अत्याधुनिक उपकरण लगे हुए हैं, परन्तु ट्रॉमा सेन्टर अभी तक शुरू नहीं किया जा सका है क्योंकि उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है और न दक्ष तकनीशियनों की बहाली हुई हैं जो अत्याधुनिक मशीनों को चला सकें। एक दशक बीत जाने के बाद भी यह ट्रामा सेंटर कार्यशील नहीं हो पाया है। विगत वर्षों में तत्कालीन सरकार के समक्ष भी यह मामला उठाया गया था, परन्तु स्थिति जस की तस बनी हुई है। चिन्ता इस बात की है कि जो महंगी मशीनें वहां लगी हुई हैं, वे भी कहीं इन दस-बारह सालों में बिना उपयोग के ही खऱाब तो नहीं हो गई होंगी?

यह सेंटर एनएच 98 और एनएच दो के नजदीक है। इस सड़क पर आए-दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें कई लोग तुरंत इलाज के अभाव में मर जाते हैं, क्योंकि पीएमसीएच की दूरी वहां से 40 से 45 किलोमीटर है। अगर इस ट्रामा सेंटर को पटना एम्स से जोड़ दिया जाए तो काफी राहत होगी तथा कई लोगों की जान बचेगी। पटना एम्स के निदेशक ने भी इस सेंटर को जाकर देखा था। वे इस बात से सहमत भी थे।

अत: केन्द्र सरकार से मेरी मांग है कि विक्रम ट्रामा सेंटर को पटना एम्स से संबद्ध करते हुए डाक्टर और टैक्नीशियनों की नियुक्ति कर कार्यशील बनाया जाए। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON : Shri Ravinder Kushawaha – Not present.

(v) Need to provide funds for promotion of Kannada language.

*SHRI KARADI SANGANNA AMARAPPA (KOPPALA) :Sir, I would like to draw the attention of the House towards 'Kannada language' which is my mother tongue. It is one of the ancient Indian languages. Kannada is a very attractive and also a creative language. Kannada words were first found in the Halmidi inscription of 5th century A.D. The first Kannada Work 'Kavirajamarga' was written in 9th century A.D. The contributions of great poets Pampa, Ponna, Ranna, Raghavanka and Kumarvyasa to Kannada literature has made it a great language in the world.

Kannada has also made significant contribution to the modern Indian literature. It has received 8 Jnanapeeth awards so far. It is the reflection of the richness of Kannada literature and language. Kannada language has produced 3 Rashtrakavi (National Poets) in our country. Government of India has accorded classical language status to 6 Indian languages including Kannada.

In the year 2011 Kannada language was accorded classical status. However no special facilities or financial assistance is given for the development and promotion of this language. Therefore, I would like to request the centre to release the funds required for the development of Kannada language and issue instruction to the State Government to utilize the funds properly. I humbly request the Union Government to join hands with the people of Karnataka to promote Kannada language and literature.

---

*English translation of the speech originally delivered in Kannada.

(vi) Need to establish a Navodaya Vidyalaya in Hapur, Uttar Pradesh.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। नवोदय विद्यालयों की योजना का शुभारम्भ वर्ष 1986 में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चों का चयन कर उन्हें गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करना था। इन आवासीय विद्यालयों ने विद्यालयीन शिक्षा के क्षेत्र में अपने आपको अत्यंत उपयोगी सिद्ध किया है। विशेषकर आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के प्रतिभाशाली बालकों के लिए यह योजना वरदान सिद्ध हुई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जनपद में कम से कम एक नवोदय विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 2011 में सृजित उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में कोई नवोदय विद्यालय अभी तक नहीं है।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि क्षेत्र के बच्चों की आवश्यकता को देखते हुए हापुड़ में अतिशीघ्र एक नवोदय विद्यालय की स्थापना करने का कष्ट करें। .

(vii) Need to improve passenger facilities at Ghatshila Railway Station in Jamshedpur Parliamentary Constituency

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर (झारखंड) के अन्तर्गत घाटशिला स्टेशन और घाटशिला स्टेशन परिसर में व्याप्त बदहाली और अव्यवस्था के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

घाटशिला स्टेशन तक अनुमंडल मुख्यालय स्टेशन है, जहां से करीब 2500 से 3000 से अधिक यात्री दैनिक आवागमन करते हैं और रेलवे को टिकट बिक्री से करीब 1.50 लाख से 1.60 लाख रूपयों की राजस्व की प्रतिदिन प्राप्ति होती है। विदित हो कि इस स्टेशन को मॉडल स्टेशन का दर्जा मिला है, लेकिन स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का घोर अभाव है, बरसों पुराने लगे शैड जर्जर हो गए हैं, इससे पानी लीकेज होता है। स्टेशन परिसर के बाहर के हालात भी अच्छे नहीं हैं, जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण हल्की बारिश होने पर भी भारी जल-जमाव हो जाता है। यहां वर्षों से जल निकासी के लिए नाली के निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। स्टेशन की विभिन्न समस्याओं को लेकर सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया गया है, इसके बावजूद भी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया गया है। अतः आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि शीघ्र ही इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करते हुए घाटशिला स्टेशन को नवीनतम एवं पूर्ण व्यवस्थित करने हेतु दिशा-निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

(viii) Need to improve compensation and jobs to farmers whose lands were acquired for setting up power plant in Devli in Wardha Parliamentary Constituency

श्री रामदास सी. तडस (वर्धा) : महोदय, आपसे आग्रहपूर्वक कहना है कि मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा के मेरे निवास स्थान देवली में एशिया का सबसे बड़ा पॉवर ग्रिड का पॉवर प्लांट है। इस पॉवर प्लांट का निर्माण 7 वर्ष पहले हुआ था एवं इसके निर्माण हेतु जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गयी थी, उन्हें आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है। कई किसानों की संपूर्ण जमीन प्लांट हेतु अधिगृहीत की गयी और उन्हें नौकरी भी नहीं दी गयी है।

महोदय, किसानों की जमीन पर दो से सात बड़े-बड़े टावर लगाये गये हैं, जिस कारण खेत में खेती नहीं हो पा रही है। किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। कई मजदूरों की खेत में काम करते समय मृत्यु भी हो गयी है।

अतः आपके माध्यम से मैं ऊर्जा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि संसदीय क्षेत्र वर्धा के देवली में लगे पॉवर ग्रिड के पॉवर प्लांट के निर्माण में जो-जो किसान प्रभावित हुए हैं, उन्हें मुआवजा एवं जिनकी पूरी जमीन अधिगृहीत की गयी है, उन्हें नौकरी देने की कृपा करें, जिससे कि प्रभावित परिवार अपना जीविकोपार्जन कर सके।

(ix) Need to ensure welfare of poor athletes who won laurels for country at international events

SHRI HARISH MEENA (DAUSA): Sir, I wish to draw the attention of this august House towards the pathetic condition of athletes in this country.

There are two tribal athletes from Rajashtan, Shyam Lal Meena and Limba Ram, who won gold medals in the Asian Games, and are living a miserable life.

I, therefore, urge the Government of India to ensure the welfare of poor international athletes, who have won medals for the country at international events.

(x) Need to sanction setting up of sewage treatment plant in Ludhiana City to ensure cleanliness of Buddha Nullah, a seasonal water stream in Malwa region of Punjab

SHRI RAVNEET SINGH (LUDHIANA): Sir, Buddha Nullah is a seasonal water stream which runs through the Malwa region of Punjab and after passing through highly populated Ludhiana City it drains into Sutlej River. The water of the stream is polluted after it enters Ludhiana city. Buddha Nullah used to be a fresh water channel with about 56 types of fish species prior to 1964. Now it has no fish because of the high level toxicity in the water. It is now an open sewer rather than a stream. Once an asset to the city, the Nullah is now a source of public nuisance and poses a serious health hazard.

Ludhiana, a megacity, has no sewage treatment plant of required capacity. Untreated domestic and industrial sewage of the city is emptied into the Buddha Nullah. The nullah in turn empties into the mighty Sutlej flowing nearby. Hundreds of tonnes of raw sewage from Ludhiana flows into the Sutlej every day and is distributed all over the State through irrigation canals. This polluted water is in turn used for growing food crops, vegetables and fruits and is a known carrier of diseases.

A joint study by Post Graduate Institute of Medical Education & Research and Punjab Pollution Control Board in 2008 revealed that in villages along the Nullah calcium, magnesium, fluoride, mercury, beta-endoSulphan and heptachlor were more than permissible limit in ground and tap waters. Plus the water had high concentration of chemical and biochemical oxygen demand, ammonia, phosphate, chloride, chromium, arsenic and chiorpyrifos. The ground water also contains nickel and selenium, while the tap water has high concentration of lead, nickel and cadmium. According to Punjab Pollution Control Board, the nullah water requires a sewage treatment capacity of at least 150 million imperial gallons (680,000 m3) per day for treatment. In 2010, water samples taken from the Nullah,

showed heavy metal content such as silver, manganese, nickel, lead, aluminium and Iron as quite high. Presence of uranium in high quantities in waters is the main cause of cancer in the region.

In order to permanently clean the waters of Buddha Nullah, I request the Government to sanction setting up of a new sewerage treatment plant of required capacity in Ludhiana city. Secondly, necessary financial assistance may kindly be provided to the industries for installing water treatment plants within their premises.

(xi) Need to establish two Kendriya Vidyalayas in North Chennai Parliamentary Constituency

SHRI T.G. VENKATESH BABU (CHENNAI NORTH): Sir, North Chennai is one of the biggest Lok Sabha constituencies in Tamil Nadu. All classes of people working in various Central/State Government organizations, defence forces, PSUs, MNCs, industrial establishments and below poverty line are living here. Though this Constituency is part of Chennai Metropolitan city, it is unfortunate that this constituency does not have even a single Kendriya Vidyalaya so far. With the result, people are facing a lot of difficulties and they are deprived of the facility of quality and affordable education. This Constituency has a population of about 30 lakh people.

Union Government has fixed a target of opening 500 new KVs in the country during the XII Plan period (2012-2017). However, no action has been taken to open a KV in North Chennai. Adequate land is available here for setting up of Kendriya Vidyalaya.

Keeping in view the urgency and importance of the matter, I humbly urge upon the Union Government to take necessary steps for opening of at least two Kendriya Vidyalayas at North Chennai, Tamil Nadu at the earliest.

(xii) Need to announce revival package for Jute Sector and also infuse modernisation in the sector

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): Sir, our country is known since long as the best producer of the golden fibre “jute”. West Bengal was among the major producers. Also a number of jute mills are located in West Bengal. Nearly 48 lakh people are involved in the sector.

Reservation of jute bags as packaging material enabled the sector to flourish. Biodegradable jute bags are reusable and environment friendly. However removal of this reservation as mandatory packaging for grain and sugar is devastating lives of 48 lakh people. Government of India should announce revival package for this sector and also modernization efforts may be made in order to make the sector competitive in the international market.

(xiii) Need to give adequate compensation to Odisha in lieu of loss incurred by the State due to reduction in the rate of Central Sales Tax

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, as a move towards implementation of Goods and Services Tax (GST), it was decided to phase out CST over a period of four years with annual reduction of rate by 1%. It was decided by the Government to compensate the State Government towards CST loss till implementation of GST. Accordingly, the CST rate was reduced from 4% to 3% from 1st April, 2007 and from 3% to 2% from 1st June, 2008. Due to uncertainty in implementation of GST, the CST rate continues at 2% till date. The Union Government had been compensating the State Government towards CST loss 2009-10. For the year 2010-11, Odisha has been partially compensated against a loss of assessment of Rs. 664.39 crore, compensation of Rs. 256.17 crore only was given. But since, 2011-12, no compensation is given to the State.

Due to the rate reduction in CST, Odisha is losing about Rs. 1300 crore annually. For a State like Odisha having very low resource base, annual loss of Rs. 1300 crore is substantial. Hence, I would request the Government to fully compensate the State for the CST loss or alternatively restore the CST rate of 4% till implementation of GST.

(xiv) Need to develop Kalyan-Thane-Mumbai Waterway

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Maharashtra has been bestowed with a huge ocean front right from Mumbai onwards. However, apart from waterways such as Mumbai-Alibag and Mumbai-Goa, waterways have not been considered as a viable alternative for regular commutation. As an alternative mode of transport Kalyanj-Thane-Mumbai waterway has an untapped potential to decongest the existing load on transportation. We know that the railways that serve the commuters are overloaded on this section and there is a limited scope for expansion of the same.

Thus, it is time that we consider Kalyan-Thane-Mumai waterway as a suitable answer to the congestion on roads and railways.

- A minimum of four lack commuters travel from Kalyan to Mumbai everyday.
- Mumbai has huge jetties which can handle the waterway traffic.
- Maritime Board has conducted a survey for establishment of Jetties at Talavali, Gothivali, Vashi and Koparkhairane.
- Navi Mumbai has already some Jetties and some are in pipeline.
- Kalyan could be developed as a commuter hub for waterway considering the vast coastline connecting Kalyan-Thane-Mumbai and Navi Mumbai.
- The rural areas connected with Kalyan will be hugely benefited due to waterways as their produce can reach faster to Mumbai markets.
- The load on railways and roads will be reduced so that they can be maintained in better shape.

Sir, through you, I would like to request the Government to look into the matter. We should initiate a further Feasibility Survey for implementation of this waterway. This waterway is going to pave the way for a meaningful gift to be given to lakhs of commuters from my constituency as also from other areas.

(xv) Need for expeditious completion of gauge conversion of railway lines between Palakkad, Kerala and Pollachi, Tamil Nadu

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): I would like to draw the attention of this august House towards a long pending demand of completion of gauge conversion between Palakkad and Pollachi. The work was started in 2008. Though Railways had set timelines several times, they failed to achieve the same. The delay has caused huge cost escalation and consequent financial burden to the Railways. This delay has also caused unfold miseries to the people because this is one of the busiest lines since this connects two States, that is, Kerala and Tamil Nadu. Hence, I urge upon the Government to closely monitor the progress of this project and take immediate steps to ensure that this gauge conversion is completed without any further delay.

(xvi) Need to equip theAIIMS, Patna with all facilities including medical tests and provision for direct connection with AIIMS, Delhi in order to fix dates for doctors' appointment and operation of patients

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : माननीय सभापति महोदय, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में बड़ी संख्या में हमारे बिहार के लोग अपने मरीजों को दिखाने के लिए आते रहते हैं। कभी एक टैस्ट, तो कभी दूसरा टैस्ट कराने में ही कई महीने गुजर जाते हैं। दिल्ली में उनके रहने की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें विकट परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनमें से जो सक्षम हैं, वे तो किसी प्रकार से अपने रहने की व्यवस्था कर लेते हैं, मगर जो गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, वह अपने रहने की व्यवस्था कैसे करें? किसी प्रकार से वह अपने रिस्तेदारों, पड़ोसियों आदि से कर्ज लेकर इलाज के लिए जैसे-तैसे पैसों की व्यवस्था करते हैं। मगर बार-बार अपने मरीज को लेकर दिल्ली टैस्ट कराने आने-जाने में ही उनका सारा पैसा और समय बर्बाद हो जाता है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूँ कि नवनिर्मित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), पटना में ही इस प्रकार की व्यवस्था करवाई जाये, जिससे मरीजों का वहीं पर सभी टैस्ट हो जाये और कम्प्यूटर-नैट के माध्यम से दिल्ली के एम्स से सम्पर्क कर वहीं से ही मरीजों को डॉक्टरों से दिखाने का सही समय और ऑपरेशन इत्यादि कराने की डेट मिल जाये। ताकि बार-बार दिल्ली आने-जाने की समस्या से उन्हें छुटकारा मिल जाये और बेवजह होने वाले आर्थिक नुकसान से भी उन्हें बचाया जा सके।

(xvii) Need to evolve a mechanism to ensure guaranteed income to the farmers to prevent their suicide.

SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): The farmers' suicides for the past three-four years have been declining. However, the number of farmers committing suicides is still high. A large number of farmers are still heavily indebted to money lenders and the Government should have announced some kind of a waiver in this regard. Many steps have been announced by the Government to develop farmer markets, post harvest lending etc. but the pressing issue of farmers' suicides persists. Government provides MSP for a few crops to ensure a minimum income to the farmers for the produce, however, during the times of drought and other natural calamities farmers are left with nothing. The Government should have addressed this issue by coming up with a mechanism of providing guaranteed income to the farmers having no agricultural produce till the next harvest is ready.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I would like to speak only one sentence.… (*Interruptions*) First of all, I benignly say that I got befuddled by observing the intransigence being displayed by this Government. I do not know why the Government is afraid of discussing the issue of communal violence in our country.… (*Interruptions*)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): Sir, I have an objection to this.… (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, the nugget of my contention is that in view of the increasing incidence of communal violence in our country, the Congress Party is very much worried about it and we have put forward the submission to the Chair to discuss the issue of communal violence under Rule 193.

HON. CHAIRPERSON : What is your contention?

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : My contention is that in view of the increasing incidence of communal discord across the country, for which the Congress Party is very much worried, this House should discuss the issue of communal violence. It cannot be over-emphasised to say that our country is strong because we maintain communal harmony in our country. So, this issue may be considered for discussion. If you allow the discussion on this issue right now, we will be highly obliged to you. … (*Interruptions*)

14.33 hrs.

DISCUSSION UNDER RULE 193

Flood and drought situation in the country – Contd.

HON. CHAIRPERSON: The House shall now take up Item No.18.

Shri Jai Prakash Narayan Yadav.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : सभापति महोदय, आज बाढ़ और सुखाड़ पर सदन चर्चा कर रहा है।...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : महोदय, नेपाल बाढ़ से खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री जी नेपाल गए, लेकिन कोई समाधान लेकर नहीं आए।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : बैठ जाइए।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : सभापति महोदय, लगातार तीन दिनों से बाढ़ और सुखाड़ पर सदन में माननीय सदस्यों द्वारा चिन्ता व्यक्त की जा रही है। आज सम्पूर्ण देश में कहीं सुखाड़ की हालत है, कहीं बाढ़ की विभीषिका है। मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जलवायु में परिवर्तन हुआ है, स्थिति बद से बदतर हो रही है। चाहे हमारा कोसी का इलाका हो या बिहार का बाकी इलाका हो, चाहे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या उत्तर प्रदेश का इलाका हो या देश के चतुर्दिक जहां हो, आज स्थिति बद से बदतर हो रही है। पूरे देश में बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति भयानक बनी हुई है।

बिहार में यह कहावत है और अभी जो स्थिति बनी है, उसे देखकर कहा जाता है कि जब कोसी हंसती है तो बिहार रोता है। बिहार ही नहीं रोता, बल्कि देश रोता है इसलिए कि हम इन्सान हैं और हम सब भारतीय हैं।...(व्यवधान)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): Sir, I am on a point of order. I have a strong reason to get up and raise this point of order which is mentioned under Chapter XV – Short Duration Discussion under Rule 193, which is a provision under the Rule Book. What is the provision for any Member wanting to raise a matter to be discussed in the House under Rule 193? I will just read out the rule.

> "Any Member desirous of raising a discussion on a matter of urgent public importance may give notice in writing to the Secretary-General specifying clearly and precisely the matter to be raised."

HON. CHAIRPERSON : Hon. Member the matter is being discussed under Rule 193. So, there is no point of order here.

… (*Interruptions*)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY : Sir, I am taking the point raised by Shri Adhir Ranjan Chowdhury. He has raised an issue… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: That matter is over now.

… (*Interruptions*)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY : Sir, how can you allow some Member to raise… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Rudy, you are a very senior Member, please take your seat. That matter is over now.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Jaiprakash Narain Yadav to continue.

… (*Interruptions*)

श्री राजेश रंजन : उस खड़गे साहब को इन्होंने बोलने नहीं दिया था।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप बैठ जाएं। जय प्रकाश जी, अब आप अपनी बात कहें।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : सभापति जी, बीच में व्यवधान आ गया था, खैर कोई बात नहीं है, मैं फिर शुरू करता हूं। मैं यह कह रहा था कि जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं यह एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर यह सदन और देश चिंतित है। मैंने कहा था कि जब कोसी हंसती है तो बिहार रोता है। बिहार ही नहीं, बल्कि देश रोता है, इसलिए कि हम सभी भारतीय हैं और इन्सान हैं। वहां जब भी बाढ़ आती है तो कहीं भी

आप देखिए, मौत का तांडव होता है, मौत का महासमुद्र लहराता है, तो प्रलयंकारी दृश्य हमारे सामने आता है। इससे पूरे देश की आत्मा और लोग हिल जाते हैं। पहले भी अनेकों बार ऐसी घटनाएं होती रही हैं।

नेपाल की सीमा के साथ सटा हुआ हमारा सहरसा, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, भागलपुर, पूर्णिया, बांका, कटिहार, केसरगंज, औरैया, दरभंगा, सीतामढ़ी का इलाका है। इन सारे बिहार के इलाकों में भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हमारे इन इलाकों में बहुत उपजाऊ जमीन है, फसल काफी होती है, लेकिन नेपाल की तराई से बाढ़ की जब भयानक विभीषिका आती है तो फसल के साथ-साथ इन्सानों, जानवरों तक की तबाही और बर्बादी हो जाती है। हमें समझ में नहीं आता कि हम जाएं तो कहां जाएं। आज उस कोसी के इलाके में जानमाल की भारी क्षति हुई है।

मैं जब यूपीए-1 की सरकार में सिंचाई राज्य मंत्री था, तब हमने नेपाल में कोसी पर हाई डैम बनाने के लिए समझौता किया था और तीन कार्यालय खोलने की बात थी। काठमांडू में कार्यालय खोला भी गया। उस इलाके में यह काम हो रहा था ताकि नेपाल और भारत के साथ जो हमारा मधुर रिश्ता रहा है, वह बना रहे। इसी के आधार पर हमारी मांग है सदन में कि हम सबको मिलकर नेपाल से जो समझौता हुआ था कोसी पर हाई डैम बनाने का, उसे जल्द से जल्द अमल में लाया जाए। जब तक वह हाई डैम नहीं बनेगा, तब तक बिहार का यह कोसी का इलाका बचने वाला नहीं है। अगली बार माननीय प्रधान मंत्री जी गये थे, आदरणीय लालू जी गये थे, आदरणीय पाटिल साहब गये थे, सब लोग गये थे और रेलवे ने पूरी रिलीफ की व्यवस्था की थी। मैं मांग करता हूं कि कोसी आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। जो बाढ़ की विभिषिका पूरे बिहार में आई है उसके लिए हम भारत सरकार से मांग करते हैं, माननीय प्रधान मंत्री से मांग करते हैं, सिंचाई मंत्री जी से, कृषि मंत्री जी से मांग करते हैं कि 10 हजार करोड़ रुपये का पैकेज कोसी के बचाव के लिए, जान-माल की सुरक्षा के लिए देने का काम किया जाए। आज केन्द्र और राज्य सरकार को मिलकर के इस सवाल पर चर्चा करनी चाहिए। वहां मकान ढह गये हैं, वहां बड़े-बड़े चबुतरे बनाने चाहिए, मवेशियों के लिए, इंसान के लिए तथा वहां बोट की व्यवस्था होनी चाहिए। बारमती है, कमला है, बालान है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, महानंदा है, सारी नदियां बौराई हुई हैं, इसलिए कोसी बचाओ, बिहार बचाओ, देश बचाओ, इंसान बचाओ, तभी हमारा देश समृद्ध होगा। सभी जानते हैं कि बिहार का कोसी सोने का कटौरा है जहां दौलत उपजती है और वही दौलत देश को खिला सकती है।

एक तरफ बाढ़ है जहां से हमारे पप्पू यादव जी आते हैं, रंजीता जी आती हैं, अन्य हमारे सांसद आते हैं, लगातार लोगों के बचाव कार्य में लगे हुए हैं। भारत के प्रधान मंत्री जी को 10 हजार करोड़ रुपये का पैकेज देना चाहिए।

सुखाड़ के मामले में मेरा कहना है कि आज बांका में सुखाड़ है, मूंगेर में, जमुई में, लख्खीसराय में और बिहार के गया के इलाके में सुखाड़ है। इसलिए हम यह मांग करते हैं कि बाढ़ से बचाव हो, कोसी का

बचाव हो, वहां के इंसान का बचाव हो, हाई-डैम की व्यवस्था हो। प्रधान मंत्री जी गये थे उन्हें कोसी के इलाके की जो हालत है उसी समय उन्हें इसका ख्याल लेना चाहिए था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं।

*__SHRI JOSE K .MANI (KOTTAYAM) :__ This discussion is on floods and droughts and the state of Kerala is prone to both. In May 2013 drought was declared in each of the 14 districts of Kerala for the first time ever. Almost all the dams were dry and the ground water level had reduced leaving most of the bore wells dry. Three months later in August, the Army and NDRF had to be called in to deal with the landslides and floods caused by heavy rains and in October, Kerala sought assistance from the National Calamity Contingency Fund for flood relief. The average annual rainfall of the state is 3000mm, the bulk of which (70%) is received during the South-West monsoon which sets in by June and extends upto September. The state also gets rains from the North-East monsoon during October to December. However, the spatial and temporal distribution pattern is mainly responsible for the frequent floods and droughts in Kerala. Kerala has got 41 west-flowing and 3 east-flowing rivers originating from the Western Ghats. The total annual yield of all these rivers together is 78.041 million cubic Meters (MCM) of which 70,323 MCM is in Kerala. The peculiarity of the rivers flowing across Kerala is short length of the river and the elevation difference between the high and the low and leading to quick flow of water collected from the river basin and quickly discharged into the Sea, the state has not been able to utilize the river water sources to a major extent both for power generation and irrigation.

Both in cases of floods and droughts there is a loss of property, life and livelihood and spread of epidemics. More than 17% of India's power is generated through hydro power and droughts and flood have severe effects on it. Quantum of electricity available affects both agricultural and industrial sector. Hence, it is very important that the government pursues an active policy relating to monsoon management. A report released by NDMA in 2010 on drought management recommended that an Indian Drought Management Centre be established however there has been no progress on this front. A centralized data base at State level and at Nation level related to drought intensity assessment is compiled and maintained.

---

* Speech was laid on the Table.

Heavy investments need to be made in the areas of rain water harvesting and integrated watershed management. A long term policy for dealing with such natural calamities is needed instead of the fire fighting approach that we currently use. It is important that active engagement of local communities and NGO's is sought in the areas of water management. In Kerala, a new autonomous agency, the Kerala Rural Water Supply and Sanitation Agency, was created to facilitate provision of rural water supply and sanitation at the local level. This was achieved by building the knowledge and capacity of communities using nongovernmental organizations (NGOs) and piloting community-led approaches. As a result, communities became empowered and were able to work with technicians to specify their own water and sanitation schemes and build them using mostly through community contracting. This decentralized, community-led approach built 3,663 village water supply schemes serving 1.13 million people, mostly through individual household connections. This project was praised by the World Bank. Projects similar to these should be implemented throughout the country.

Considering the severity of devastation and displacement caused by floods, Kerala deserves a special calamity management package and also additional grain allocations to cope up with the impact of drought.

श्री आर.के.सिंह (आरा) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज बिहार के 9 जिले बर्बादी के ऐसे कगार पर खड़े हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। कोसी नदी पर काठमांडु से लगभग 120 किलोमीटर पूर्व एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। उसने कोसी नदी के प्रवाह को रोक दिया है। जो आर्टिफिशियल डैम बना है वह करीब एक किलोमीटर लम्बा है। उसके पीछे करीब चार किलोमीटर की लेक तैयार हो गई है। लगभग 28 लाख क्यूसिक पानी इकट्ठा हो गया है। उस आर्टिफीशियल मलबे के डैम पर इतना ज्यादा प्रेशर है। लैंड स्लाइड के कारण जो 40 मीटर हाई आर्टिफीशियल डैम टूटेगा, तो दस मीटर हाई वेव नीचे आएगी। कोसी नदी के दोनों तरफ एमबैंकमेंट है। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि वर्षों से कोसी के पेट में बालू जमा होते-होते उसका स्तर आस-पास की जमीन से करीब तीन-चार फीट ऊपर है। जब दस मीटर हाई वेव आएगी तो दोनों एमबैंकमेंट बह जाएंगे। वर्ष 2008 में ऐसा ही हुआ था। कोसी ने पूर्वी बांध को तोड़ दिया था और एक नई नदी बन गई थी। लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों घर बह गए थे। यह उस समय की सबसे बड़ी त्रास्दी थी लेकिन इस बार जो होगा, वह पहले के मुकाबले ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। यह हमारी विडम्बना है कि आजादी के 66-67 वर्षों के बाद भी हम लोग ऐसे कगार पर खड़े हैं। मैं निरंतर वहां के मुख्य सचिव से और सिंचाई विभाग के सचिव के संपर्क में हूं। मुझे बताया गया है कि जो आर्टिफीशियल बांध बना है, उसमें धीरे-धीरे पानी निकालने के लिए चार छोटे-छोटे विस्फोट किए गए हैं। वहां से धीरे-धीरे पानी निकल रहा है। करीब दस हजार क्यूसिक की दर से पानी निकल रहा है। अगर इससे प्रेशर खत्म हो जाता है तो शायद त्रास्दी टल जाए, लेकिन पक्के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि वह आर्टिफीशियल बांध नहीं टूटेगा। हम लोग प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, अभी किसी माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया था कि माननीय प्रधानमंत्री नेपाल में गए तो इस संबंध में उन्होंने क्या किया। उन्होंने यह चर्चा की।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except the speech of Shri R.K. Singh.

(Interruptions) ...[*]

श्री आर.के.सिंह : महोदय, उन्होंने यह भी कहा कि अगर त्रास्दी होगी तो हम लोग नेपाल और बिहार को जो भी मदद चाहिए होगी, वह हम करेंगे। हम लोगों को, भारत सरकार को भी निदेश आया कि बिहार को जो भी आवश्यकता हो, जो भी आवश्यकता नेपाल को हो, उसकी व्यवस्था की जाए।...(व्यवधान) सभापति जी, वह व्यवस्था की भी गई। हम केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे कि वह व्यवस्था स्टैंडबाय में है। एनडीआरएफ की पन्द्रह टीम स्टैंडबाय में हैं। इसके अतिरिक्त इनफ्लेटेबल्स बोड्र्स हैं, हेलिकॉपटर हैं, सभी चीजें स्टैंडबाय में हैं।

---

[*] Not recorded.

हमारे देश के सामने आज यह प्रश्न है कि आजादी के 67 सालों के बाद भी हम लोग इस प्रकार के कगार पर क्यों खड़े हैं जबकि एक डिजास्टर फ्लड का खतरा हमारे देश के ऊपर, नार्थ बिहार के ऊपर मंडरा रहा है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आजादी के बाद से हम लोगों की वॉटर मैनेंजमेंट की जो नीति होनी चाहिए थी, वह नहीं बनी है। उसमें कोई गंभीरता नहीं थी। मैं पूर्ववर्ती सरकारों को यह दोष देता हूं। कोई आकलन नहीं किया गया। उन्होंने सोचा कि बांध बना देंगे और बांध बनाने से समाधान निकल जाएगा।...(व्यवधान) रंजन जी, हम गृह सचिव थे।...(व्यवधान) वर्ष 2008 में जब आपके यहां बांध टूटा था, तो हमने ही बचाया था। जितने लोगों को हमने बचाया था, इतिहास में उतने लोगों को किसी ने नहीं बचाया होगा।...(व्यवधान) इस कारण वह पूरा इलाका हमें याद करता है।

महोदय, कभी यह प्रश्न नहीं उठा कि क्या यह कोसी नदी में आने वाली बाढ़ का समाधान है। आज यह प्रश्न उठाने का समय आ गया है। मैं आज प्रश्न उठा रहा हूं, लेकिन यह समाधान नहीं है। ऊपर बांध बनाने में कोई पहल नहीं होगी, तो खतरा बरकरार रहेगा। सैंड और सिल्ट के कारण नदी का स्तर लगातार बढ़ता जाएगा। हमारी बाढ़ नियंत्रण की जो नीति रही है, वह शार्ट साइटेड रही है। हम लोगों ने कभी अपने इंजीनियर्स को सवाल नहीं पूछा। इंजीनियर्स ने शार्ट साइटेड समाधान दिए और हम लोगों ने उन्हें स्वीकार कर लिया। यह हमारी गलती है कि हम लोगों ने इंजीनियर्स को क्रास एग्जामिन नहीं किया। उन्हें जो अच्छा लगा या जिनमें उन्हें सहूलियत लगी, उसे कर दिया और लोगों को भयावह स्थिति में खड़ा कर दिया। बाढ़ की त्रास्दी केवल बिहार के सामने नहीं है।

मैं जिस संसदीय क्षेत्र से आता हूं, वहां अभी तक मात्र 15 प्रतिशत प्लांटेशन हुआ है।...(व्यवधान) आप सोचिए किसानों का क्या होगा? अभी तक नॉर्मल ईयर में 40 प्रतिशत प्लांटेशन हो जाता था। लेकिन अभी तक सिर्फ 15 प्रतिशत ही हुआ है। हमारी सरकार से एक शिकायत है। माननीय कृषि मंत्री जी सुन रहे हैं। इस सूखे से निपटने के लिए सिर्फ कृषि मंत्रालय ही काफी नहीं है। उसमें वॉटर रिसोर्सेज मंत्रालय को लगना होगा। उसमें पॉवर मंत्रालय को भी लगना होगा और तीनों मंत्रियों की एक संयुक्त टीम रहनी चाहिए क्योंकि हमारे यहां समस्या बिजली की भी है क्योंकि जितने स्टेट ट्यूबवैल्स हैं, वे अधिकांश बंद पड़े हुए हैं। वहां पॉवर नहीं है, ट्रांसफॉर्मर नहीं है। ट्रांसफॉर्मर जला हुआ है। जो लोग साउथ बिहार के हैं, वे इस बात को जानते हैं। कैनाल में पानी नहीं है। आप देखेंगे कि रिजर्वॉयर में जो वॉटर का स्टोरेज है, वह नॉर्मल से अभी 33 प्रतिशत कम है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि जो इंटर-स्टेट वॉटर एग्रीमेंट होते हैं जिसके तहत पानी सिंचाई के लिए छोड़ा जाता है, उसका पालन नहीं हो रहा है। केन्द्र सरकार को और सर्वोच्च न्यायालय को इसका पालन कराना होगा। बलसागर से जितना पानी हम लोगों को यानी साउथ बिहार को मिलना चाहिए, उतना पानी नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश पानी नहीं छोड़ रहा है। जो हम लोगों का कैनाल सिस्टम है, जिस समय हम लोगों को आज़ादी मिली थी, उस समय शाहबाद में जो सोन कैनाल सिस्टम

था, देश के बेहतरीन कैनाल सिस्टम्स में से एक था और आज वह जर्जर अवस्था में है। वह जगह जगह से टूटा हुआ है। उसका बैड लैवल भी रेज हो गया है। अगर हम फॉर साइटेड सरकार रहते, जैसा कि हमारी आज़ादी को 66-67 साल हो गये हैं, अगर हम फॉर साइटेड सरकार वाले रहते, अगर हमारे पहले की सरकारें अच्छी रहतीं तो उन्होंने इस कैनाल सिस्टम को पक्का करा दिया होता ताकि आज उस सीपेज के कारण जो पानी का लॉस होता है या पानी जो पेय लैवल तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि वॉटर की स्केअर्सिटी वैसी ही है और वह स्केअर्सिटी आगे जाकर और बढ़ती ही जाएगी। लेकिन इस ओर पूर्ववर्ती सरकारों का ध्यान नहीं गया है।...(व्यवधान) मैं समझता हूं कि इन दोनों सूखा और बाढ़ की स्थिति में...(व्यवधान) एक तरफ कोसी की पिस्तौल हमारे सर के ऊपर है और दूसरी तरफ हमारे यहां सुखाड़ है। ये बहुत बड़ी विडम्बना की बात है।...(व्यवधान) आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: माननीय सभापति जी, उस समय ये...(व्यवधान) * थे।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस बारे में आप बोल चुके हैं। यह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*(Interruptions) ... **

---

* Not recorded.

[*] **SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA) :** Flood and drought situation have been among the major challenges to the humanity since time immemorial. We have learnt that various civilizations were vanished from the earth due to these severe weather phenomena. Therefore, overcoming of all these challenges is important for the survival of all living creatures in the world. As we know, flood and drought cause many impacts to agriculture-the backbone of Indian economy. Agriculture in the country heavily depends on rain for watering crops. As per reports, about 60% of total net sown area in India comes under rain-fed lands. Moreover, rivers and canals are used to regulate water flow to agriculture lands. Therefore, a shortfall in rain or problems in outflowing water from agriculture land badly affect our agriculture sector and thereby our economy. Therefore, we need to have a proper mechanism to tackle these situations. However, I am doubtful on the success of the Government's move towards inter-linking of rivers. Because it is learnt that the proposed project does not have enough convincing scientific evidence that it is an ecologically sound project. Flooding normally occurs in monsoon season and drought occurs during summer. During monsoons all rivers overflow, and in summer almost all rivers flow to a murky brown trickle. In such conditions river-linking will be a futile exercise. The project involves 200 major reservoirs and network of canals, hence, people in the country feared of the massive displacements. Therefore, I request the Government to kindly conduct a comprehensive study in to the impacts of river-linking project.

Instead of river-linking project, I urge the Government kindly implement schemes to clean up water bodies in our country. It is silt and wastes gathered in rivers and lakes hampering the smooth flow of water. As a result, water level is declining and water bodies are dwindling. The Government is preparing an Integrated Ganga Conservation Mission called 'Namami Gange'. I welcome this move and request the Government to prepare specific schemes for each and every water bodies in the country.

---

[*] Speech was laid on the Table.

I take this opportunity to request the Government to introduce schemes for the conservation of the water bodies in Kerala. Let me specially mention Vembanad lake here. Vembanad lake is the largest backwater lake in Asia. It is an internationally important ecosystem with aquatic importance, flaura and fauna and is a Ramsar site. However, due to silt deposited by its tributaries, the water holding capacity of the lake declined from 2.449 cubic km to 0.559 cubic km over years. It is estimated that every year the rivers Meenachel, Manimala, Pampa and Achankoil, carry 96,000 tonnes of silt into the Vembanand lake. I request the Government to implement the Pampa Action Plan. I also appeal to the Government to kindly launch a scheme to rejuvenate the river Varattar in my Parliamentary constituency. Varattar was a perennial water source in the past, however, it has been degraded into a 'dry' river for the last three decades. If the Government implement schemes for cleaning up water bodies in the country, then the water holding capacity of rivers, canals and lakes will naturally increase and that will eventually resolve the problem of flood and drought.

Since coastal erosion and lightening are creating disaster to human life, properties including agriculture and both make same impacts as the flood and drought do have, I request the Government to kindly include them in the list of National Disasters. Due to the geographical reasons, both lightening and coastal erosions have adverse impact on Kerala. Every year lightening causes deaths, injuries and property losses. Recent studies also show that 63 percent of Kerala's coastline, which is a stretch of 590 km is being eroded day-by-day. I request the Government to urgently take a favourable action on this issue.

Flood situation in Kerala including the areas in my constituency is grim at present. Heavy rain lashes out several parts of the State. Normal life is badly affected, educational institutions are closed, homes have been damaged and the crops have been destroyed. Therefore, I request the Government to urgently send a Central Team to estimate losses caused by heavy rain and flood and Kerala.

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : माननीय सभापति जी, आज बाढ़ और सुखाड़ के विषय को लेकर यहां जो चर्चा हो रही है, उसमें आपने मुझे भाग लेने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आपको शायद जानकारी होगी कि मैं बंगाल से आता हूं और बंगाल बिहार की बगल में है। अगर बिहार में कोई त्रासदी हो तो बंगाल नहीं बच सकता। इसलिए नेपाल से जो त्रासदी शुरु हुई है, उस त्रासदी को लेकर बंगाल की आम जनता भी डरी हुई है क्योंकि सारे बिहार, झारखंड इत्यादि इन सारे इलाकों का ड्रेनेज सिस्टम बंगाल से जुड़ा है। हम लोगों ने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी डिप्लोमेटिक विक्टरी नेपाल जाकर हासिल की है। उन्होंने नेपाल को हिट दिया, हाई वे, इन्फार्मेशन वे और ट्रांसपोर्ट वे। नरेंद्र मोदी जी तालियां जुटाने में काफी माहिर हैं, यह जानकारी सबको है। ...(व्यवधान) नेपाल में रहते हुए हिंदुस्तान फ्लड हिट हो रहा है, क्या उनको पता नहीं था।...(व्यवधान) वे हिट करते हैं, तालियों के लिए हिट करते हैं लेकिन उनके रहते हुए हिंदुस्तान फ्लड हिट हो रहा है। इसके लिए उनकी कोई माथापच्ची नहीं है।...(व्यवधान) वे जीत के लिए सोचते हैं। जीत को दिखाकर तालियां हासिल करते हैं। लेकिन आज बिहार की सड़कों पर लाखों लोग भय से गुजर रहे हैं।...(व्यवधान) उनको इसकी कोई चिंता नहीं है।...(व्यवधान) वे पशुपति में जाकर घी डालते हैं, लेकिन घी डालते समय हिंदुस्तान की त्रासदी कम हो, इसके लिए उनको कोई चिंता नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप सब्जेक्ट पर बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : आज सारे बिहार में लाखों लोग सड़क पर खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। रंजन यादव जी के इलाके में जाइए, पप्पू यादव जी के इलाके में जाइए, प्रेम किशन जी के इलाके में जाइए, सारा बिहार त्रासदी का राज्य बन चुका है। ...(व्यवधान) अभी यहां कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने क्या किया था? पिछली सरकार अगर कुछ न करती तो आज सदन में चर्चा करने का मौका नहीं आता।...(व्यवधान) हम सब जानते हैं कि कुदरत पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : सब्जेक्ट पर बोलिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय, मैं सब्जेक्ट पर बोल रहा हूं।...(व्यवधान) बाढ़ और सूखे का कुदरत के साथ संबंध है। कुदरत पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम इसे सिर्फ मिटिगेट कर सकते हैं, इरेडिकेट नहीं कर सकते हैं। अगर हम सही समय पर सही दिशा में कदम उठाने में सफल हो जाएं तो यह त्रास्दी कम हो सकती है। हम यह नहीं मानते कि हिंदुस्तान की सरकार इसके लिए चिंतित नहीं है। जरूर चिंता करती है। जायसवाल जी का इलाका बाढ़ प्रभावित है, इसकी जरूर चिंता करते हैं। लेकिन इससे ज्यादा प्रधानमंत्री जी तालियां हासिल करने में लगे हुए हैं, इतना मैं जरूर कहूंगा।...(व्यवधान) मैं हिंदुस्तान की स्थिति की

तरफ माननीय कृषि मंत्री जी की दृष्टि आकर्षित करना चाहता हूं। राधा मोहन जी, 2009 में एक बवंडर आया था जिसका नाम आयला था। इस बवंडर के कारण बंगाल के खाड़ी के इलाके ध्वस्त हो गए थे। हजारों किलोमीटर के एमबैंकमेंट ब्रीच हो चुके हैं, वाइप आउट हो चुके हैं। अभी भी ये सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। मैं राधा मोहन जी से गुजारिश करूंगा कि बंगाल में आयला से जो त्रासदी हुई थी, उसे सामने रखकर आज तक कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है।...(व्यवधान) वहां के लाखों लोग गांव छोड़कर, जिला छोड़कर बाहर जाकर रोटी रोजी का इंतजाम कर रहे हैं। आयला को देखते हुए यूपीए सरकार ने बहुत सी राशि आबंटित की थी। मैं आपसे इसका ब्यौरा मांग रहा हूं कि आज तक बंगाल सूबे की सरकार को आयला की कितनी राशि मिली है और वह कितनी खर्च कर चुके हैं?

15.00 hrs.

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जैसे कोसी बंगाल में, गंगा रिवर बेसिन, दामोदर रिवर बेसिन हर साल बड़ा खतरा पैदा करते हैं। हमारे बंगाल में कटाव होता है, कटाव के चलते बंगाल की जो ज्योग्राफी है, उसमें काफी परिवर्तन हो चुका है। हम जानना चाहते हैं कि बंगाल के कटाव को लेकर यह सरकार क्या कदम उठा रही है। फरक्का बैराज प्रोजैक्ट जो बिहार और बंगाल के बीच अभी स्थित है, उस फरक्का बैराज प्रोजैक्ट का हाल दिन-प्रतिदिन बिगड़ते जा रहा है। वहां इतना सिल्टेशन हुआ है, जैसा हमारे बिहार के सहयोगी ने कहा कि वहां सिल्टेशन सबसे बड़ा मुद्दा है। डीसिल्टेशन कैसे किया जाए, डीसिल्टेशन के लिए जितनी राशि की जरूरत होती है, हमें मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान की सरकार के पास उतनी राशि है या नहीं है। हर साल हिंदुस्तान के तीन करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। हजारों करोड़ रुपये की फसल बाढ़ और सुखाड़ के चलते बरबाद होती है। बाढ़ और सुखाड़ से हर साल हजारों लोग मरते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के जो 36 मैटिरियोलोजिकल रीजन्स हैं, इन सबके ऊपर आप अलग-अलग स्ट्रेटेजी बनाइये। क्योंकि साउथ की दिक्कतें अलग तरह की होती है और नार्थ की दिक्कतें दूसरे तरह की होती है।

इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि कटाव के साथ-साथ बंगाल में कान्ती मास्टर प्लान, केलेधाई कपालेम्वाही प्लान है। सुवर्ण रेखा डैम प्रोजैक्ट का क्या हुआ, इसके बारे में हम विवरण चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री केशव प्रसाद मौर्य (फूलपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे बाढ़ और सुखाड़ जैसे गम्भीर विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद के फूलपुर लोक सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में गंगा, यमुना और सरस्वती का पावन संगम है। मेरे लोक सभा क्षेत्र को ही तीर्थों का राजा प्रयाग कहा जाता है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद देश की जनता का विश्वास है कि हमारा देश बाढ़ और सूखे से ही नहीं बल्कि देश के सामने जो अनेक प्रकार के संकट हैं, उनसे भी मुक्त होगा। मैं यह जानता हूं कि जो सामने बैठे हुए हैं, उन्हें अभी यह विश्वास नहीं हो रहा है कि आम चुनाव में जनता ने उन्हें परास्त करके वहां बैठाया है। उन्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए वे इस प्रकार के प्रहार जो नहीं करने चाहिए, वे भी करने का प्रयास करते हैं। चूंकि मेरा लोक सभा क्षेत्र बाढ़ के गम्भीर संकट का सामना पिछले कई वर्षों से करता रहा है। माननीय कृषि मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं उनके सामने यह बताना चाहता हूं कि मेरा लोक सभा क्षेत्र गंगा जी और यमुना जी के दोनों तटों पर बसा हुआ है। वहां अभी जो पिछले वर्ष की बाढ़ थी, उस बाढ़ के कारण जहां ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बहुत सारे गांव के गांव डूबे थे,, वहीं पूरे इलाहाबाद शहर का कम से कम एक-तिहाई हिस्सा, यहां तक कि दो मंजिले मकान तक उसमें डूब गये थे। इसके अलावा फाफामऊ, नैनी, छतनाग का क्षेत्र है, वहां 86 और 88 मीटर तक पानी पहुंच गया था और इतना

<u>15.04 hrs</u>.

(Dr. Ratna De (Nag) *in the Chair*)

पानी पहुंचने का एक मात्र कारण यह रहा है कि वहां पर बांध के निर्माण की मांग पिछले कई वर्षों से वहां की जनता भी करती रही है, किसान भी करते रहे हैं, लेकिन वहां बांध का निर्माण नहीं हो पाया है। मैं माननीय मंत्री जी से विशेष तौर से अनुरोध करूंगा कि इलाहाबाद जनपद की सीमा कौशाम्बी जो कभी इलाहाबाद जनपद का हिस्सा हुआ करता था, कौशाम्बी जनपद से लेकर इलाहाबाद जनपद के अंतिम छोर तक गंगा जी का किनारा है। उसके दोनों ओर बाढ़ के कारण स्थित गांवों और कृषि को नुकसान पहुंचता रहा है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि प्रयाग में हर छह वर्ष में अर्ध कुंभ का बहुत बड़ा मेला लगता है। 12 वर्ष में वहां महाकुंभ का आयोजन होता है। प्रत्येक वर्ष वहां माघ मेला भी संपन्न होता है, जहां करोड़ो तीर्थयात्री एक महीने के लिए कल्पवास हेतु आते हैं। मेरी आपसे मांग है कि फतेहपुर से ले कर, कौशांबी होते हुए इलाहबाद की सीमा तक दोनों ओर बांध का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। मैं एक बात की ओर आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहूंगा कि यहां बहुत सारी चर्चा हुई है, लेकिन उस चर्चा में एक बात आपको विशेष तौर से ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जब बाढ़ आती है, गंगा और यमुना के किनारे के कई गांव ही नहीं, उसके अंदर के कई-कई बीघे खेत भी कट कर के चले जाते हैं। पिछले दिनों जब इस पर चर्चा हो रही थी, तो एक प्रश्न यहां पर आया था, मैं अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता था, लेकिन पूछ

नहीं पाया। माननीय मंत्री जी मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जिन किसानों की एक-दो बीघे नहीं, मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंदर एक गांव ककरा है, कोटवा है, ढोकरी है, लीलापुर है और ऐसे गांवों में कम से कम एक लाख बीघे से अधिक जमीन गंगा जी के अंदर समा गई। वह कई वर्षों से, चूंकि हर बार बाढ़ आती है, बाढ़ में गंगा जी में समहात जमीन का वह क्षेत्र अभी तक खाली नहीं हुआ। लेकिन वहां के किसानों को कोई मुआवजा भी नहीं दिया जा सका है। इस संबंध में मेरी आपसे मांग है कि मेरे क्षेत्र के किसानों की जो लाखों बीघे जमीन गंगा में समाई है, उसकी जांच करवा कर के और जिन किसानों की जमीन उसमें गई है, जितने वर्षों से गई है, उनको उचित मुआवजा देने के संबंध में कार्रवाई करने का कष्ट करेंगे। मेरे क्षेत्र के अंदर कई नदियां है। वाराणसी के बारे में आप जानते हैं, वहां पर एक अस्सी घाट है, उस अस्सी घाट में वरूणा नाम की नदी, जो मेरे लोक सभा क्षेत्र के मैलहन नामक स्थान, जो उद्गम स्थल है, वहां से निकलती है, उसी कारण से उस स्थान को वाराणसी कहा जाता है, उस नदी के अंदर बहुत बार भारत सरकार से भी कुछ पैसे गए, प्रदेश सरकार से भी कुछ पैसे गए, लेकिन उस पैसे का बहुत दुरूपयोग हुआ। मैं उसकी जांच की मांग भी करता हूँ। उस नदी का जो स्वरूप बिगड़ा है, जिसके कारण से वरूणा नदी और अस्सी घाट को मिला कर वाराणसी का नाम हुआ है, उस नाम को ध्यान में रखते हुए, चूंकि अब वह मेरे प्रधान मंत्री जी का लोक सभा क्षेत्र है, मैं आपसे मांग करूंगा कि उस नदी को भी ध्यान दे कर उसकी व्यापक खुदाई करवा कर बाढ़ से उस क्षेत्र के किसानों को, उस क्षेत्र की कृषि को मुक्त कराने की कृपा करेंगे। ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। इलाहबाद जनपद के अंदर, जो गंगा पार का क्षेत्र कहलाता है, गंगा और यमुना है तो गंगा पार का क्षेत्र कहलाता है, जो फाफामऊ विधान सभा और फूलपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उस क्षेत्र के अंदर सन् 2013 की बाढ़ में बहुत बड़ी क्षति हुई है। वहां बहुत पहले एक बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन उस बांध का निर्माण कार्य रूक गया। उसके रूकने के कारण से एक लीलापुर गांव है, वह लीलापुर गांव उसमें लगभग डूब गया था। मैं आपसे इस संबंध में आग्रह करना चाहूंगा कि चूंकि बाढ़ का यह जो संकट है, वह पूरे देश का है, प्रदेश का है। इस पर देश-प्रदेश की चर्चा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र को बाढ़ से मुक्त कराने के लिए, किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए बांध का निर्माण करवाने का कष्ट करें।

श्री बलभद्र माझी (नबरंगपुर): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया है। महोदया, जैसे लगभग सभी सदस्य जानते हैं कि बाढ़ और सूखे की जो परिस्थिति है, यह हमारे नेचर, प्रकृति और जंगल से जुड़ी हुई है। एक पेड़ अपने जीवन काल में जितनी ऑक्सीजन देता है उसको यदि हम फैक्ट्री में बनाएंगे तो करीब एक करोड़ खर्च होगा। एक पेड़ पर्यावरण को जितनी ठंडक पहुंचाता है, वह डेढ़ टन के 15 ए.सी. के बराबर काम करता है। यही एक प्रमुख कारण है, जिसके कारण आज ग्लोबल वॉर्मिंग की बात होती है, क्लाइमेट चेंज की बात होती है। आज गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है और फैक्ट्रियों की भी संख्या बढ़ गई है। इससे पर्यावरण को बहुत क्षति पहुंची है। पेड़ों को हम लोगों ने इस तरह से काटा है, लेकिन उसके लिए कहीं भी किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में यह सिस्टम नहीं है कि यह देखा जाये कि कोई अधिकारी ट्रांसफर होकर गया तो जब उसने चार्ज लिया था, उस समय कितने पेड़ थे और जब वह चार्ज देकर गया तो उस समय कितने पेड़ थे? मेरे ख्याल से यह एक सिस्टम बनाया जाए और एक जिम्मेदारी रखी जाए कि जितने पेड़ थे, उससे पेड़ कम हुए हैं या बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग कागजों में तो दिखा देते हैं कि इतना जंगल है, मगर उतने पेड़ वहां नहीं होते हैं, जितने होने चाहिए। यह एक मुख्य मुद्दा है। इसी बीच में हमने जितने सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, उनमें काफी जंगल कटा है। हमने डैम किए हैं, रेलवे लाइन किए हैं, फैक्ट्रीज की हैं, उसके एवज में हमने कंपन्सेंट्री एफोरेस्टेशन किया है। वह भी हुआ है या नहीं हुआ, उतना जंगल फिर से पैदा हुआ है या नहीं, इसका कोई ऑडिट सिस्टम आज के दिन नहीं है। एक पोस्ट ऑडिट होना चाहिए, जिसमें यह पता चले कि जितने पेड़ लगाए थे, उतने आज के दिन हैं या नहीं हैं। यह तो मैं बाढ़ और सूखा के कारण के संबंध में बता रहा हूं।

महोदय, जहां तक हमारे उड़ीसा का सवाल है। हमारा उड़ीसा दो भाग में है, एक है उत्तर-पूर्व, जहां हमेशा बाढ़ की प्रॉब्लम रहती है और दूसरा एरिया दक्षिण-पश्चिम है, जहां हमेशा सूखा का प्रभाव रहता है। हमारे यहां नदी का ऐसा सिस्टम है कि दक्षिण पश्चिम की तरफ से नदी बहकर बंगाल सागर में जाती है, जो उत्तर पूर्वी दिशा में है। दक्षिण पूर्व एरिया में जो नदियां हैं, उनमें अगर अच्छे ढंग से डैम बनाया जाए तो हम लोग बहुत सारी बाढ़ को जो उत्तर-पूर्व दिशा में होती है, उसे रोक सकते हैं और दक्षिण-पश्चिम एरिया को गीला कर सकते हैं।उसमें मेरे अपने एरिया में एक डैम का प्रोजेक्ट है, उस डैम से मेरी जिंदगी का अनुभव भी जुड़ा हुआ है। उसका सर्वे वर्ष 1971-72 में चालू हुआ था, जब मैं तीसरी कक्षा में था, बल्कि वही अनुभव मेरा एक इंजीनियर होने के लिए प्रेरणा बना था। उस समय मेरा चार पहिया गाड़ी में बैठने का सपना था। हमारे (फटकि)गांव में लोग सर्वे करने के लिए जाते थे। तब मेरे मन में बड़ी उत्सुकता होती थी कि ये जो गाड़ी में, जीप में बैठकर जा रहे हैं, ये लोग कौन हैं? मुझे बताया गया कि ये लोग इंजीनियर हैं। मैंने समझा कि इसका मतलब इंजीनियर बनने से ही गाड़ी चढ़ सकते हैं। मैंने भी सपना देखा था और मैं

सबकी कृपा से इंजीनियर बन गया। मैंने नौकरी की और नौकरी करने के बाद मैं वीआरएस लेकर संसद में पहुंच गया, लेकिन वह डैम अभी तक नहीं बना है। उसकी फीजिबिलिटी रिपोर्ट फिर से री-सर्वे होकर अभी दो साल से सीडब्ल्यूसी में पड़ी है। इस डैम का नाम टेल इन्टिग्रेटिड प्रोजेक्ट (Tel. Integrated Project) है। यह नवरंगपुर जिला के चंदाहणी ब्लॉक के फटकि ग्राम के पास बनना है। इसमें कुछ जंगल ही डूबेगा।

मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करूंगा कि उसकी फीजिबिलिटी रिपोर्ट जल्दी क्लियर हो। उसके बाद डीपीआर बनेगा और फिर डैम बनेगा। अगर हम लोग इन सारे प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी पर नहीं लेंगे तो हम लोग इस बाढ़, सूखा की परिस्थिति का मुकाबला नहीं कर पायेंगे। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में एक और प्रोजेक्ट है, जिसमें हम लोग जबरदस्ती बाढ़ क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं। वह है पोलावरम प्रोजेक्ट। पोलावरम डैम जहां बनना है, वहां से 100 किलोमीटर ऊपर तक कोलाव नदी में बीच-बीच में बाढ़ की प्रॉब्लम आती है, गांव डूब जाते हैं। अगर पोलावरम डैम, जो रिवाइज्ड हाइट में, ऊंचा हाइट में बनाने जा रहे हैं, उसी ऊंचाई में अगर बनायेंगे तो 100 किलोमीटर ऊपर तक और कई सारे गांव डूब जायेंगे। हम लोग बार-बार सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि उसका अल्टरनेट डिजाइन है, उतना ऊंचाई का डैम न बनाकर अगर तीन छोटे-छोटे हाइट के बैराज बना दें, तो जितना पानी आज सरकार ने एस्टीमेट किया है, उससे ज्यादा पानी मिलेगा, उससे ज्यादा बिजली भी उत्पन्न होगी।

अतः मेरा निवेदन है कि पोलावरम को फिर से सोचें और तीन बैराज बनाने की कोशिश करें। मैंने अपने एरिया का जो प्रोजेक्ट बताया, वह टेल इंटीग्रेटिड प्रोजेक्ट है। कृपया उसे जल्दी से आगे सैंक्शन करने की कृपा करें। नमस्कार।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : सभापति महोदया, तीन दिन से चली आ रही इस चर्चा में 55 लोगों ने भाग लिया और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं इन्टरविन करना चाहता हूं। सूखा और कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित जितने भी विषय हैं, कृषि मंत्रालय के मंत्री जी यहां बैठे हैं, वे उसका जवाब देंगे। उसके अलावा बाढ़ और डिज़ास्टर मैनेजमैंट के अधीन जितने भी इश्यूज़ आते हैं, मैं संक्षेप में उनकी जानकारी देना चाहता हूँ।

सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि माननीय सदस्यगण ने बहुत अच्छी तरह से सजैशन दिये जिसको हमने बारीकी से नोट किया और भारत सरकार में आगे हम जो पॉलिसी बनाएँगे उसमें हमें इससे सहयोग मिलेगा। सभी सदस्यों के पॉइंट्स की जानकारी हमने ली है लेकिन उसका पूरा जवाब देना मुश्किल है। मैंने कुछ पॉइंट्स को एक तरफ से क्लब किया है, कुछ इश्यूज़ को क्लब किया है जिनको मैं संक्षेप में आपके सामने रखूँगा।

सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे देश की जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमैंट अथॉरिटी है, उसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री खुद करते हैं और उसका पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इफैक्टिव बनाने के लिए हमारा मंत्रालय लगा हुआ है और बहुत जल्द हम इसकी पॉलिसी और फॉर्मुलेशंस सामने लाएँगे। यह सिर्फ गृह मंत्रालय का ही विषय नहीं है। अन्य मंत्रालय भी इसमें जुड़े हुए हैं। कृषि मंत्रालय इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसके अलावा बहुत सारे और मंत्रालयों को साथ में लेकर हम काम करते हैं। होम मिनिस्ट्री में हमारे होम सैक्रेटरी की अध्यक्षता में नेशनल एक्ज़ीक्यूटिव कमेटी है जो पूरे देश की आपात स्थिति को देखता है। जब प्राकृतिक आपदा आती है तो उस पर नियंत्रण करने के लिए और इमीडियेट रिस्पांस हो, इसके लिए हमारे गृह सचिव उस कमेटी की अध्यक्षता करते हैं।

कुछ महत्वपूर्ण विषय जो यहाँ उठे हैं, उन पर रिस्पांड करने से पहले कुछ मुद्दे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।

Madam, regarding flood forecasting, it is very important to understand the flood forecasting system so that we become very responsive to any kind of eventualities of national disaster. Flood forecasting is possible based on actual hydro-meteorological data as well as weather forecast with very limited accuracy. The Central Water Commission is issuing river water level forecast for 147 locations and inflow forecast for 28 reservoirs, dams and barrages.

The flood-prone area as assessed by Rashtriya Barh Ayog is 40 mHA in India. The flood affected areas in a year varied from 1.46 mHA to 17.5 mHA with an average of 7.14 mHA since 1953.

As suggested by various expert committees, construction of embankment along river banks has been taken up as the quickest and economical flood protection measure for local population. So far about 35,200 k.m. of flood embankments have been constructed along rivers in flood-prone areas of the country. Aggradation and degradation is a natural phenomenon in a river resulting in erosion at one location and deposition of eroded material at another location.

We have also come to some understanding with our neighbouring countries. For example, the Kosi issue, which came up prominently in the discussion, is directly related to Nepal. India has taken certain steps. For example, the recent imminent threat of Kosi river flood, which we are witnessing, has been controlled so far because we have some understanding with Nepal. Yesterday, we got information that our Disaster Response Force need not go to Nepal because the Nepal Government has taken certain steps like they have blasted low intensity detonators at four different times, and the river water, which has been made as a big reservoir due to slide, has been released slowly so that the impact of flood on Bihar and subsequently on our remaining territory will be mitigated. So, we are constantly in touch with the authorities in Nepal.

With a view to discussing important issues pertaining to cooperation in the field of water resources, including implementation of existing agreements and understanding, a Nepal-India Joint Committee on Water Resources headed by Water Resource Secretaries of both the countries has been functioning with the mandate to act as an umbrella committee for all committees and groups. A Joint Committee on Inundation and Flood Management has been constituted in 2009 replacing previous all bilateral committees for issues related to flood management, inundation problems and flood forecasting activities between India and Nepal.

In respect of Bhutan, we have 35 hydro-meteorological stations located in Bhutan, which are being maintained jointly by the Royal Government of Bhutan and funded by the Government of India. The data received from these stations are utilized in India by Central Water Commission for formulating flood forecasts. The problem of floods created by rivers originating from Bhutan and flowing to

India was also taken up with the Royal Government of Bhutan. So, we are abreast of the situation. Even with China we have certain understanding on this issue; we have arrived at an MoU signed by the Chinese Government. According to that MoU, China will share the data of the Brahmaputra and the Satluj rivers for flood forecasting purpose. As per the MoU, water level and discharge data is shared by the Chinese authorities with Central Water Commission for three sites in the Brahmaputra and one site in the Satluj river basin.

Beyond that, I want to respond on some of the important points, which were raised by the hon. Members. On the issue of assistance to Odisha in the wake of Phailin and subsequent floods, the Government of India has extended logistics helps. Further, in pursuance of the announcement of the ex-Prime Minister, an amount of Rs.1000 crore was released to the State in advance from the National Disaster Response Fund. … (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): It is not Rs.1000 crore, it is only Rs.664 crore.

SHRI KIREN RIJIJU: There are issues under consideration of the Ministry. I am just giving the figure.

The State Government of Odisha had requested for financial assistance of Rs.5832 crore. Most of the demands were outside the purview of the State Disaster Relief Fund and the National Disaster Relief Fund. I would like to mention here that we are responsible for immediate relief and rehabilitation. Long term policy and long term rehabilitation is a planned process and the State has to adjust through the planning of the State Government where the Central Government will be a part of it. The Planning Commission also plays a very important role for the future reconstruction. So, I am dealing with more on the immediate response, which is required.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: This is just an immediate thing that out of Rs.664 crore, an amount of Rs.100 odd crore have been provided. Rest Rs.500 crore were supposed to be provided. These are all immediate in nature. That is why, expenses have already been incurred by the State Government.

SHRI KIREN RIJIJU: Madam, immediate relief has already been provided and subsequently, whatever is necessary, as I have said, the Ministry is considering the request made by the Odisha Government.

On the issue of revision of NDRF norms, it is submitted that revision of norms is a continuous process of governance. Since 2012, it has been revised four times. As I mentioned, the objective of SDRF and NDRF is immediate relief and not as compensation to damage or loss suffered due to disaster. For medium and long term reconstruction and rehabilitation, the State and the Central Government have to work together.

On the issue of setting up of a unit of National Disaster Response Force in Kerala – the hon. Members from Kerala raised this issue – I have to inform the House that Government of India decided to permanently place a team of NDRF at Kozhikode for prompt response. However, the accommodation for setting up of the unit is yet to be arranged by the State Government. So, we need more cooperation with the State Government.

Regarding the letter of Chief Minister of Uttar Pradesh requesting for release of the entire assistance demanded by the State in the wake of floods in 2013, I would like to inform that the high level committee, again which is chaired by the Home Secretary, has approved Rs.230.06 crore as assistance from the National Disaster Response Fund subject to adjustment of 75 per cent balance in State Disaster Response Fund. The position has been explained to the Chief Minister vide letter dated 30th July, 2014.

Regarding the institutional mechanism for managing disaster, it is informed that as per the National Policy on Disaster Management, the primary responsibility for disaster management rests with the State Government. The institutional mechanism put in place at the Centre, State and district levels help the States to manage disaster in an effective manner. The National Executive Committee under the chairmanship of Home Secretary acts as a coordinating and monitoring body for disaster management in case of any threatening disaster. All Central Ministries

and agencies, whenever required, supplement the efforts of the State Government by providing logistic and financial support. The National Disaster Management Authority headed by the Prime Minister of India lays down the broad policies and guidelines on disaster management.

Regarding the suggestion for inclusion of certain natural disasters like erosion, lightning, sea erosion etc. in the list of disasters eligible for assistance from SDRF or NDRF, it may be noted that the list of such disasters is normally decided by successive Finance Commissions. We have the 14th Finance Commission in place. Our Ministry has recommended all these suggestions to the Finance Commission and the 14th Finance Commission has to take a call on that.

On the issue of utilisation of funds released from SDRF, it is informed that the provision of SDRF provides that the Comptroller and Auditor General of India would cause audit of SDRF conducted every year in conformity with approved items and norms in terms of the purposes of the SDRF guidelines.

Several hon. Members have made valuable suggestions regarding actions pertaining to the State Governments, the Ministry of Environment and Forests and the Ministry of Water Resources. I have noted these points and they will be communicated to the respective Ministries.

I would also like to inform the hon. Members that each Central Government Ministry is required to prepare a Disaster Management Plan, covering the aspects of mitigation, capacity-building, quick response and also for making the disaster management concerns in-built into the developmental programmes. Home Ministry has been pursuing with the concerned Ministries for finalisation of their Disaster Management Plans.

At the end, I would like to thank the hon. Member, Yogi Aditya Nath for bringing up this important discussion under Rule 193 and all the hon. Members who have given valuable suggestions. In future also, we will require cooperation from hon. Members as well as the Governments of all the States because after all, we have to respond to natural disaster in a very coordinated manner so that we can meet all the challenges.

HON. CHAIRPERSON : Shri K. Suresh.

… (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, I want to ask just one question. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No, no question is allowed please.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, no clarification is to be asked on Minister's answer.

Shri K. Suresh.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I thank you, Hon. Chairperson, for giving me an opportunity to participate in this discussion on flood and drought situation in the country. For the last four days, this House has been discussing the flood and drought situation in this country, but at the same time, in for the last one week, the State of Kerala has also been facing severe floods. Almost all the 14 districts are adversely affected by heavy floods. Today also, heavy rain is going on in all parts of the State. Thousands of people have lost their houses. More than ten human lives were lost due to heavy floods in Kerala. The farmers are also facing serious problem. Their crops are also washed out.

The Government of Kerala has started relief camps and distributing free ration to the affected people. This severe flood is badly affecting the people in my parliamentary constituency, Mavelikkara, in Kerala.

Kuttanad is part of my parliamentary constituency. I would like to invite the kind attention of the hon. Minister to the worst situation being faced by the people of Kuttanad and the vulnerability of the people living in this area. Due to continuous monsoon for the last one week almost all parts of Kuttanad area are submerged in flood water. Kuttanad is the converging place of five rivers, and due to continuous rains all the rivers have been flooded. The water-level in Kuttanad area is escalating fast. Kuttanad is the only place -- not only in India but anywhere in the world -- that lies below sea level, and rain has added to the miseries of the people living there who are otherwise also always affected by floods.

Flood has affected all the 13 Grama Panchayats of Kuttanad Taluk. The bunds or *Padashekharams* have broken, and flood water has entered into the paddy cultivation areas resulting in loss running into crores of rupees. Kuttanad is the rice bowl of Kerala, and flood is causing loss of paddy cultivation. This will have a cascading effect on the economy of Kerala.

In the last two days, more than 100 houses have been totally damaged and 200 houses have been partially damaged due to heavy rain and flood. Further, a number of roads and bridges were also washed away by flood water, and many roads were submerged in water and damaged beyond repair.

So far, three relief camps have been started in my Parliamentary Constituency in which more than 2,000 persons have been rehabilitated. The District Administration is in the process of establishing more camps and evacuating people from the worst-affected areas. There is lack of potable drinking water in this area, and people fear outbreak of epidemic and water-borne diseases. The people of Kuttanad pray for immediate attention of the Government of India as well as that of the State Government in this matter. The State Government has already started relief measures. I request that the Government of India may announce an interim flood relief of Rs. 100 crore for flood relief work in Kuttanad. A Central team may also be deputed to assess the flood situation and determine the quantum of assistance required for the same.

Lastly, I would like to request the hon. Home Minister to send a Disaster Management Team to provide help to the people of Kuttanad. With these words, I conclude.

[*]**श्री राजकुमार सैनी (कुरूक्षेत्र):** मैं हरियाणा के कुरूक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से चुनकर आया हूँ। मैं एक बहुत ही गम्भीर समस्या इस सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जहां पर गंगा के जीर्णोद्धार का कार्यक्रम माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर लिया है, वही दूसरी ओर मेरे लोक सभा क्षेत्र के जिला यमुनानगर के साथ-साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश को विभाजित करती हुई यमुना नदी बहती है जो हर साल बरसात के दिनों में बाढ़ के विकराल रूप से लाखो एकड़ फसल और हज़ारों एकड़ भूमि को अपने आगोश में लेकर बर्बाद करती है और अब हज़ारों परिवार ऐसे हैं जिनके पास मुट्ठी भर अनाज उगाने की भी जमीन नहीं बची।

आज इससे भी भारी संकट उत्तर प्रदेश की तरफ यमुना के किनारे 20-20 फुट ऊँचा बाँध बनाया जा रहा है। पहले जो बाढ़ आती थी, उसका पानी दोनों ओर फैल कर चलता था, परंतु अब इसके विपरीत इस बांध के लगने से हरियाणा की तरफ के यमुना के किनारे वाले सैकड़ों गांवों का अस्तित्व बाढ़ से समाप्त हो जाएगा। यदि वहां पर हरियाणा की ओर यमुना नदी के किनारे बांध नही लगाया गया तो मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि तुरंत बांध बनाकर लोगों के जान-माल की रक्षा की जाए और इसे यमुना के प्रोटेक्शन प्लान के तहत केन्द्र सरकार से अनुदान के तौर पर सहायता राशि दी जाए और हदका रदौर के यमुना के किनारे वाले गांवों को तुरंत सुरक्षित किया जाए और इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए।

---

[*] Speech was laid on the table.

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज): सभापति महोदया, आपने मुझे बाढ़ और सूखे पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। चार दिन से सूखा और बाढ़ पर बहस चल रही है। अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि 55 लोगों ने इस बहस में हिस्सा लिया है। यह बहुत गंभीर समस्या है। मुझे कल ताज्जुब हुआ, इस सदन में चर्चा न होने पर वॉकाउट होता था, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि चर्चा ज्यादा लम्बे समय तक चल रही है, उसके लिए कुछ सदस्यों ने विरोध किया। यह बड़ा गंभीर विषय था।...(व्यवधान)

श्री तारिक अनवर (कटिहार): हम लोगों ने विरोध नहीं किया था, हमने कहा था कि हाउस में बिजनैस नहीं है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, you may please continue your speech.

… (*Interruptions*)

श्री पंकज चौधरी : सभापति महोदया, हम लोग उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से आते हैं, जहां पर हम लोगों के क्षेत्र में निश्चित तौर से नदियों का जाल है। पहाड़ी नदियों एवं नालों का बहुत बड़ा जाल है। हर साल हम लोग बाढ़ और सूखे को झेलते हैं। हमारे क्षेत्र महाराजगंज में नदियों से जब बाढ़ आती है, तब चर्चा होती है। अभी महाराजगंज में बाढ़ आई, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। पहाड़ों से जो नाला निकलता है, हमारे क्षेत्र में जैसे महऊ, बघेला और झरही नाला है, नदी बहते-बहते लेवल से ऊपर हो गई है, जिसमें सिल्ट जमा है। नेपाल में थोड़ी सी भी वर्षा होती है तो हमारे क्षेत्र में हजारों एकड़ भूमि बाढ़ से प्रभावित हो जाती है। अभी इस सीजन में हमारे क्षेत्र में यह स्थिति बनी हुई है।

मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मात्र 23 किलोमीटर लंबी नहर है, नाला है, जो कि जाकर नदियों में गिरता है। अगर उसकी सफाई करायी जाये तो वहां के हजारों किसानों को निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। जहां तक बाढ़ बचाओ का सवाल है, जब बाढ़ आती है तो हम चिन्ता करते हैं। बहुत से सदस्यों ने कहा कि अभी बहुत विचार करने की आवश्यकता है, चिन्ता करने की आवश्यकता है। यह मैं भी मानता हूं कि निश्चित तौर से बाढ़ पर चर्चा हर साल होती है, जब बाढ़ का समय आता है, तब चर्चा होती है, लेकिन जब बाढ़ समाप्त हो जाती है तो इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है।

भारत सरकार के साथ-साथ कहीं न कहीं सभी प्रदेश सरकारों को भी इस पर काम करना होगा, इसमें मिलकर जब तक काम नहीं होगा, निश्चित तौर से इसका समाधान नहीं हो सकता। हजारों करोड़ रूपए हम लोग बाढ़ के बाद उस पर खर्च करते हैं। निश्चित तौर से हर साल उसका पूर्ण विकास न होने के नाते बार-बार बाढ़ आती रहती है। बाढ़ की समस्या निश्चित तौर से है, इसके लिए शिल्ट की सफाई कराना, वोल्डर की सफाई कराना, गाद की सफाई कराना आवश्यक है। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि एक पेड़ से कितनी ऑक्सीजन हमें मिलती है? निश्चित तौर से 33 परसेंट वन क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन

आज उत्तर प्रदेश में मात्र नौ फीसदी वन क्षेत्र ही बचा हुआ है। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां मात्र दो फीसदी ही वन क्षेत्र रह गया है।

माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था, बाढ़ से बचाने के लिए, सूखा से बचाने के लिए, यह सबसे जरूरी था, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि अगला वर्ल्ड वार निश्चित तौर से पीने के पानी के लिए होगा। इसलिए उन्होंने नदियों को जोड़कर जो हमारा मीठा पानी समुद्र में जाता है, उसे रोकने के लिए भी व्यवस्था के नाते नदियों को जोड़ने की बात कही। सरकार ने घोषणा की है कि नदियों को जोड़कर बाढ़ और सूखे से हम लोगों को बचायेंगे। इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इस योजना को जितना जल्दी से जल्दी हो सके, इसे लागू करें ताकि बाढ़ और सूखे से देश को बचा सकें। इसके साथ ही साथ जो पहाड़ी नदियां है, जो समय-समय पर हमें नुकसान देती हैं, उनकी भी साफ-सफाई कराकर ठीक कराने का काम किया जाए।

***श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) :** इस बार भी वर्षा न होने के कारण सूखा पड़ने के आसार है । 2012-13 में यहां औसतन वर्षा 767 मि0ली0 दर्ज की गई थी 2013 में 100 मि0ली0 दर्ज की गई थी । इस साल अब तक 73 मि0ली0 वर्षा दर्ज की गई है । इसके चलते किसान ज्वार बाजरा मूंग उड़द की बुआई अब तक नहीं कर सका वर्षात न होने से यहां के लोग धान की बुआई नहीं कर सके । वरूण देव की कृपा दृष्टि नहीं हुई तो निश्चित ही बुंदेलखण्ड के किसान खरीद की फसल न होने भुखमरी की कगार पर आ जायेंगें । पिछले साल प्रकृति की नाराजगी से रबी की फसल को मूसलाधार वारिस ओला वृष्टि ने बर्बाद कर दिया था । वर्तमान में बारिश के अभाव में खरीफ की फसल की बुआई की कोई संभावना नहीं है बुंदेलखण्ड में एक अध्ययन में ये बात सामने आई है, आत्महत्या अप्रैल से जून और उसके बाद अक्टूबर से दिसम्बर में सर्वाधिक पायी गई है । अप्रैल से जून तक रबी की फसल का समय होता है । फसल को खेत से घर तक लाने की योजना साल भर बनाता है । इससे होने वाली आय से वह बच्चों की पढ़ाई के पैसे देगा बेटी की शादी करेगा पुराना कर्ज उतारेगा । बुदेलखण्ड का किसान इस कदर प्रकृति पर निर्भर है कि बार-बार किसानों के सपने धरे के धरे रह जाते हैं । ओला वृष्टि में 40000 हजार हेक्टेयर भूमि बर्बाद हो गई है । बुंदेलखण्ड किसानों मजदूरों को तालाब सूखे रहे हैं नदियां भी सूख रहे हैं । 10 से 15 जून तक काफी वर्षा हो जाती थी तो किसान मृग नक्षत्र में बुआई का काम शुरू करता था ।

जिला झांसी के एरच के पास वेतवा नदी पर डिकोली में बांध बनाने की आवश्यकता है और गुरूसराय के पास मसनेह बांध है उसकी क्षमता बढ़ाना चाहिये वेतबा नहर गुरूसराय जो परीक्षा बांध से निकलती है । इस नहर से भसनेह बांध को भरने की व्यवस्था की जानी चाहिए । बुंदेलखण्ड क्षेत्र कहीं पथरीला कहीं ऊंचा नीचा क्षेत्र है यहां पर नये चैक डैम बनाने की आवश्यकता है । गुरूसराय से गरौठा जाते समय छेच्छ नदी पर बना चैक डैम सही नहीं है चैक डैम में पानी आने के बाद रोड पानी से भर जाता है रास्ता भर जाता है चैकडैम जाते समय इस समस्या को भी देखना चाहिये । गुरू सराय बेतवा नहर की जो डिजायन करके उसे पक्का किया गया है उस नहर की क्षमता 1/4 रह गई है । बीमा कंपनी ने इस वर्ष खरीफ के लिए प्रीमियम की अंतिम तारीख 31 जुलाई रखनी है अभी तक बीमा कंपनियां प्रीमियम तिली उर्द आदि की फसलों में दो प्रतिशत लगता था । लेकिन अब ये राशि ढ़ाई से तीन गुना कर दी गई है । अब राशि 6 % ले रहे हैं । उक्त प्रकरण पर विचार किया जाना जरूरी है । उत्तर प्रदेश शासन ने सूखे की

* Speech was laid on the Table

चैक अपने ही दल के लोगों को चिन्हित करके ही 10 % लोगों को प्राप्त हुआ है जबकि 90 % लोग वंचित रह गये हैं । सूखा राहत की राशि 2000/- हेक्टेयर बहुत कम है जिसमें बीज का खर्चा भी पूरा नहीं होता है । कृषि विभाग द्वारा पानी की बचत के लिए स्प्रिंकलर सैट योजना लागू की है । लेकिन इस योजना में गांव को ईकाई मान रहे हैं जो किसान छोटे कस्बे में रहते हैं उनकी जमीन पर सब्सिडी वाले स्प्रिंकलर सैट स्वीकृत करने से मना कर रहे हैं । अतः उक्त योजना का लाभ सभी जगह दिलाया जाये ।

*SHRI N. KRISTAPPA (HINDUPUR): Thank you, Madam for giving me this opportunity to speak on drought situation prevailing in the country. Madam, in Rayalaseema region, particularly in Anantpur district, drought is a regular phenomenon. We were born in drought, I grew up in drought and we are living in drought. This situation is not new to us, we were prepared for losses even after sowing our crops. But for the last three months there are no rains and as a result we are not in a position to sow seeds. Had we sowed seeds in the last week of July there could have been good harvest. Now this is August, we are not sure whether we can sow seeds, even if we go for sowing we are not sure of good yield. In such a situation, how farmers of this region would survive is a matter of concern.

We cannot sow and we won't get good yield. In last 15 years, drought was declared for 13 years in Anantpur district. In such a scenario, the Government should ponder over, how farmers of this region would survive. Our leader N.Chandrababu Naidu, taking congnisance of this situation waived loan of Rs.1.5 lakh per family of a farmer. This move would benefit 96.24% of farmers in our state. On one hand farmers are happy that their loans got waived off but on the other hand due to delayed rains they are worried that they cannot sow in time and will have to face similar situation again. They are worried that they will have to face drought again and again. People of our state ensured that NDA Government is formed at the centre and made UPA to sit in opposition. They have expectations from Prime Minister Narendra Modi and NDA Government. They expect that their problems will be solved and they can tread the path of progress. I request the

---

*English translation of the Speech originally delivered in Telugu.

NDA Government to send a committee to Anantpur district and find a lasting solution to the problems prevailing there. I humbly request the Government to take steps to free this region from drought.

We are suffering because of UPA Government's misdeeds. There was National Agriculture Insurance Scheme till 2010, which used to provide some compensation to farmers on crop losses. We used to benefit to some extent from that scheme. We requested them to bring better insurance policy to provide complete compensation, to which UPA Government came out with even worse scheme. They brought weather based Agriculture Insurance Plan. Please listen to me, this will benefit you. If you listen to me, you may get an opportunity to sit on treasury benches.

Weather based insurance was introduced in 2011. That Insurance Plan was so worse, that it won't give us even the premium we paid. In such a scenario, where 13 out of 15 years were declared as drought years, how farmers in this district would survive. Madam, weaving is second biggest profession in this region after agriculture, weavers depend on silk, which is the raw material for hand woven sarees. Neither we have enough silk production in our country, nor can we import silk from other countries. Even if weavers buy silk from somewhere, the cost of inputs is more than the selling price of the saree.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI N. KRISTAPPA: Only one minute madam. There are around 2 lakh weavers in this district. I request the Government to protect weavers' interests. The Government should send a committee to this district on war footing basis, otherwise farmers and weavers in this district are staring at survival crisis. I request the Government to protect them.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI N. KRISTAPPA : Also, I would like to inform that there is no fodder for cattle. I request the Government to take concrete steps to address all these issues. With this request I conclude, thank you.

*श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगाँव): हमारा देश भौगोलिक दृष्टि से बड़ा होने से देश में एक ही समय में कहीं बाढ़ आ रही होती है तो कहीं सूखा पड़ रहा होता है और इस स्थिति को देखते हुए बाढ़ एवं सूखा के नियंत्रण के लिए हमें गंभीरता से सोचना होगा। देश में बाढ़ और सूखे के कारण भारी वित्तीय तथा जान-माल की हानि होती है। राज्य तथा केन्द्र सरकार को इस स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन पर भारी खर्च भी करना पड़ता है। बाढ़ और सूखा की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था पर भी इसका कुप्रभाव दिखाई देता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूर्ववर्ती श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार ने नदी जोड़ परियोजना की परिकल्पना की और इसे सरकार का एक महत्वकांक्षी कार्यक्रम बनाकर प्रो. सुरेश प्रभु के नेतृत्व में एक अध्ययन समिति का गठन किया। प्रो. सुरेश प्रभु समिति ने नदी जोड़ परियोजना को साकार करने के लिए अपनी अध्ययन रिपोर्ट के जरिये सरकार को कई सिफारिशें की हैं, लेकिन सत्ता परिवर्तन के पश्चात् सरकार में आई यू.पी.ए. सरकार ने इस अध्ययन रिपोर्ट और सिफारिशों की सतत उपेक्षा की। इसके कारण नदी जोड़ परियोजना प्रत्यक्ष साकार नहीं हो पाई। माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के द्वारा नदी जोड़ परियोजना पुनः साकार करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को जताया है। देश में एक हिस्से में बाढ़ तथा दूसरे हिस्से में सूखे के कारण होने वाले नुकसान के कारण होने वाले अति खतरे को कम करने के लिए नदी जोड़ो परियोजना का क्रियान्वयन तेजी से होना चाहिए। सरकार इसके सभी पहलुओं पर ध्यान देकर नदी जोड़ो परियोजनाओं के द्वारा देश की बारहमासी नदियों को जोड़ेंगी तो देश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा कम होगा तथा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल की उपलब्धता बढ़ायी जा सकती है। पिछले साल महाराष्ट्र में कई जगहों पर अति सूखे की स्थिति निर्मित हुई थी। ज्यादातर किसानों को मवेशियों को बेचना पड़ा है। ऐसी स्थिति में, हमारे क्षेत्र जलगांव में पिछले कई सालों से राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की उपेक्षा नीति के कारण लोअर तापी प्रकल्प को सरकारी मंजूरी के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार लोअर तापी प्रकल्प को राष्ट्रीय योजना में शामिल करे और इसके लिए आवश्यक धनराशि आवंटित करे। यदि यह योजना राष्ट्रीय योजना में शामिल होती है तो वहां की जनता को राहत मिलेगी। पिछले लोक सभा में मैंने कई बार इस विषय को सदन में उठाया है, लेकिन सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं

---

* Speech was laid on the table.

की गयी। मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस लोअर तापी प्रकल्प को राष्ट्रीय प्रकल्प घोषित कर तुरंत धनराशि आवंटित कर, उत्तर महाराष्ट्र के लाखों किसानों को लाभ एवं राहत देने की कृपा करें।

श्री राम प्रसाद शर्मा (तेज़पुर): सभापति महोदया, मैं हिंदी में बोलने की चेष्टा करूंगा, though I do not belong to hindi heartland.

महोदया, असम फ्लड और लैंड इरोजन से सफरर स्टेट है जिनके कारण हजारों हेक्टेयर जमीन नदी ले जाती है। ब्रह्मपुत्र हो, बराकभैली हो दोनो साइड्स में हमलोग सफरर हैं। हमारे 27 जिलों में से 19 जिले फ्लड अफेक्टेड हैं। हजारों हेक्टेयर जमीन नदी में चली गई है। कृषि से जुड़े हजारों लोग बेघर हो गए हैं, उनके लिए कोई कंपैनसैशन नहीं है। कोई क्रॉप इन्शुरैंस नहीं है। वहां पर कोई फ्लड कंट्रोल की कोई अफेक्टिव सिस्टम नहीं है। पिछले 60 सालों से हम लोग यह विषय हर बार सदन में उठाते आ रहे हैं। चाहे पार्लियामेंट हो या रिसपेक्टिव असैम्बली हो, जब-जब बाढ़ आती है, हम लोग इस विषय को सदन में उठाते हैं। लेकिन, आज तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। हमने इसके लिए लाखों-करोड़ों रुपए खर्च किए होंगे। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। असम में भी यही स्थिति है। धेमाजी से ले कर धुबड़ी तक, मैं तेजपुर से चुन कर आया हूं, वहां अभी भी एक म्यूनिसिपल टाउन पानी के अंदर है।

Gohpur town is under water. Gohupur town has been under water for the last one month. Nobody is concerned about it. Different Departments are there. Money is going from the Central Government. That is not being properly utilised. Money goes into the pockets of contractors, officials and politicians.

I would humbly request this House and through you, the Minister of Agriculture to consider taking effective measures for concrete embankment of River Brahmaputra, Barak Valley and its tributaries. Money is spent year by year. But it has not produced any fruit. People are suffering. There is no crop insurance. There is no compensation for people who are losing land through erosion. This is the position in Sadia, Dhemaji, Lakhimpur, Sonitpur, Dhubri, Goalpara, Nimatt Ghat, Jorhat Roumariah and Dibrugarh. Construction of dam is not the solution. Large dams are not the solution. Small dams might be the solution. That is to be considered. Effective measures for controlling of floods, de-siltation of rivers and navigation should be adopted for effective control of floods so that siltation is removed. There was dredging. That proposal came in 1971. That was dumped in the River Brahmputra. Dredging has not taken place. And due to siltation the width of the rivers is widening day by day and year by year. The money spent has

gone down the drain. Work is undertaken when there is flood. When the flood comes, then only the Department becomes active and starts working.

So, in the lean season, the work should be completed. Our State should be protected. We have been discussing only Kosi and Bihar. But Assam is the worst sufferer. It is the second biggest problem in Assam after the issue of refugees from Bangladesh. Bangladeshi refugee is the first problem. The second problem is of flood and erosion. That must be tackled for all times to come. I am sure, this NDA Government, under the leadership of Shri Modiji would take up the problem and see that the embankment takes a concrete shape and not just by the sand and soil.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को और माननीय मंत्री जी को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर इतनी लंबी चर्चा करायी। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा, जब चर्चा नहीं होती है, तो विपक्ष की ओर से मांग उठायी जाती है और अब इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा हो रही है, तो कहते हैं कि इतनी लंबी चर्चा क्यों करें, यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तराखण्ड राज्य की ओर दिलाना चाहता हूँ। उत्तराखण्ड देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। सन् 1991 में भारी भूकम्प की त्रासदी से उत्तरकाशी, चमोली तथा रुद्रप्रयाग जैसे जनपदों में हजारों लोग मरे थे और उसके बाद वर्ष 1998 में जो मालपा का प्रकरण हुआ था, उसमें देश के चौदह राज्यों के दर्जनों लोग हताहत हुए थे। अभी गत् वर्ष जो केदारनाथ की त्रासदी हुई, उसमें देश के 24 राज्यों के बीस हजार से भी अधिक लोग हताहत हुए। हजारों लोगों का तो अभी तक भी पता नहीं चला है। सैकड़ों गांव बर्बाद हो गये, सैकड़ों परिवार ख़ाक में मिल गये, लाखों लोग आज भी चौराहे पर खड़े हैं। यह वह क्षेत्र है, जहाँ पर 65 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र है। यह पूरे देश के पर्यावरण की रक्षा करता है, बल्कि मैं यह कहना चाहता हूँ कि देश के पर्यावरण की पहली पाठशाला है उत्तराखण्ड। इसलिए यह सामरिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि चीन की लगभग साढ़े तीन सौ किलोमीटर और नेपाल की 263 किलोमीटर लंबी सीमाओं से जुड़ा यह राज्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस पर ध्यान देने की नितांत आवश्यकता है।

सभापति जी, जो गांव बर्बाद हो गये, उनका पुनर्वास आज तक नहीं हुआ। लोग आज भी खुले आसमान के नीचे हैं। लोग दर-दर भटक रहे हैं। आर्थिक तंत्र इतना खराब हो गया कि जिन लोगों के खेत-खलिहान सब बर्बाद हो गये, वे आज चौराहे पर खड़े हैं। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वे भुखमरी के कगार पर हैं। वहाँ अतिवृष्टि से जो क्षति हो रही है, हम शुरू से यह मांग करते रहे हैं, हम शुरू से यह मांग करते रहे हैं कि डाप्लर रडार यदि होता तो कम से कम पांच घण्टे पहले यह पता चल जाता कि अमुक स्थान पर कितनी क्षमता वाला बादल फटेगा और वह कितनी क्षति कर सकता है, लेकिन हमको वह रडार नहीं मिला। मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी का बहत आभारी हूं कि उन्होंने उत्तराखण्ड को डाप्लर रडार देना सुनिश्चित किया और उसका सर्वे भी हो रहा है। मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं हरिद्वार से चुनकर आया हूं। हरिद्वार गंगा का तट है। जब ऊपर से नदियां उफनती हुई निकलती हैं तो हरिद्वार और लक्सर की दोनों तहसीलों के दर्जनों गांव पानी से डूब जाते हैं, उनकी फसल नष्ट हो जाती है। पिछले तीन साल से लगातार वहां का गन्ना किसान चौराहे पर खड़ा है। उसकी गन्ने की खेती पूरी तरह से नष्ट हो गयी है, इसलिए मैं दो-तीन निवेदन करना चाहता हूं। जहां हमको यह डाप्लर रडार मिलना चाहिए, वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन फोर्स की कई कंपनियां उस क्षेत्र में होनी चाहिए। वनों के संरक्षण के लिए ग्रीन बोनस जरूरी है। जो वनों के संरक्षण के कारण यह असंतुलन हो रहा है, कहीं

अतिवर्षा होती है तो कहीं सूखा पड़ता है, इसका संतुलन भी बहुत जरूरी है। गंगा का जो कटाव हो रहा है, गंगा के तटबंध टूटने से गांव के गांव डूब रहे हैं। हरिद्वार बर्बाद हो गया है। ऊपर की जो नदियां हैं, उनमें ऊपर उफान आने से जो रेता बस जाता है, उसका समय-समय पर चुगान भी जरूरी है। मैं कहना चाहता हूं कि जहां गांव का पुनर्वास होना चाहिए, वहीं पर जो किसान ऋण लेकर किसी तरीके से अपने परिवार का पालन करता था, आज वह बर्बाद हो गया है। बैंकों से आरसी जा रहे हैं, अब वह वहां रहने के बजाय जेल जाएगा। वे लोग कहते हैं कि अच्छा हम भी उसी त्रासदी में मर जाते। इसलिए उस पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण योजना बननी चाहिए क्योंकि वह क्षेत्र देश ही नहीं, पूरी दुनिया की अध्यात्म की राजधानी है और देश की संस्कृति का प्राण है। गंगा को बचाना है तो वहां के लोगों को भी बचाना है, इसलिए जो तटबंध टूट रहे हैं, समय-समय पर उनको बनाए जाने की जरूरत है। किसान और नौजवानों को पलायन की दृष्टि से रोकना बहुत जरूरी है। यदि उनका पलायन नहीं रुकेगा, तो राष्ट्र के लिए संकट पैदा होगा। वह क्षेत्र देश को जवान देता है। वह क्षेत्र जवान भी देता है, पानी भी देता है, प्राण वायु भी देता है। इसलिए मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि उस क्षेत्र की रक्षा के लिए अलग से एक महत्वाकांक्षी योजना होनी चाहिए ताकि अतिवृष्टि से लोगों बचाया जा सके, उनका पुनर्वास किया जा सके, बेरोजगारी दूर की जा सके और वहां के खेत, खलिहान और मकानों की रक्षा हो सके।

SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): Madam Chairperson, before starting my speech, I would like to thank our hon. Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma for choosing me, and also the people of Krishnagiri Constituency for electing me as a Member of Parliament.

Madam, while one part of India experiences hot and dry weather and reels under drought conditions, another other part experiences heavy rains and flood. Sixty per cent surplus rain water drains into the sea. India has witnessed many droughts and floods in the past. Even now in Uttarakhand there are heavy rain and flood, and Pune is facing heavy rain and landslides. Many people have died and properties got heavily damaged. Members of Parliament know well the situation in Uttarakhand and Pune. In this situation, the Union Government must take concrete steps and utilize surplus waters from one part of India to another part by interlinking rivers.

In Tamil Nadu, tsunami occurred in 2004 and the Thane cyclone occurred in 2011. During these difficult situations our Chief Minister Amma immediately took various relief measures to rescue and rehabilitate the affected people by ensuring construction of damaged houses using disaster resistant features and undertaking vulnerability mapping.

During the Thane Cyclone, our Amma restored supply of electricity by installing 80,000 repaired electric polls, separate generators, transformers, etc. to supply electricity within a few days of the horrible incident. Further, around one lakh houses were constructed for the affected people, in addition to supply of food, safe drinking water, etc. The kind hearted Chief Minister of Tamil Nadu, Amma ordered immediate release of Rs. 150 crore towards relief and restoration of infrastructure damaged by the Cyclone Thane affected areas. Our Chief Minister also directed the Ministers, District Collectors, Deputy Collectors and Department Secretaries to assess the extent of the damage caused in the Cyclone Thane affected places.

Madam, floods and droughts are two faces of the same coin. Though droughts hit food production mainly through water scarcity, floods disrupt national

economy. Our Amma is the first one who introduced rainwater harvesting scheme in the country. It proved to be excellent and every State took it as a role model.

Our hon. Chief Minister Amma, our visionary leader, introduced some schemes to avoid and prevent the occurrence of drought and flood schemes are : (1)massive tree planting programme (2) water conservation and canopy improvement in degraded forest lands, (3)Tamil Nadu Afforestation Project (TAP) Phase-II Utilisation Plan, (4)replanting in Thane Cyclone affected areas of Cuddalore and Villupuram districts in Tamil Nadu, are some of the on-going major schemes in Tamil Nadu with an allocation of about Rs. 242 crore.

Our Chief Minister urged the Union Government to take necessary steps to implement the Cauvery Water Tribunal Award by Supreme court. The Chief Minister also wrote a letter to the hon. Prime Minister a few days back to constitute a Cauvery Monitoring Commission.

Now, we came to know that the Union Government is taking strong efforts to constitute a committee to prepare a feasibility report about the linking of rivers throughout India. If this project is implemented, there will be no drought, no famine, no starvation death and no floods in the country. So, I would urge the Union Government to take necessary steps to implement this project to prevent drought and floods in the country.

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : सभापति महोदया, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूं। भारत के अंदर मानसून एक जुआ है, मानसून अनसर्टन है, इरेटिक है, अनइवन है और इसी कारण से ये सारी प्राब्लम्स आती हैं कि कहीं पर बाढ़ आती है और कहीं सूखा पड़ता है। अभी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हुए साथी कोसी और अन्य नदियों से हुए वहां विनाश का वर्णन कर रहे थे।

मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूं और राजस्थान ज्याद सूखे के कारण जाना जाता है। वहां पर पिछले 67 साल में केवल नौ साल ऐसे निकले, जब पूरे प्रदेश के अंदर सूखा न हो। इस दौरान वहां अच्छी फसल हुई, लेकिन वह एक और जमाना था। राजस्थान में 58 वर्ष किसी न किसी हिस्से में सूखा पड़ा। मेरा संसदीय क्षेत्र नागौर राजस्थान में डेजर्ट और सेमी डेजर्ट जोन में आता है।

15.59 hrs.

(Prof. K.V. Thomas *in the Chair*)

राजस्थान का दो तिहाई एरिया डेजर्ट और सेमी डेजर्ट के अंदर है। वहां इस साल 20 जुलाई तक बारिश नहीं हुई। अब थोड़ी हुई है, लेकिन यह सोइंग के लिए बहुत लेट हुई है। इस कारण इस वर्ष भी सूखे के आसार हैं।

मैं इस सदन में राजस्थान और अपने संसदीय क्षेत्र के सूखे के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि और बताना चाहूंगा कि सूखे से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए और सूखे से निबटने के लिए क्या किया जाए, कैसे मदद की जा सकती है। भारत के अंदर एडीआरफ है और स्टेट्स में एसडीआरएफ है, जिसमें 70 प्रतिशत पोषण एनडीआरएफ या केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।

16.00 hrs.

इसके द्वारा जितना भी पशुओं और गौशालों के लिए चारा दिया जा रहा है साथ ही सिनियर सिटीजन्स को सहायता दी जाती है, लोग सूखे के कारण बेरोजगार रहते हैं उन्हें रोजगार दिया जा रहा है और विशेषतः पीने के पानी की व्यवस्था की जानी जरुरी होती है और वह की जाती है। Unfortunately on 28th November 2013, a circular was issued by the Central Government. ये जो सात-आठ महीने सूखे के होते हैं यानी पांच वर्ष में से एक वर्ष ठीक-ठाक निकलता है बाकी चार वर्ष सूखा पड़ता हो, उस प्रदेश के अंदर आप चारे के लिए या एनडीआरएफ के तहत जो रिलीफ दी जा रही है, Now, they have curtailed it up to only 90 days in a year. 90 दिन से क्या गौशालाएं चलेंगी और जब वहां अकाल पड़ता है तो इन गायों की क्या हालत होती होगी, आप समझ सकते हैं। गायों को गौशालाओं से बाहर छोड़ दिया जाता है और जो राजस्थान की सबसे अच्छी नस्लें हैं राठी, गिर है, नागौरी है, सांचौरी है जो अब नष्ट होती जा रही हैं। कारण यह है कि सरकार जब तक सहायता नहीं देगी तब तक वहां के लोगों

का गायों से गुजारा नहीं होगा। Cow rearing and cattle rearing are the main occupation of the Rajasthanis.

इसलिए यह जो 28 नवम्बर 2013 का सर्कूलर है, it should be withdrawn and amended especially for the drought reasons and for the drought areas. Secondly, the Government should provide adequate funds for potable water. मेरे संसदीय क्षेत्र में इंदिरा गांधी कैनाल से लिफ्ट कैनाल के नाम से पानी लाया जा रहा है, अभी पूरा आया नहीं है और पूरे जिले में पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है। इसमें केन्द्रीय सरकार के अनुरोध है कि they should provide maximum fund and they should allot maximum money to Rajasthan for providing water. क्योंकि जब सूखा पड़ता है तो 20-20 किलोमीटर दूर से पानी मंगाया जा रहा है, टैंकर्स के द्वारा पानी मंगवाया जाता है, स्थिति बहुत खराब है, इसलिए Central Government should provide water. जंगल लगाने के नाम पर ये जो नरेगा योजना है इसके तहत काश्तकारों को जिनके खेत के साथ सड़क है, उनको पूरे साल के पैसे दिये जाने चाहिए ताकि उस राशि से जो जंगल लगाये जाते हैं वे बचाए जा सकें। वृक्षारोपण जो किया जाता है दिल खुश होता है, अगस्त के महीने तक तो वृक्षारोपण होता है और दिसम्बर के बाद पेड़ देखने को भी नहीं मिलता है। आखिर में आपसे निवेदन करुंगा कि इंदिरा गांधी कैनाल जो है इसमें डिसिल्ट भी हो रहा है, लिकेज भी होता है, it requires a lot of amount to repair it. The Central Government should give it to the Rajasthan Government ताकि राजस्थान सरकार उसे रिपेयर कर सके और उसमें पानी आराम से बह सके। Mainly, drinking water problem is the major problem of the North-Western Rajasthan.

Thank you very much for giving me the time.

(

श्री राजकुमार सैनी (कुरूक्षेत्र) : सभापति महोदय, ...

HON. CHAIRPERSON : Shri Rajkumar Saini, you have already laid your speech on the Table of the House. So, your speech has already been recorded.

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Thank you, Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak.

We have in Assam an annual war with the flood caused by the river Brahmaputra. The flood is largely caused because the river has been expanding. Since 1970 this mighty main river of India has expanded double its width and in its wake it has consumed villages. It has almost consumed the Island of Majuli. It has thrown women and children on the streets. It has made farmers lose their land. It has made fish farmers lose their entire year's production of fish. In 2011 it broke my heart to see the number of villages which had been destroyed, old people living in refugee camps without any clothes on their bodies and women barely being able to feed their children.

Sir, one of the major reasons for this annual flood is the amount of silt that is being deposited on river Brahmaputra by the upstream nations. The silt is causing the bed of Brahmaputra to rise and thereby expanding its width. Therefore, any flood management programme undertaken by the Union Government needs to have a silt management programme. The State Government of Assam has appealed to the Union Government to establish a Brahmaputra River Valley Authority which will take the views and opinions of all the States in Northeast India in order to have a trans-boundary flood management programme.

Sir, we are living in the age of science and technology but our flood management programmes belong to the 19th or 20th century. This is the century of the IT. This is the century of modern industrial design and yet we simply talk about embankments or merely solutions like geo-bags and geo-tubes. Sir, we need to have advanced flood forecasting systems. We need to have systematic dredging points. We need to have smart villages in addition to smart cities. Sir, we have to take into account the affected States in upstream parts of our country.

When hon. Minister of DONER, Gen. V.K. Singh came to Assam, he made a point that the Subansiri dam needs to be expedited but the concerns of the downstream States must be taken into view. At the same time, the hon. DONER Minister mentioned that such hydro power projects need to be undertaken with sensitivity. When Prime Minister went to Bhutan and inaugurated the huge hydro

power projects in Bhutan, at that point no concerns related to the downstream impact of those hydro power projects were undertaken.

Sir, in my own district of Nagaon, there are villages in Samaguri, Rupahi, Dhing and Batadrava. There are many farmers who cultivate fish. Due to annual floods, their entire year's production of fish flows away. Therefore, I would appeal to the Minister of Agriculture that when he talks about the flood insurance programme he must also have a specific insurance programme for farmers cultivating fish because they lose lakhs and crores of rupees in annual floods.

Sir, we must understand that the flood management programmes cannot be left to the State Governments. It needs a proactive role of the Union Government. We need a river basin management programme. We should not look at floods just from a State point of view. We will have to look at it as a river basin. If we want to have an effective solution for Brahmaputra, we should also have an international river basin understanding with China, Bhutan, Bangladesh and Myanmar. Sir, we need a systematic and holistic solution. Mere throwing away of money into different schemes will not help. This is a time when a new Government has come. It has to plan a long term vision. It has to have a long term roadmap. It cannot just come up with mere Budgets and mere financial resources.

We urge that this Government works in coordination with the State Governments and constitute the Brahmaputra River Valley Authority and plans a long term road map for its solution. … (*Interruptions*) .

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

… (*Interruptions*)

श्री गौरव गोगोई : एनडीए ने क्या किया?...(व्यवधान) आप यूपीए और एनडीए के बीच में तुलना करते हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि यूपीए सरकार ने ज्यादा किया है।...(व्यवधान)

श्री कामाख्या प्रसाद तासा (जोरहाट) : माननीय सभापति जी, अभी अभी आर.के.सिंह जी ने भी अपनी बात यहां रखी और अभी असम की हालत के बारे में भी दो माननीय सांसदों ने भी यहां अपनी बात कही। फिर हम लोग देख रहे हैं कि ब्रहमपुत्र में जो बाढ़ आ रही है, यह सबसे खतरनाक स्थिति में है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मादुली सबसे बड़ा रिवर आईलैंड है। इसका आधा ब्रहमपुत्र ने इरोजन में ले लिया। उसके बाद फ्लड की जो स्थिति है, वह मेरे जिले में है। डिब्रूगढ़, तिनसुखिया, लगभग सारा असम बाढ़ की चपेट में है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि असम सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। असम सरकार के पास पैसा भी नहीं है कि फ्लड को कंट्रोल करे फिर भी केवल रिलीफ देकर असम सरकार अपनी ड्यूटी कर रही है। जो रिवर ऑथोरिटी है, हम लोग ब्रहमपुत्र बोर्ड बोलते हैं, यह बोर्ड भी अभी सफेद हाथी जैसा हो गया है। इसका कुछ काम भी नहीं है। अभी असम में जो बाढ़ होती है, इसका असर पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई। मादुली में, जोरहाट में एक साल में जो आदमी पैसा कमा लेता है, वहां फ्लड आने के बाद उसका वह सब कुछ खत्म हो जाता है। अभी दस हजार से ज्यादा परिवार माथारी में हैं।

अभी हमने देखा है कि जो ब्रहमपुत्र ऑथोरिटी है और सेन्ट्रल गवर्नमेंट वॉटर मैनेजमेंट जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग है, ऑथोरिटी है, ये लोग भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। असम अभी ऐसा राज्य हो गया है कि वहां बाढ़ आने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि वहां पर लोग बीमार भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। वहां पर इसके कंट्रोल के लिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उतना वहां नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट अभी गुजरात सरकार से असम सरकार ने कोलेबोरेशन में कर लिया है। हम लोगों को ऐसी जानकारी हुई है कि गुजरात सरकार का डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग असम की भी मदद कर रहा है लेकिन ऐसा लगता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट को कोई जानकारी नहीं है कि कब बाढ़ आएगी। यहां पर फ्लड के लिए जितने लोगों को टेंशन हो रही है, हर साल जितनी कमाई वे लोग करते हैं, वह सब बाढ़ में चली जाती है। अभी फसल नहीं हुई है। कृषि भूमि पूरी सैंड से भर गई है। ऐसा लगता है कि वॉटर रिसोर्सेज विभाग भी पूरा ठप्प हो गया है। असम सरकार की बात छोड़ दीजिए।

मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करूंगा कि जो नयी सरकार आई है, मैं आशा करता हूं कि नयी सरकार इस समस्या को पूरी बारीकी से देखेगी और समस्या का निदान करेगी। असम और नॉर्थ-ईस्ट की जो इकोनॉमी है, यह इंसर्जेन्सी से भी लिन्क्ड है। इंसर्जेन्सी का कारण है कि वहां पर फ्लड के कारण बहुत सारे परिवारों को समस्या आ रही हैं, उन लोगों की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई है। जो लड़के लोग हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है। इसलिए बाढ़ से प्रभावित परिवार ईजी मनी के चक्कर में भी पड़ गये हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के बहुत सारे लोग बैंगलोर, मुम्बई, गुजरात में नौकरी कर रहे हैं। अभी वे लोग भी कह रहे हैं कि बाढ़ के कारण उनका पूरा परिवार आर्थिक रूप से तबाह हो गया है और न खाने के लिए उनके पास कुछ है और न पीने का पानी उनके पास है। हम लोग क्या करें? इसलिए वे लोग असम से बाहर जा रहे

हैं। इसीलिए इस समस्या को केवल डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से ही नहीं देखा जाए बल्कि सोशल रैस्पांसिबिलिटी के दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए।

मेरी कांस्टीच्युएंसी जोरहाट है, असम के चीफ मिनिस्टर भी इसी कांस्टीच्युएंसी से हैं। अभी यहां इरोजन हो रहा है, फ्लड हो रहा है। यहां जैसा काम होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। नीमाटी का आधा भाग बाढ़ से ग्रस्त है, मजूली जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर की कांस्टीच्युएंसी है वो भी डूब गई, नौगांव के बारे में जो गोगोई जी बोल रहे थे, वह भी डूब गई। तेजपुर, डिब्रुगढ़ के एमपी यहां बैठे हैं। असम का एरिया लगभग 78000 स्कवेयर किलोमीटर है, यहां पर इतनी बड़ी बाढ़ आई है कि लोगों के रहने की जगह नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि काजीरंगा नेशनल पार्क भी बाढ़ से प्रभावित है। यहां एनीमल्स की लाइफ सेव होनी चाहिए।

मैं केंद्र सरकार से दरखास्त करता हूं कि पूरे देश में बाढ़ की स्थिति है। असम का एरिया बहुत कम है और अगर यह भी बाढ़ में चला जाएगा तो हमें यहां रहने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस मैटर को जरूर देखें।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) :माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं झारखंड प्रदेश से आता हूं। हमारे प्रदेश और खास कर मैं गिरीडीह लोकसभा क्षेत्र से आता हूं। वहां पांच डैम बने हुए हैं। तेनुघाट, कोनार, मैथन, तिलैय्या डैम हैं। जब इनका निर्माण हुआ तो वहां के ग्रामीण विस्थापित हुए। उस जमाने में मुआवजा राशि मिली थी। आज वहां के किसान भाइयों का चिंतन यह रहा कि इस डैम से सिंचाई की सुविधा मिलेगी। डैम से समय-समय पर पानी को छोड़ दिया जाता है। आज स्थिति यह है और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इसकी कोई सूचना नहीं दी जाती है। अभी हमारे राज्य में थोडी बारिश हुई हालांकि झारखंड प्रदेश में सूखा है। जब तेनुघाट डैम से पानी खोला गया तो पांच ग्रामीण नौजवान लड़के बह गए और उनकी मृत्यु हो गई। दामोदर वैली कारपोरेशन, तेनुघाट डैम झारखंड सरकार के अधीन है, उनके द्वारा कोई अलार्मिंग सूचना नहीं दी गई जिससे सारे लोग परेशान रहे। तेनुघाट डैम से पानी बोकारो स्टील जाता है। इससे हमारे क्षेत्र की एक इंच भी जमीन सिंचित नहीं होती है। कोनार डैम का निर्माण हाइड्रल प्रोजेक्ट के लिए किया गया था। जब से डैम का निर्माण हुआ यानी 1952 से आज तक जो सिल्टिंग हुई है, उसकी सफाई नहीं की गई। इस कारण थोड़ी बारिश होने पर पानी ओवर फ्लो करने लगता है। यहां की एक भी इंच जमीन सिंचित नहीं होती है। 1996 से लेकर अभी तक कई बार इस विषय को कई बार सामने रखा गया है ताकि सिंचाई की सुविधा मिल सके तभी इस प्रदेश को डैम के निर्माण से लाभ मिलेगा। ताज्जुब की बात है कि इससे एक भी इंच जमीन की सिंचाई नहीं होती है। और तो और टुंडी के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में बराकर नदी है, यहां से बाढ़ आती है और बंगाल की तरफ चली जाती है। तोपचांची का जो क्षेत्र है, वहां सूखा पड़ा है। आजादी मिले 66 वर्ष के बाद भी बाढ़ और सूखे की सदन में बहुत बार चर्चा हुई है लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ।

मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहता हूं कि चर्चा बहुत सुंदर है लेकिन इसका निवारण होना चाहिए। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस समस्या का निदान होगा। नदियों को जोड़ने का जो सपना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, वह साकार होगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (आँवला) : सभापति महोदय, आपने मुझे सूखा और बाढ़ पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के आंवला लोक सभा क्षेत्र से आता हूं, जो दो जनपदों की लोक सभा है। आधा क्षेत्र जनपद बरेली में पड़ता है, जो राम गंगा से घिरा हुआ है और आधा क्षेत्र जनपद बदायूं में पड़ता है, जो बड़ी गंगा से घिरा हुआ है। बाढ़ के समय मेरे क्षेत्र के गांव दौली, घुरा, राघोपुर, मुरापुरा, बिरिया, बेहटी, रौंधी, बभिया, पीपल वाली गोटिया, हंडौलिया, गोंविंदपुर और भोलापुर तमाम ऐसे गांव हैं जो टापू बन जाते हैं और जिनका सम्पर्क शहर से पूरी तरह कट जाता है। इसी तरह से बड़ी गंगा की तरफ से भूड़ा, बदरौल गनियाई, गुलाबनगर, ककोड़ा, भकोड़ा, कौआनगला आदि तमाम ऐसे गांव हैं, जिनका सम्पर्क सब तरफ से पूरी तरह से कट जाता है और ये गांव टापू की तरह बन जाते हैं तथा उस क्षेत्र की जितनी भी सड़कें और पुलिया हैं, वे सब बाढ़ में बह जाती हैं।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि कचलाघाट पर एक डैम का निर्माण किया जाए और जो गांव बाढ़ से घिर जाते हैं, वहां चारे के लिए पशु तड़पते रहते हैं, जमीन और फसल बर्बाद हो जाती है, इसलिए केवल उस क्षेत्र में तटबंध बनाया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[*]**SHRI C. MAHENDRAN (POLLACHI):** I humbly submit my profound thanks to the Tamil Nadu Chief Minister Hon'ble Puratchi Thalaivi Amma for being given me an opportunity to be a Parliamentarian in this Hon'ble House.

I am also thankful to the people of my Pollachi constituency for selecting me as Member of Parliament with thumbing majority, with grace and blessings of our great political mentor, the Tamil Nadu Chief Minister Hon'ble Puratchi Thalaivi Amma.

In my Pollachi Parliament constituency nearly 92000 hectre area has under coconut cultivation. Of which this ranks one-fourth of coconut area in Tamilnadu.

Due to failure of South-West and North-East monsoon, water level is depleted much in wells as well as in underground water levels. Owing to insufficient water and high cost of maintenance, coconut farmers are in crisis and face great loss in our area due to the drought condition prevailing in the coconut producing areas. Hence, the livelihood of coconut growers has been affected very much. The standing crops were falling every day due to the acute drought condition which were maintained by them for more than 20 years of toiling their blood and sweat with great devotion in one crop, alongwith the episode of low supportive price offered by NAFED.

This is a great loss like death of a child after 15 to 20 years of your care and affection shown in their growth. This is nothing but losing your own dear ones in your family. This is the present stage of coconut growers position in my area. Very very pathetic.

Due to the water management through drip irrigation they were able to upkeep the live trees for some days during the past 6 months which has also come to halt due to the heavy drought faced by the farmers of my constituency, especially in Gudimangalam, Pethampatti and other areas of Pollachi, Udumalpet and Madathukulam constituencies. Nearly, 35% of the entire coconut trees of this region have been uprooted due to the fall the top of the tree and finding now alternative agriculture operation. To keep alive the rest of the trees they were

---

[*] Speech was laid on the Table.

buying water in tanker lorries by paying Rs.3000 to 4000 per tanker a day for the survival of the standing tree not from further falling which is a very high cost and they can ill afford to pay in long run.

Moreover, the coconut cultivation yield gestation period starts ranging from 4 years to 7 years to get revenue and the use of available ground water level prudently they have to wait for long years. Moreover uprooting of existing non yielding and drought affected trees also involves heavy cost. They need more money to spend upfront to switch over to other crop or cultivation.

Hence, I request the Hon'ble Agriculture Minister Shri Radha Mohan Singh ji to assess the situation by sending a special team on war footage to my constituency and study the real drought situation prevailing currently and provide them with immediate financial support and protect for the livelihood of coconut growing farmers as they contribute for the GDP of our nation.

The Central Government should come forward with immediate release of financial assistance through Coconut Development Board and rescue the battling coconut growers at this critical juncture as a helping hand and I sincerely pray before you to save my Pollachi constituency from the drought relief.

As per the Central norms on disaster relief, even small and marginal paddy farmers experiencing more than 50 per cent crop loss, were entitled only to Rs.2,429 per acre. Whereas our Tamil Nadu Chief Minister Hon'ble Puratchi Thalaivi Amma has given for long term crops including coconut growers numbering 50,908 farmers and they would be given Rs.4,000 per acre. A relief of Rs.43.35 crore had been made covering 1,08,383 acres in the last year.

I have 100% confidence in Shri Namo ji that he will do the best for the Agriculture welfare of Tamil Nadu to tide over the drought faced by the coconut growers of my constituency by providing suitable financial assistance to my constituency on war footage.

*__SHRI S. SELVAKUMARA CHINAIYAN (ERODE) :__ I would like to express my views in this debate on flood and drought situation prevailing in various parts of the country.

India is a diverse country with varied culture, many languages and different geographical climatic conditions. In some parts we are experiencing too hot, dry and drought conditions and in some other parts our county is witnessing heavy rain and flood, rainfall, as the principal parameter, is the basis of the definition of drought. This is well known to all of us present in the House. There is heavy rain in the Himalayan side and western parts of our country. Bihar is also facing heavy flood. The surplus water is flowing into the sea.

In some parts of our country, there is no rain and there is shortage of water both for irrigation as well as for drinking purposes. For example, Tamil Nadu is facing heavy drought for the past two years. In most of the places there is scarcity of drinking water and standing crops and coconut trees have dried up due to lack of water for irrigation. Hence, our hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi Amma has given drought relief assistance to the affected farmers in Tamil Nadu.

The failure of monsoon for the past two consecutive years has caused an adverse impact on agriculture and there is scarcity of drinking water in many areas. More than 75 per cent of minor irrigation tanks in the State have dried up. The ground water level also has gone down in most of the districts of Tamil Nadu. So, our leader, hon. Chief Minister Amma has taken immediate steps to provide drinking water by providing water tankers to many villages, but it is not sufficient for their daily needs.

Deficient rainfall and failure of this year's South West Monsoon has severely affected the standing food crops in Tamil Nadu. My constituency Erode is experiencing less rainfall for the past 10 years. The rainfall is decreasing with every passing year. So, the farmers who have got crop loans from nationalized banks, are not in a position to repay their loans as they have no other source of

* Speech was laid on the Table.

income. As they do not have any other means, they are unable to meet even their daily livelihood needs. Therefore, the Central Government should evolve a contingency plan and provide immediate financial assistance to the farmers. The previous Government had waived the entire loans of farmers. Similarly, I would request that the present Government should also waive the loans taken by farmers from all nationalized banks and other cooperative banks.

The hon. Finance Minister has announced in the Budget that Rs.8 lakh crore has been set apart for agriculture credit during 2014-15. But out of this amount, loans should be given to defaulters also. Then only all the farmers will be benefited. Similarly, the Finance Minister has announced an Interest Subvention Scheme for short term loans at the rate of 7 per cent. This is too high. So, I would request the Finance Minister to reduce the rate of interest to, at least, 3 per cent considering the problems faced by the farmers.

Flood and drought are two faces of the same coin. Drought hits food production mainly due to water scarcity and floods affect the national economy as the surplus water leads to destruction of crops and loss of human lives in cyclone and floods. As a result, we are losing millions of lives and destruction of their properties. In last year, severe flood and landslide in Uttarakhand, many people lost their lives and their livestock.

Floods create an impediment in the path of economic progress of our country. The National Flood Policy suggests various ways to control flood in the country. So, the Union Government should find a permanent solution to this recurring problem and take necessary steps to prevent floods in the country. Preservation and proper utilization of rain water and ground-water is essential to overcome the problem of drought.

In Tamil Nadu, our hon. Chief Minister Puratchi Thalavi Amma had introduced rain water harvesting scheme very successfully. The present Government should take it as a role model and introduce rain water harvesting scheme throughout the country to save the ground water.

In India, the extent of forest cover is getting reduced day-by-day as trees are cut indiscriminately either legally or illegally. Hence, plantation of trees in the forests as well as in the plains is very essential to increase the forest cover. The present Central Government should take strong measure to prevent illegal cutting of trees in the forests. Our hon. Chief Minister is encouraging plantation of more trees throughout the State of Tamil Nadu. Recently, during our Amma's 66th birthday 66 lakhs of saplings have been planted throughout the State. Further, our Chief Minister Amma is taking severe action against those who are cutting trees illegally.

No country can develop without adequate water because water is essential for our daily needs, agriculture and also for power generation. The only solution to solve the problem of flood and drought is to link all the rivers in our country. Then only, the people of our country can live happily and also our economy can grow faster.

***श्री अनुरोग सिंह ठाकुर (हमीरपुर):** माननीय सांसद योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़े गंभीर विषय की ओर इस सदन का ध्यान आकृष्ट किया है। हमारा देश भौगोलिक दृष्टि से एक खंडप्राय देश है और लगभग हर साल हमारे देश में कहीं बाढ़ आती और कहीं सूखा पड़ता है। हर साल असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार जैसे राज्यों में बाढ़ का प्रकोप कहर ढहाता है तो कई राज्यों में लोग सूखे से ग्रस्त है।

सबसे पहले मैं सूखे के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि इस बार अल नीनो के कारण कम बारिश और देश में सूखे के आसार हैं, हालांकि जुलाई महीने की बारिश ने काफी हद तक पानी की कमी को पूरा किया है, लेकिन फिर भी आशंका है कि देश के कई हिस्से इस बार सूखे की चपेट में आ सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार के चुनकर आने के बाद, यह हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन आदरणीय नरेन्द्रभाई मोदी की सरकार ने इस बार पहले ही देश के 500 जिलो में सूखे से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया है, ताकि इस चुनौती से निपटा जा सके। मैं इस पहल के लिए सरकार का आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं, सारे संबंधित मंत्रालय जैसे कि कृषि एवं जल संसाधन मंत्रालय आपसी समन्वय के साथ काम करने में जुटे हैं, वरना पहले तो ये होता था कि मंत्रालय आपसी समन्वय की जगह, आपसी झगड़े में उलझे रहते थे, लेकिन हमारी सरकार ने समन्वय को प्राथमिकता देते हुए " सबका साथ- सबका विकास " का नारा आपसी समन्वय के लिए भी दिया है। इसलिए यह सरकार बधाई की पात्र है।

मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि हमें अपनी पुरानी गलतियों से सीखना चाहिए। चाहे वह आदमी हो या सरकार, हर किसी को निरंतर नई-नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए। हमेशा लर्निंग मोड में रहना चाहिए, यह बहुत जरूरी है।

अब बात आती है बाढ़ की, पिछले साल उत्तराखंड में आई भीषण आपदा ने हमारी आँखें खोल दी। हज़ारों लोगों की जान चली गई, आज तक पता नहीं चल पाया कि आखिर इस दुर्घटना में कितनी जानें गई। वहां की सरकार अपने कर्तव्य में बुरी तरह फेल हुई। आदरणीय नरेन्द्रभाई मोदी तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सहायता की पेशकश की, लेकिन उत्तरखण्ड की सरकार ने उसे ऐसे नकारा जैसे कोई दुश्मन देश मदद दे रहा हो।

---

* Speech was laid on the Table.

हमारी सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा है कि नदियों को जोड़ा जाये। माननीय अटल जी के समय में हमने इसकी शुरूआत की थी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही इस परियोजना पर काम बंद कर दिया। अगर काम बंद नहीं होता तो पिछले 10 साल में इस परियोजना का काम काफी हद तक पूरा हो गया होता और देश के सामने आज बाढ़ और सूखे की समस्या हर साल खड़ी नहीं होती। उससे काफी हद तक निज़ात मिल जाती। लेकिन पिछली सरकार की दूरदृष्टि की कमी के कारण देश आज वहीं का वहीं खड़ा है। खैर, हमारी सरकार अब ऐसा नहीं होने देगी। हमारी सरकार नदियों को जोड़ेगी और देश के सामने हर साल खड़ी होने वाली इस विकराल समस्या का हल निकालेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।

*__श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):__ नियम 193 के तहत सूखा और बाढ़ से संबंधित चर्चा में निम्नांकित सुझाव ले करना चाहता हूँ।

S.D.R.F/N.D.R.F. के Norms में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए संशोधन की आवश्यकता है। इस सम्बंध में यथाशीघ्र राज्यों के संबंधित मंत्रियों की बैठक आयोजित कर आवश्यक संशोधनों को स्वीकृति प्रदान करें। जिससे वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को राहत मिल सके।

देश में प्रतिवर्ष सूखे और बाढ़ की समस्या से नागरिकों को जूझना पड़ता है और करोड़ों रूपये की राशि की व्यवस्था से ठीक की जाने वाली मरम्मत हेतु खर्च होती है और अगले साल मानसून के समय फिर उसी समस्या का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का एकमात्र स्थाई हल देश की नदियां जोड़ने के प्रोजेक्ट को गति देकर पूर्ण करना है। अतः मंत्रालय को नदी जोड़ो प्रोजेक्ट को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।

आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए सामाजिक संगठनों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। ऐसा संगठन जो आपदा घटित होने के बाद राहत कार्य के लिए घटना स्थल पर सबसे पहले पहुंचता है और निःस्वार्थ सेवा करता है। ऐसे संगठनों को चिन्हित करने की जरूरत है और समय-समय पर इन्हें प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता है।

आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई जो सरकारी टीम है, चाहे वह केन्द्र की हो या राज्य सरकारों की, उन्हें समय-समय पर " मानवीय " व्यवहार विज्ञान में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, जिससे उनका स्वभाव संतुलित बना रह सके और आपदा के समय शांत भाव से मानव सेवा कर सकें।

* Speech was laid on the Table.

***श्री जुगल किशोर (जम्मू) :** मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आज देश में किसान कहीं सूखे से परेशान हैं और आत्महत्या करने पर मजबूर हैं और उनके परिवार कहीं के नहीं रहे । इन लोगों की सहायता करने की जरूरत है और ऐसे कदम उठाने की जरूरत है कि सूखा से राहत मिले । वैसे सरकार ने नदियों को जोड़ने की योजना बना कर अच्छे कदम उठाने से आशा बढ़ी है ।

बारिश से होने वाले नुकसान से भी लोग बड़े परेशान है । महोदय, मैं अपने लोक सभा क्षेत्र जम्मू की बात करूं तो अखनूर और परगवाल में चिनाब दरियां से बाढ़ के कारण बहुत बड़ा हिस्सा खेती वाली जमीन का बह गया है और जब भी बाढ़ आती है, तवी अखनूर तहसील के गांवों में पानी भर आता है और घरों को भी नुकसान होता है । मेरी सरकार से प्रार्थना है कि चिनाब दरिया के दोनों किनारों पर बचाव के लिए दरिया को बांधने के लिए कदम उठाएं ।

* Speech was laid on the Table

***श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझनू):** मैं अपने संसदीय क्षेत्र झुंझनू के बारे में माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहती हूं कि झुंझनु जिला अर्द्धशुष्कीय क्षेत्रों में आता है। यहाँ मानसून की वर्षा औसत से भी कम होती है। यहाँ कोई ऐसी नदी नहीं है जो बारहमासी हो। जिले की एकमात्र काटली नदी है जो वर्षा जल से पोषित है। पिछले 20 वषों से काटली नदी में एक फुट पानी भी नहीं आता। आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहां का किसान पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है।

मेरे जिले में कोई उद्योग-धंधा और कारखाना नहीं है। लोग अपना जीवन-यापन कृषि या पशुपालन के द्वारा ही करते हैं। इस बार वर्षा जुलाई के अंतिम सप्ताह में हुई, वह भी बहुत कम। किसान बुआई नहीं कर पाया। अब अन्न का संकट तो आयेगा ही, पशुओं के चारे का भारी संकट खड़ा हो जायेगा। पिछल 10 वर्षों से कमोवेश यही स्थिति बनी हुई है। किसान कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चों की अच्छी शिक्षा व जीवन-यापन का स्तर भी घटा है।

मेरा झुंझनू जिला डार्क जोन में आ चुका है। भू-जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। सिंचाई की छोड़िये, पीने के पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। एक तरफ बाढ़ की तबाही, दूसरी तरफ बूँद-बूँद को तरसते लोग।

पूर्ववर्ती सरकार ने अनेक बार प्रस्ताव लिये और घोषणाएं की थी कि झुंझनू जिले को यमुना नहर से ताजेवाल हैंड से पानी मिलेगा। पूर्व सांसद ने यमुना नहर डाल परियोजना का शिलान्यास तक कर दिया था जो शिलालेख आज भी मौजूद है। गाँव के गाँव पलायन करने को मजबूर हैं, खेती बंजर होती जा रही है एवं कुएँ सूख रहे हैं। झुंझने जिले ने भारत की सेना को सर्वाधिक सैनिक दिये हैं। झुंझनू के रणबांकुरे देश की सीमाओं को महफूज रखने हेतु प्राणों की बाजी तक लगा देते हैं।

अवैध खनन तथा जंगलों की कटाई तथा चारागाहों पर अतिक्रमण के कारण दिनों-दिन मानसूनी वर्षा की हालत बिगड़ती जा रही है। मेरा क्षेत्र रेतीला है जहाँ वर्षा समानान्तर नहीं होती, कम होती है अथवा नहीं भी होती है। किसानों को अकाल, ओलावृष्टि आदि का मुआवजा नहीं के बराबर मिला है जिस कारण चारे की व्यवस्था, गऊशालाएं एवं पीने के पानी की व्यवस्था झुंझनू के लिए की जाए। यमुना नहर से राजस्थान के हिस्से जो पानी आये, उसमें झुंझनू जिले के हिस्से को

---

* Speech was laid on the Table.

अतिशीघ्र दिलवाया जाए। गजट नोटिफिकेशन होने के बावजूद झुंझनू को पानी न मिलना चिंता का विषय है।

***श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर):** मैंने नियम 193 के अंतर्गत देश में "बाढ़ और सुखाड़" विषय पर चर्चा हेतु अपना सुझाव दिया था, जिस पर अपना वक्तव्य सदन में पेश कर रहा हूँ।

बाढ़ देश के विभिन्न हिस्सों में भिन्न-भिन्न प्रकार की तीव्रता के साथ आने वाली प्राकृतिक घटना है। बाढ़ की आपदा से लाखों-करोड़ों लोग प्रायः हर वर्ष तबाह एवं गृहविहीन हो जाते हैं। सचमुच सामान्य बाढ़ तो खेत के लिए लाभदायक होता है, किंतु भीषण बाढ़ की स्थिति में यह अभिशाप बन जाती है। बाढ़ के कारणों में, कम समय में अधिकाधिक तीव्र वर्षा, खराब अथवा अपर्याप्त जल निकास, गैरनियोजित जलाशय विनियमन और बाढ़ नियंत्रण संरचना का असफल होना शामिल है।

ग्यारहवीं योजना में भारत सरकार ने बाढ़ प्रबंधन और समुद्र कटाव रोधी कार्यों के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता देने के उद्देश्य से बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफ.एम.पी.) प्रारंभ किया। एफ.एम.पी. के अंतर्गत नदी प्रबंधन, कटाव रोधन, बाढ़ नियंत्रण, जल निकासी विकास, समुद्र कटाव रोधन और आबाद क्षेत्र उपचार संबंधी कार्य शामिल हैं। बारहवीं योजना के दौरान एफ.एम.पी. के लिए कुल परिव्यय 10,000 करोड़ रूपये हैं, जिन्हें इस वर्ष योजना आयोग द्वारा और बढ़ाने की आवश्यकता है।

10 जुलाई, 2014 की स्थिति के अनुसार देश में 85 महत्वपूर्ण जलाशयों की भंडारण क्षमता 36.493 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल वर्तमान भंडारण क्षमता का 24 प्रतिशत है। केन्द्रीय जल आयोग, देश की 85 महत्वपूर्ण जलाशयों की साप्ताहिक आधार पर भंडारण की स्थिति पर निगरानी रखता है। इन जलाशयों में 60 मेगावाट से अधिक स्थापित क्षमता युक्त पन बिजली वाले 37 जलाशय शामिल हैं। इन जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता 155.046 बीसीएम है, जो देश में सृजित 253.383 बीसीएम अनुमानित भंडारण क्षमता का लगभग 61 प्रतिशत है।

विशेषकर बिहार के 18 से 20 जिले प्रायः हर वर्ष बाढ़ के शिकार हो जाते हैं, जिससे काफी तबाही एवं जान-माल का नुकसान हो जाता है। वर्ष 2008 में कोशी तटबंध टूटने से करोड़ों की क्षति हुई, जिसे उस समय की हमारी एन.डी.ए. की सरकार ने राष्ट्रव्यापी सरकारी एवं गैर सरकारी सहयोग से उसका सामना किया। इस बार पुनः नेपाल की तराई में भूस्खलन होने से भारी तबाही की आशंका बनी हुई है। बिहार के आठ जिले सुपौल, सहरसा, अररिया, पूर्णियां, कटिहार,

---

* Speech was laid on the Table.

मधुबनी, नौगछिया, भागलपुर आदि इसकी चपेट में आ सकते हैं। अधवारा समूह की नदियों से नेपाल के रास्ते बाढ़ आने से प्रतिवर्ष काफी संकट का सामना करना पड़ता है। फरक्का बैराज भी बिहार के लिए हितकर सिद्ध नहीं हो रहा है। जब गंगा में काफी बाढ़ आ जाती है, वहीं अधवारा समूह (कोशी, गडक, बूढ़ी, गंडक, महानंदा) आदि के बाढ़ से उत्तर बिहार सहित मध्य बिहार के 20-22 जिले जलमग्न हो जाते हैं। फरक्का बैराज का गेट वैसी स्थिति में बंद कर देने से भारी तबाही का सामना करना पड़ता है। अतएव केन्द्र सरकार को बिहार के हित में पुनः इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

साथ ही, उत्तर बंगाल में मालदह स्थित फरक्का बैराज के दो गेट बुरी तरह से खराब होने की वजह से बांग्लादेश की पदमा नदी में जरूरत से अधिक जल चला जा रहा है, जिससे कोलकाता समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में जल को लेकर गंभीर समस्या खड़ी हो सकती है। फरवरी, 2014 में 82801 क्यूसेक जल बांग्लादेश में चला गया है। जबकि 35000 क्यूसेक जल बांग्लादेश को दिये जाने पर समझौता है। इससे जलस्तर दो मीटर नीचे चला गया है।

बिहार में इन्द्रपुरी जलाशय योजना बाँध सागर इकरारनामा के तहत बिहार को आवंटित जल का उपयोग 140 वर्षों से अधिक पुरानी सोन नहर प्रणाली के लिए प्रस्तावित है। परंतु इस जलाशय का संचालन इस प्रणाली के तहत आवश्यकतानुसार नहीं होता है। सन् 1982 में केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में सोन नदी पर इन्द्रपुरी बैराज में जल संचयक को स्थायित्व प्रदान करने हेतु एक जलाशय का निर्माण करने का निर्णय लिया गया था। वर्ष 1987 में " कदवन जलाशय योजना " के नाम से केन्द्रीय जल आयोग में समर्पित इस योजना में जल उपलब्धता को स्थायित्व प्रदान करने हेतु जल संचयन के साथ 450 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन का भी प्रावधान है। किंतु यह योजना वर्षों से अधर में लटकी हुई है। वर्तमान में इन्द्रपुरी जलाशय में पानी के अभाव में बक्सर, शाहाबाद के अन्य जिलों सहित औरंगाबाद, पटना तक नहर के अंतिम छोर में पानी नहीं जाने के कारण लाखों किसान पटवन के अभाव में सूखा का संकट झेल रहे हैं। धान का कटोरा कहे जाने वाले इस क्षेत्र के किसान कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए विवश हो गए हैं। बिहार के 25 जिलों के किसानों को एक बार फिर सूखे की चिंता सताने लगी है।

गौरतलब है कि राज्य में इस वर्ष जुलाई माह तक मात्र 452.4 मि.मी. के विरूद्ध 439.4 मि.मी. बारिश हुई है जो सामान्य से विभिन्न जगहों में 19 से 25 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गयी है। बक्सर जिला में अभी तक 15 प्रतिशत ही रोपा हो पाया है, वह भी जल अभाव के कारण बिचड़ा

सूख रहा है। इधर मानसून की बेरूखी से किसानों के सामने विकट समस्या उत्पन्न हो गयी है। मलइ बैराज में बिहार सरकार ने कार्य प्रारंभ नहीं किया है जिससे जनाक्रोश उभर रहा है।

बिहार के 25 जिलो में जहां सूखे की स्थिति है वहीं सरयू नदी में जल स्तर बढ़ने से सारण के कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल में हुई भारी बारिश और बैराज से पानी छोड़ने के कारण गोपालगंज के एक दर्जन से भी अधिक गांव बाढ़ में घिर गये हैं, जिससे हज़ारों एकड़ गन्ने और मक्का की फसल बर्बाद हो गई।

अतः केन्द्रीय सरकार सम्पूर्ण देश में बाढ़ एवं सुखाड़ की समस्याओं से निपटने के लिए शीघ्र ही एक ठोस कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन हेतु राज्यों को भी निर्देशित करे। साथ ही, इन्द्रपुरी जलाशय में पानी उपलब्ध कराने, चिरलम्बित कदवन जलाशय योजना का शीघ्र निर्माण करने, बक्सर से लेकर भागलपुर तक सैंकड़ों स्थानों पर कटाव के बचाव हेतु सभी बांधों की सुरक्षा तथा बक्सर कोइलवर तटबंध की पूर्णरूपेण मरम्मत सहित सड़क निर्माण की दिशा में अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। गंगा के कटाव से प्राचीन " बक्सर किला " की सुरक्षा हेतु अविलम्ब कारगर कदम उठाये अन्यथा पूरा बक्सर शहर सहित सैंकड़ों गांव गंगा की गोद में समा जायेंगे।

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : सम्माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय योगी जी को बधाई देना चाहूंगा कि देश के अंदर एक जलते हुए सवाल को बुझाने के लिए उन्होंने इस चर्चा को उठाया और इस चर्चा में जिन सदस्यों ने भाग लिया, निश्चित रूप से उन्होंने जो सुझाव दिये हैं, उन्होंने जो मुद्दे उठाये हैं, निश्चित रुप से जब आगे योजनाओं को निर्माण होगा तो उनके सुझावों का उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा, इसलिए मैं उन्हें भी हृदय से बधाई देता हूं। ...(व्यवधान)

श्री निनोंग इरिंग (अरुणाचल पूर्व) : मंत्री जी, इसमें सभी शामिल हैं। ...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : हां, सभी माननीय सदस्य शामिल हैं। मैं हिन्दी में बोल रहा हूं। आप तो हिंदी समझते हैं।...(व्यवधान) हम यह मानते हैं कि हम हिंदी में बोल रहे हैं तो कहीं न कहीं से यह लगाने के बाद उनकी भाषा में भी आवाज पहुंच जायेगी, ऐसा मेरा अनुभव है।

श्री निनोंग इरिंग : हम हिंदी समझते हैं, यहां जितने भी सांसद हैं, सभी इसमें शामिल हैं और काफी लोगों ने नोटिस भी दिया है।...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : मुझे लगा कि आप ऐसी बात बोल रहे हैं, जो हम नहीं बोल पाये हैं और सुनने वाले को लग रहा है कि मैंने जो कहा था, उसी बात को आप बार-बार बोल रहे हैं।

महोदय, सबसे पहले जो स्थिति है, वह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि अप्रैल महीने में इस वर्ष की शुरूआत में मौसम विज्ञान विभाग ने जो इस वर्ष के लिए संभावना जाहिर की थी कि 95 प्रतिशत वर्षा होने की संभावना है। फिर जून के महीने में नौ जून को मौसम विज्ञान ने यह बताया कि 93 प्रतिशत वर्षा होने की संभावना है। फिर आगे उसने बताया कि जुलाई महीने में 93 प्रतिशत और अगस्त के दौरान 96 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। जून में जो आंकड़े आए थे, उस समय माइनस 43 परसैन्ट कम बारिश हुई थी। 21 जुलाई को माइनस 22, 1 अगस्त को माइनस 21 और 3 अगस्त को माइनस 22 बारिश हुई थी। हम देख रहे हैं कि जून में जो स्थिति थी, 31 जुलाई, 1 और 2 अगस्त आते-आते मौसम में भारी परिवर्तन हुआ है।

यहां जो मौसम के 36 उपप्रभाग हैं, उनमें अभी तक 16 में सामान्य वर्षा हुई है, 18 में सामान्य से कम वर्षा हुई है। दो प्रभागों में नाम मात्र की वर्षा हुई है। देश के अंदर जो 85 प्रमुख जलाशय हैं, उनमें भाण्डारण की स्थिति 14 जून के अनुसार 36.87 मिलियन क्यूसेक मीटर थी। फिर 27 जुलाई के अनुसार देश भर में 85 प्रमुख जलाशयों में भण्डारण की स्थिति 54.05 बिलियन क्यूसिक मीटर थी। फिर 31 जुलाई, 2014 के अनुसार देश भर के 85 जलाशयों में भण्डारण की स्थिति 70.93 प्रतिशत थी। यानि 31 जुलाई आते-आते इसमें भी काफी सुधार हुआ है। दस वर्षों की औसत का 113 प्रतिशत इसमें बताया गया है। बुवाई की जो स्थिति थी, 1 अगस्त, 1914 के अनुसार, विभिन्न फसलों की बुवाई के तहत, 79 मिनियन

हैक्टेयर को समान रूप से कवर होना चाहिए था। तथापि इस वर्ष लगभग इस दिन तक 70 मिलियन हैक्टेयर को विभिन्न फसलों के तहत कवर किया गया है। सामान्य की तुलना में चावल 19 लाख हैक्टेयर, दलहन 14 लाख हैक्टेयर, मोटा अनाज 41 लाख हैक्टेयर, तिलहन 11 लाख हैक्टेयर और कपास ढाई लाख हैक्टेयर है, जिसमें क्षेत्र में कवरेज में कमी की रिपोर्ट की गई है। मानसून में देरी और धीमी प्रगति के कारण, फसलों की बुवाई में कमी हुई है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के दस ज्वाइंट सैक्रेट्री हैं, उन्हीं के स्तर के जो अन्य पदाधिकारी है, जिनको राज्यों की जिम्मेवारी दी गई है, प्रति दिन राज्य के कृषि सचिवों से संपर्क रखते हैं और वीकली वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग भी उनकी होती है। प्रति दिन की बुवाई की स्थिति का जायजा लिया जाता है। आकस्मिक फसल के लिए अल्प मध्यावधि किस्म के लगभग 84.5 लाख क्विंटल बीज अपने देश के विभिन्न राज्यों के अंदर उपलब्ध हैं। जो 28.27 मिलियन हैक्टेयर के अनुमानित क्षेत्र को कवर कर सकता है। खाद्यान्न का जो स्टॉक है, वह लगभग 100 लाख मिट्रिक टन चावल और 170 लाख मिट्रिक टन गेहूं के बफर नार्म्स की तुलना में केंद्रीय पूल में दिनांक 15.07.2014 को 391 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 201 लाख मीट्रिक टन चावल उपलब्ध था। सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार अभी तक किसी राज्य से यह सूचना नहीं आई है कि इस राज्य का यह इलाका ड्रॉट है या ये डिस्ट्रिक्ट ड्रॉट घोषित है। ऐसी घोषणा कहीं से नहीं आई है। सूखे के कारण आपातकालीन प्रबंधन और नवीनीकरण उपायों की शुरूआत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। कृषि मंत्रालय बारीकी से स्थिति की निगरानी करता है तथा राज्यों को आवश्यक सहायता और सलाह मुहैया कराता है। ...(व्यवधान)

SHRI D.K. SURESH(BANGALORE RURAL): Sir, Karnataka Government has already requested for relief because drought is there.… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : Hon. Minister, please continue.

… (*Interruptions*)

SHRI D.K. SURESH : In Karnataka, we are facing drought. Already, our Chief Minister has written about it to the Govt. of India. 15 districts in Karnataka are affected by draught including my Bangalore Rural constituency…(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: After the reply, questions can be asked. Let him reply now.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister, you can respond to clarifications after your reply. After your reply, any hon. Member can ask question.

श्री राधा मोहन सिंह : यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। बावजूद इसके यदि कहीं सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित होता है तो फिर यहां से भी पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि राज्यों के अंदर एसडीआरएफ फण्ड के तहत पर्याप्त पैसा मौजूद है। यदि स्थिति गंभीर बनती है तो राज्य सरकार सूचना देती हैं। फिर यहां से हमारी टीम जाती है और एक हाई लेवल कमेटी है, उसमें रिपोर्ट आने के बाद हम एनडीआरएफ फण्ड से उनकी पयाप्त सहायता करते हैं। सामान्यतः यह प्रक्रिया है, किन्तु इतनी जो चर्चा हुई है, चार दिन चर्चा हुई है और चार दिन तक...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): क्या किसी स्टेट ने रिपोर्ट भेजी है?

श्री राधा मोहन सिंह : अभी तक सूखाग्रस्त घोषित करके किसी भी जिले से, किसी भी एरिया से किसी सरकार ने कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है। आप मेरी बात सुनिये। यह तो हमने प्रक्रिया बतायी है। इतनी जो चर्चा हुई, चार दिन चर्चा हुई और 66 से ज्यादा लोगों ने इस बहस में भाग लिया, इसका लाभ हुआ है। इसका लाभ यह हुआ कि जो रिपोर्ट हमने पढ़ी है और जो हम सब भाषण कर रहे थे, ये जो 36 प्रभाग हैं या 60 डिविजन हैं, ये औसत अनुमान देते हैं। लेकिन जब यहां माननीय सदस्य बात बताते हैं तो उनके जिले की क्या स्थिति है, वे उस बारे में बताते हैं। सही चित्र तब पता चलता है, जब माननीय सदस्य यहां अपने इलाके की बात कहते हैं। जो प्रभाग की रिपोर्ट है, जो डिविजन की रिपोर्ट्स हैं, अब एक डिविजन में पांच-छह राज्य हैं, अब उसका वर्षा का औसत जब हम बोलते हैं तो किसी जिले या खास एरिया का पता नहीं चलता है। जिस दिन यहां पर चर्चा शुरू हुई, हमने प्रधानमंत्री जी से बातचीत की।...(व्यवधान) मैं अपनी बात बोलूंगा, मैं आपकी बात नहीं बोलूंगा। आप जो चाहते हैं, वह मैं नहीं बोलूंगा।...(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिये। जिस दिन चर्चा शुरू हुई, आज 5वां दिन है और चार दिन इस पर चर्चा हुई है, चार दिन बहस हुई है। मैंने प्रधानमंत्री जी से बातचीत की।...(व्यवधान)जितनी देर आप ऐसा करते रहेंगे, उतनी देर मैं बोलूंगा। इसलिए आप चुप रहिये। मैंने उनके सामने चित्र बताया कि कई ऐसे जिले हैं, कई एरिया ऐसे हैं, जहां अभी सूखा है और उसको कोई राजसहायता मिलनी चाहिए।...(व्यवधान) उनसे चर्चा होने के बाद यह बात आयी कि एक विशेष सहायता उन इलाकों को दी जाये, जिन इलाकों में सूखे की स्थिति बन गयी है, भले रिपोर्ट न आयी हो। तो कैबिनेट में एक प्रस्ताव आया कि सूखा से जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं यानी वर्षा की कमी के कारण जो उत्पादन प्रभावित हो रहा है, जो फसल प्रभावित हो रही है, उसको कैसे बचाया जाये? इसके लिए जो प्रावधान किये गये हैं, मैं उसकी जानकारी निश्चित रूप से आपको देना चाहूंगा। पहले तो हमने तय किया है और आज ही पत्र सभी राज्य सरकारों को, चीफ सेक्रेटरीज को भेजा है कि हमने खरीफ 2014 हेतु डीजल राजसहायता स्कीम आज से लागू की है। सभी चीफ सेक्रेटरीज को आज हमने यह पत्र भेजा है। यह स्कीम उन जिलों और क्षेत्रों पर लागू होगी, जहां 15 जुलाई 2014 की स्थिति के अनुसार वर्षा की कमी 50 प्रतिशत से अधिक है अथवा उन तालुका, जिलों पर लागू होगी, जिन्हें उनकी राज्य सरकारों,

केन्द्र शासित प्रशासकों द्वारा सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। दोनों बातें हैं, यदि सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित करेगा तो वहां भी और न भी घोषित करेगा तो भी यह स्कीम वहां लागू होगी। किसी खास इलाके में अभी 15 दिन लगातार वर्षा 50 प्रतिशत से कम होती है तो हम उनको यह राजसहायता देंगे। 15 जुलाई से 30 सितम्बर तक। सूखाग्रस्त घोषित नहीं करने पर भी राजसहायता देंगे, यदि किसी खास इलाके में यह स्थिति है तो उनको हम राजसहायता देंगे। फिर दूसरा कि जैसे कहीं बुआई हुई, बुआई हुई और फिर सूखे के कारण वह समाप्त हो गयी तो बीज पर जो हम सहायता देते हैं, उस सहायता की राशि को हमने 50 परसेंट बढ़ा दिया है। जो विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न स्कीमों के तहत जो बीज पर हम राजसहायता देते हैं, उसमें 50 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है, भले सूखा की रिपोर्ट हुई हो या नहीं।

लेकिन यदि बीज सूख रहा है, रोपनी की और बीज सूख गया तो हम बीज पर राजसहायता देंगे। तीसरा जो हमने किया है कि समन्वित बागवानी के विकास के लिए हमारा जो मिशन है, उसके लिए हमने भारी धनराशि प्रिकॉशन के लिए निकाली है कि यदि सूखा घोषित होता है तो उसके बाद जो बागवानी नष्ट होती है, उनके लिए भी हमने 700 करोड़ रुपये का प्रावधान अलग से करके रखा है ताकि उसका हम पुनर्जीवन करेंगे। किसानों को उसका प्रति एकड़ कितना देंगे। ...(व्यवधान)

फिर इसके बाद आर.के.वाई. के तहत अतिरिक्त चारा उत्पादन कार्यक्रम के लिए हमारी योजना पहले से चल रही है, इसके लिए सूखा समन कार्यक्रम के लिए भी सौ करोड़ रुपये की राशि निर्गत की गई है और राज्य सरकारों को कहा गया है कि जो कुछ मापदंड हैं, उनके मुताबिक यह सहायता भी आपको दी जाएगी। तीन या चार प्रकार की व्यवस्था हमने इसमें की है। एक बागवानी के लिए, एक चारा विकास के लिए, बीज के लिए और डीज़ल पर राजसहायता के लिए। चार प्रकार की सहायता है जिसमें सिर्फ एक बागवानी मिशन है कि जो सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित होने के बाद मिलेगा नहीं तो बाकी योजनाओं में हमने छूट दी है कि सूखाग्रस्त घोषित न भी हो, फिर भी यदि उन नॉर्म्स के अंदर आता है तो हम उनको राजसहायता देंगे।

जब मैं प्रधान मंत्री जी की चर्चा कर रहा था तो कुछ लोगों को ठीक नहीं लग रहा था। शायद उनको पता नहीं है कि जब पूरे देश में कृषि की विकास दर 4 प्रतिशत से ऊपर नहीं गई थी, उस समय वे जिस राज्य का प्रबंधन देख रहे थे, वहाँ की विकास दर 11 प्रतिशत थी। किसान की कितनी चिन्ता करने वाले वे हैं, इसका अंदाज़ा आपको लगना चाहिए। ...(व्यवधान)

मैं आज इस भाव से खड़ा हुआ हूँ कि मैं भारत सरकार का कृषि मंत्री हूँ, किसी दल का नेता नहीं हूँ। किसान को यदि राजनीति के साथ जोड़ेंगे तो देश का बड़ा नुकसान होगा। यदि हम सब राजनीति करते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि लोक सभा के चुनाव में अभी पाँच वर्ष हैं, राजनीति पाँचवें वर्ष में करें। चार वर्ष कम से कम देश का किसान कैसे मज़बूत हो, गाँव कैसे मज़बूत हो इसकी बात करें। जितने सदस्यों ने

बात की है, जितने सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है, राजनीति की चर्चा बहुत कम लोगों ने की है। दो-तीन लोग ही मुश्किल से पूरी चर्चा में ऐसे मिले, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ और जो लोग भी इसमें राजनीति की चर्चा करते हैं, मैं समझता हूँ कि उनको किसान की चिन्ता नहीं है, अपनी राजनीति की चिन्ता है। ...(व्यवधान)

महोदय, अधिक माननीय सदस्य यह चर्चा कर रहे थे कि यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ। वे भूतकाल की चर्चा कर रहे थे। बोलने के क्रम में शायद ध्यान में नहीं रहता है, हमारे एक मित्र ने कहा कि पिछले दस-बीस वर्षों में नए किस्म के बीजों के लिए कोई ऐसी रिसर्च नहीं हुई कि नए किस्म के बीज प्राप्त हों। मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले पाँच वर्ष के अंदर 566 किस्म के नए बीज किसानों के बीच गए हैं। यह बोलने वाले सदस्य सत्ताधारी दल के नहीं थे, लेकिन राजनीति के कारण वे बोल गए। वे भूल गए कि पिछले पाँच साल के अंदर किस व्यक्ति ने इस मंत्रालय को देखा है, इस प्रकार की मॉनीटरिंग की है कि 566 किस्म के नए बीजों का ईजाद हुआ है जो आज किसानों के पास है, लैब टु लैण्ड पहुँचा है। इसी प्रकार जब असम की चर्चा हो रही थी तो यह कहा गया कि सिंचाई की लंबी योजनाओं का कोई प्रबंधन हमारे यहाँ नहीं हुआ। जिस पैमाने पर होना चाहिए, उस पैमाने पर नहीं हुआ, इससे हम सहमत हैं, लेकिन हुआ है। इस सरकार ने तय किया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने साफ़-साफ़ कहा है कि जो लम्बित परियोजनाएं हैं, उनको हम प्राथमिकता से लेंगे। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है। हमारे माननीय सदस्य जगदम्बिका पाल जी ने कहा था कि कन्टीजेन्सी प्लान के विषय में जरूर बताइए और इसमें संसद की क्या भूमिका होगी, यह भी बताइए। मैं यह बताना चाहता हूं कि कन्टीजेन्सी प्लान मवेशियों एवं खेती से सम्बन्धित जानकारी देते हैं। जिसमें कुल रक़बा, सिंचित और असिंचित फसलवार ब्यौरा, मिट्टी के प्रकार और उस जिले में किसानों की संख्या, लघु-सीमान्त किसान, उस जिले की कृषि का पूरा ब्यौरा देते हैं। यह तैयारी सेन्ट्रल रिसर्च इन्स्टीट्यूट फोर ड्राई लैण्ड एग्रीकल्चर, हैदराबाद द्वारा राज्य सरकार के जो कृषि सचिव होते हैं, उनके माध्यम से और जो एग्रीकल्चर के विश्वविद्यालय हैं, उनके सहयोग से तैयार किया जाता है। उसमें इस प्लान के तहत जिलों को बताया जाता है कि मानसून की स्थिति सामान्य है तो किस प्रकृति में कौन सी फसल और कौन सी पद्धति अपनानी है। मानसून यदि समय से पहले आता है, देरी से आता है, एक सप्ताह या चार सप्ताह बाद आता है तो उस स्थिति में किस प्रकृति की कौन सी फसल और किस प्रकार की विधि का इस्तेमाल करें। उस जिले का कन्टीजेन्सी प्लान बना कर उस जिले को उपलब्ध कराते हैं और वहां के कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं, किसानों को जागरूक करते हैं और मानसून से क्षति होने की जो सम्भावना होती है, उसके शमन का इससे रास्ता निकलता है।...(व्यवधान) हम यह जिले के कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हैं। मैं इसी चर्चा पर आ रहा हूं कि हम लोगों को भी अपने जिलों में जाकर चिंता करें, सदन में सिर्फ चिंता करने से इसका समाधान नहीं होने वाला है। यह अभी तक 548

जिलों को उपलब्ध कराया जा चुका है। 641 जिलों में से सौ जिले अर्बन एरिया में आते हैं। जितने भी रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां प्लान मुहैया कराया जा चुका है।

महोदय, धर्मेन्द्र जी यहां नहीं हैं। वह चिंता कर रहे थे कि लोंग टर्म अरेन्जमेन्ट होना चाहिए, वह कैसे होगा? यदि बुंदेलखण्ड जैसा एरिया है और वहां के लिए एक हजार रुपया दिया जाता है, लेकिन वह खर्च नहीं होता है। उसका स्थायी उपाय किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत किसी राज्य को पैसा दिया जाता है, लेकिन वह खर्च नहीं होता है। उन्होंने कहा था कि कृषि के लिए दीर्घकालीन उपाय होना चाहिए। लेकिन दीर्घकालीन उपाय के लिए जो पैसे जाते हैं, वह ठीक से खर्च नहीं होते हैं। इस पर भी हमें चिंता करनी होगी।...(व्यवधान) उसका विवरण भी हम आपको भेज देंगे, उसका राज्यवार विवरण हमारे पास है।

महोदय, हमारी सरकार ने आधुनिक गोदामों के निर्माण के लिए पांच हजार करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया है। खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से यह अत्यन्त जरूरी क़दम सरकार ने उठाया है। खाद्य भण्डारण की जो स्थिति है, उसको कई सदस्यों ने उठाया था। योजना आयोग ने अनुमान लगाया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 33 बिलियन मीट्रिक टन के भण्डारण का अंतर रहेगा। ग्रामीण भण्डारण के लिए 12वीं योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य 23 मिलियन मीट्रिक टन है। इसमें से 21 मीलियन मीट्रिक टन अभी तक स्वीकृत किया गया है। योजना आयोग ने कहा है कि इस पंचवर्षीय योजना में 30 मिलियन मीट्रिक टन बनाना चाहिए, उसमें से 21 मिलियन मीट्रिक टन हमारे मंत्रालय के द्वारा सैंक्शन हो चुका है। कुल-मिलाकर कमी है, लेकिन इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है, यह मैं सदन को बताना चाहता हूं। महोदय, आज़ादी के 66 वर्षों के बाद भी दिल्ली के पूसा में एक राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद ही है। कृषि में आज नयी-नयी तकनीक़ आ रही है, नए-नए बीजों का ईज़ाद हो रहा है।...(व्यवधान)

यह सवाल बिहार का नहीं हो रहा है।...(व्यवधान) यह सवाल कृषि का हो रहा है कि देश की आज़ादी के बाद सिर्फ़ एक राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अनुसंधान परिषद है जो दिल्ली में है। दिल्ली में पूसा है और यह दिल्ली के मध्य में है। जो माननीय सदस्य अभी पूछ रहे हैं, वे शाम में वहां टहलने भी जाते हैं।

महोदय, सरकार ने यह घोषणा की कि एक झारखण्ड में और एक असम में हम इसी प्रकार की संस्था की स्थापना करेंगे। यदि इसमें राजनीति होती तो यह गुजरात और राजस्थान या भोपाल में होता। कृषि के मामले में हमारी सरकार राजनीति नहीं कर रही है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है। पूर्वोत्तर के इलाके में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का हम ने निर्णय किया है।...(व्यवधान) यह चुनाव की बात नहीं है। ...(व्यवधान)

हमारी सरकार ने दो हॉर्टीकल्चर यूनिवर्सिटी और दो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी - एक तेलंगाना में और एक आंध्र प्रदेश में - बनाने का निर्णय किया है। जब मैं हैदराबाद गया था तो इस बात का विचार नहीं किया

कि कहां किसकी सरकार है। तेलंगाना के मुख्य मंत्री ने कहा कि हमारे यहां जो हॉर्टीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, वह आंध्र प्रदेश में चली गयी है और आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमारे यहां जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, वह तेलंगाना के अंदर चली गयी है। मैंने प्रधान मंत्री जी से बातचीत की। यह आपको समझने के लिए काफी है कि प्रधान मंत्री जी ने कहा कि यदि तेलंगाना में हॉर्टीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है तो एक हॉर्टीकल्चर यूनिवर्सिटी वहां खुलेगी और यदि आंध्र प्रदेश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है तो वहां एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। आप इस दृष्टि को समझने की कोशिश कीजिए।

महोदय, अगर उस से भी आगे चलेंगे तो हरियाणा एक राज्य है जो कृषि प्रधान राज्य है। यहां कंक्रीट के जंगल बसाए जा रहे हैं। पहली बार यह चिंता की गयी है कि हरियाणा के अंदर हॉर्टीकल्चर क्षेत्र में बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। इसलिए वहां पर एक हॉर्टीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए। हम ने कृषि की चिंता की है, किसान की चिंता की है, राजनीति की चिंता नहीं की है।

महोदय, किसानों के लिए 24 घंटे किसान टीवी चैनलों की बहुत पुरानी मांग थी। उसको भी सरकार ने मानी है।

महोदय, हम लोग गांवों में रहते हैं और गांव के अंदर जो लैंडलेस किसान हैं, उनकी चिंता आज तक नहीं की गयी। पहली बार किसी सरकार ने चिंता की है और पांच लाख संयुक्त कृषक समूहों को वित्तपोषित करने का प्रस्ताव किया है। मनरेगा कार्य को विशेष रूप से कृषि कार्य के संपदा निर्माण में जोड़ा जाएगा। पक्के एवं स्थायी कार्यक्रम कराए जाएंगे।...(व्यवधान)

मैं पंजाब के बारे में भी बोलूंगा।...(व्यवधान)

महोदय, आज क्वैश्चन नं. 2 जलवायु परिवर्तन पर था। उसमें किसी माननीय सदस्य ने पूरक प्रश्न नहीं पूछा। लेकिन चर्चा में अधिकतर सदस्यों ने जलवायु परिवर्तन पर चिंता व्यक्त की। जलवायु परिवर्तन की जो परिस्थितियां है, इसके कारण हमारे उत्पादन पर असर पड़ रहा है। अगर एक डिग्री तापमान बढ़ता है तो लाखों टन का उत्पादन कम हो जाता है।

महोदय, इस बारहवीं पंचवर्षीय योजना में इस पर 600 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है ताकि हम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से खेती को बचाने के लिए कुछ कारगर उपाय कर सकें। इसके लिए प्रथम वर्ष में 70 करोड़ रुपये, दूसरे वर्ष में 75 करोड़ रुपये, और वर्तमान वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है। पिछले कुछ वर्षों से फसल एवं पशुधन उत्पादन में जलवायु परिवर्तन से निबटने में किसानों की सहायता हो सके, इसलिए 130 जिलों में किसानों के बीच काम चल रहा है। सौ जिलों में जलवायु जोखिम प्रबंधन समितियों एवं कस्टम हॉयरिंग केन्द्रों की स्थापना की गई है। लेकिन इस बार जो बजट आया है, उसमें एक सौ करोड़ रुपए अतिरिक्त इस वर्ष के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने क्लाईमेट चेंज के महत्व को समझते हुए किसान के हित में यह बहुत बड़ा काम किया, इसलिए मैं

सरकार को बधाई देना चाहता हूं। किसानों को उनका उचित मूल्य मिले, यह आवश्यक है। इसकी चिन्ता आज बहुत हो रही है, पहले भी होनी चाहिए थी। इस संबंध में मैं माननीय वित्त मंत्री जी को जरूर बधाई देना चाहूंगा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए राष्ट्रीय बाजार स्थापित करने की दिशा में सरकार के प्रयासों की बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने विस्तार से चर्चा की है। इसमें तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों के साथ भी घनिष्ठता स्थापित करके इस काम को ओर आगे बढ़ाया जाएगा। यह विषय मेरा नहीं है, लेकिन गांवों में गरीब रहते हैं, उनके पास जीविका के साधन नहीं हैं। हम सब को पता है कि आजीविका मिशन जो पहले डेढ़ सौ जिलों में ही चल रहा था। इस पर काफी चर्चा हुई है कि गांव के लोग गरीब बेरोजगार हैं, उनके पास काम नहीं है। पहले जो आजीविका मिशन केवल डेढ़ सौ जिलों में चलाया जा रहा था, उसकी संख्या बढ़ा कर इस बार ढाई सौ जिलों में कर दी गई है। यह विषय मेरा नहीं है, लेकिन गांवों से जुड़ा हुआ है, गांव के गरीब और किसान से जुड़ा हुआ यह मामला है। कृषि बीमा योजना के संबंध में हमने प्रश्न-काल में बताया था, यह योजना कब शुरू हुई। इस देश में यह सन् 2000 में प्रारम्भ हुई। अब 2000 में इस देश की बागडोर जिनके हाथ में थी, निश्चित रूप से उन्होंने किसान की चिन्ता की। उसके बाद बीच में एक-दो पॉयलट योजना भी शुरू की गई। लेकिन 2013-14 में एक नयी बीमा योजना आई, जब नयी बीमा योजना आई तो फिर कई राज्यों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि इसमें किसान पर प्रीमियम का भार ज्यादा है, हम इसको लागू नहीं करेंगे। हमने उनको छूट दी। उनसे मेरी बात हुई, उसमें कई मुख्य मंत्री और कृषि मंत्री आए थे। उनसे कहा कि आप सब सुझाव दें। मैंने 7 जुलाई को सभी माननीय मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा है। अगले सप्ताह में हम सभी कृषि सचिवों की बैठक बुलाने वाले हैं। निश्चित रूप से कृषि बीमा योजना के अंदर बहुत विसंगतियां हैं, उनको हम अपने गांव में भोग रहे हैं। उनको दूर करने का सुझाव हम राज्य सरकारों से भी ले रहे हैं और आपसे भी लेना चाहेंगे। निश्चित रूप से ऐसी योजना बने, जो किसानों के लिए हितकारी हो।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि खेतों के छोटे होते और खेती की अन्य जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए एक सौ करोड़ रुपए की लागत से एग्रीटेक इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने का सरकार ने एलान किया, यह भी कृषि और किसान को काफी बल प्रदान करने वाली योजना मिलेगी। हमारे प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र भाई मोदी दस वर्षों तक एक राज्य के मुखिया थे। ...(व्यवधान) दस वर्षों तक उन्होंने वहां जो काम किया, कृषि और किसान को प्राथमिकता में रखा। वहां भी और प्रधान मंत्री बनने के बाद भी उन्होंने साफ-साफ कहा कि गांव और किसान को बिना मजबूत बनाए देश को मजबूत नहीं बनाया जा सकता। ...(व्यवधान)

मेरे कुछ विषय छूट गए थे, बाढ़ की चिन्ता की थी। कोसी के बाढ़ की चिन्ता इन्होंने की है। हमारे कुछ मित्रों ने कोसी के बाढ़ की चिन्ता की है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि कोसी से प्रभावित होने वाले

जितने जिले हैं, उन जिलों के अंदर एनटीआरएफ की टीम परसों रात को पहुंच गई। ऐसा आज तक हमने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। यदि कोई कहता है कि पांच बार एमपी रहे हैं तो पांच बार से हम भी एमपी हैं। 26वां वर्ष हो रहा है, हम वर्ष 1989 में आए थे। आज तक हमने ऐसा प्रबंधन नहीं देखा कि बाढ़ की आशंका को देखते हुए सभी जिलों में एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद हो गयी। ...(व्यवधान) सेना के जवान भी कल रात से सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, जहां से आप प्रतिनिधि है, आप पता करिए कल से सेना के जवान वहां मुस्तैद हो गए हैं। इतनी बड़ी तैयारी हुयी है। मजबूरी है जब हाथ कहीं से उठता है तो हाथ की मजबूरी है। ...(व्यवधान) यह मेरी मजबूरी नहीं है। ...(व्यवधान) वह मेरे हाथ की मजबूरी है कि किधर से भी हाथ उठता है तो उधर हाथ चला जाता है। ...(व्यवधान) इसमें मेरी गलती नहीं है।

महोदय, मेरे एक मित्र ने कहा कि बैलों की रस्सी अब किसानों के गले की रस्सी बन गयी है। हम उनके विचार से सहमत हैं कि इस देश के अन्दर बैलों की संख्या जितनी कम होगी, उतनी रस्सी एक्सट्रा बचेगी। एक्स्ट्रा रस्सी किसी दूसरे के गले में जाने वाली नहीं है, वह किसान के गले में ही जाएगी, इसलिए बैलों और गायों की रक्षा करना ही कृषि की रक्षा करने का सबसे बड़ा कारण है। ...(व्यवधान)

महोदय, हमारे एक मित्र आर. के. सिंह जी बोल रहे थे। उनके विषय में यह कहा गया कि वे सब दल में गए, आरजेडी में भी थे, जेडीयू में भी थे, कांग्रेस में भी, मतलब जितनी सरकारें थीं, उसमें अधिकारी के नाते इस देश के अंदर और बिहार के अंदर जिस ईमानदारी की छाप इन्होंने छोड़ी है, उसका मुकाबला आज तक प्रशासनिक क्षेत्र में कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता है। यह देश सौभाग्यशाली है कि ऐसे ईमानदार व्यक्ति को देश के ऐसे व्यक्ति ने सम्मान दिया जिसकी पूरी दुनिया में साख है और जो देश की चिंता करता है और देश की ईमानदारों की चिंता करता है। आज देश की जनता की सेवा के लिए इस सदन के माननीय सदस्य के रूप में आज यहां उपस्थित हैं। आप जब डीएम थे, पहली पोस्टिंग हुयी थी, मेरे जिले में थे। ...(व्यवधान) आपको पता होना चाहिए कि ...(व्यवधान) जब इमरजेंसी लगी थी तो उस समय की सरकार ने जो कानून बनाया था, उसका कड़ाई से इन्होंने पालन किया था। उसके शिकार हम भी हुए थे, हमारे नेता शिकार हुए थे, लेकिन देश के सामने हम अपनी चिंता नहीं करते है। यदि कोई ईमानदार व्यक्ति है तो उसको सम्मान देना आज समय का तकाजा है।

महोदय, मैं इस बात की चर्चा कर रहा था कि दो बातों की बड़ी चर्चा हुयी। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Mr. Rajesh Ranjan, please sit down. Let the hon. Minister continue his reply.

… (*Interruptions*)

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : सभापति जी, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Under what rule, are you going to raise your point of order?

… (*Interruptions*)

श्री राजेश रंजन : रूल 193। …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No. There is no such rule. Please sit down.

… (*Interruptions*)

श्री राजेश रंजन : महोदय, मैं कह रहा हूं कि जिस विषय पर चर्चा के लिए मंत्री जी को नियम 193 पर जवाब देना है …(व्यवधान)

SHRI JAGDAMBIKA PAL: Sir, if the Minister is not yielding, he cannot speak… (*Interruptions*) There is no point of order… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister, you please continue.

श्री राधा मोहन सिंह : महोदय, इस चर्चा में एक सवाल आया है कि बिहार के अंदर बिजली का संकट है। …(व्यवधान) बिहार के अंदर बिजली के संकट पर चिंता की गयी है, हम इससे सहमत हैं। मैं अपने मित्रों से कहना चाहूंगा कि बिहार में बिजली के संकट को दूर करने के लिए हमारे उस समय के मुख्यमंत्री जी ने एक साल पहले कहा कि सांसद निधि और विधायक निधि से ट्रांसफार्मर बदला जाए। …(व्यवधान) मैं सूखा पर बोल रहा हूं। बिहार के सभी सांसदों ने, सभी विधायकों ने दस हजार ट्रांसफार्मर बदलने के लिए ईच ट्रांसफार्मर सवा-सवा लाख रूपए अपनी निधि से निर्गत किया।

<u>17.00 hrs.</u>

10 हजार ट्रांसफरमर्स बदलने के लिए माननीय सांसदों और विधायकों ने निधि निर्गत किए। उन 10 हजार ट्रांसफरमर्स में से एक साल में मात्र 2 हजार ट्रांसफरमर्स बदले गए हैं। 8 हजार ट्रांसफरमर्स अभी नहीं बदले गए हैं। …(व्यवधान) हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने-अपने राज्यों में जा कर इसकी चिंता करनी चाहिए। …(व्यवधान) मैं पंजाब के माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। एक समाचार पत्र में जो समाचार छपा, उसकी कतरन मेरे पास है। उस अखबार में जो खबर है, जब आप उसे ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है, …(व्यवधान) जैसा अभी बोल गया कि अभी किसी राज्य ने सूखाग्रस्त जिला या एरिया की रिपोर्टिंग नहीं की है। …(व्यवधान) उसी समाचार को, उसको भी उसने उसमें लिखा है।…(व्यवधान) अंत में उसकी चर्चा उसने की है।…(व्यवधान) लेकिन, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि सबसे पहले किसी राज्य के मुख्य मंत्री…(व्यवधान) और दूसरे मंजिल पर आ कर पंजाब की समस्याओं को रखा है। …(व्यवधान) जहां एक तरफ माननीय सांसदों ने जो जानकारी दी है और पंजाब के मुख्य मंत्री जी ने जो जानकारी दी है, आज हमने जो राज्य सहायता जारी की है उसमें

उनकी बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि इन समस्याओं को सबसे पहले उन्होंने रखा था। कई राज्यों के कृषि मंत्री और मुख्य मंत्री भी हम से मिले हैं और आप सभी माननीय सदस्यों ने जो चर्चा की है उसके कारण इस प्रकार के फैसले किसान हित में ...(व्यवधान) और मैं आपको भी बधाई देता हूं कि आपने पंजाब की बात उठाई है। ...(व्यवधान)

अंत में, मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं कि किसान मजबूत तब होंगे, खेती मजबूत तब होगी, जब खेत में ज्यादा पैदावार होगी। खेत में पैदावार तब तक नहीं होगी जब तक उसकी मिट्टी बीमार होगी।...(व्यवधान) जब तक उसकी मिट्टी बीमार रहेगी तब तक ज्यादा उत्पादन नहीं हो सकता है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की है कि इस देश में प्रत्येक किसान के पास सॉइल हेल्थ कार्ड मुहैया कराया जाएगा और इस पर काम शुरू कर दिया गया है।

दूसरा, खेत में जब तक पानी नहीं पहुंचेगा, आज देश के 44 प्रतिशत भू-भाग जो खेती योग्य हैं, वह सिंचित है। पंजाब और हरियाण में यह ज्यादा है। कुल मिला-जुला कर देश का बड़ा भू-भाग खेती योग्य है और वहां पानी का अभाव है।

मैं चुनाव के समय गुजरात के एक किनारे खड़ा था तो मैंने देखा की गुजरात की खेती हरी-भरी है। उसकी मेड़ के बगल में जो राजस्थान का इलाका था, वहां के खेत सूखे पड़े थे। जब तक हर खेत में पानी नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक खेत की पैदावार नहीं बढ़ेगी। आदरणीय प्रधान मंत्री जी को देश के किसानों की ओर से, इस सदन की ओर से मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 'ग्राम सिंचाई योजना' लागू की है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है - गांवों को मजबूत बनाना, किसानों को मजबूत बनाना। मेरी सभी सदस्यों से विनती है कि राजनीति से हट कर, आइए, हम सब चार-पांच साल तक मिल कर देश को मजबूत बनाने के लिए, कृषि और किसान को मजबूत बनाने का संकल्प लें। सभी माननीय सदस्यों ने अपने अमूल्य विचार दिए हैं, मैं उन्हें बहुत-बहुत बधाई देते हुए और आभार प्रकट करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

<u>17.03 hrs</u> (Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : There are some clarifications to be sought.… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : Please take your seat. Some Members have already indicated their desire to seek some clarifications. Accordingly, I will call the Members. First, from Congress side I will call one Member. Only one Member will speak from each Party.

Now, Shrimati Ranjeet Ranjan to speak. You have to ask only one question. Do not make a long speech.

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि उन्होंने एन.डी.आर.एफ. की बात की है। मैं आज ही वहां से आ रही हूं। नेपाल में लैंडस्लाइड हुआ है। जब मैंने इस संबंध में यहां पर चर्चा की थी तो इन्होंने कह दिया था कि यह सुश्री उमा भारती से संबंधित विभाग का मामला है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, वहां पर लैंडस्लाइड हुआ है उससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। ...(व्यवधान) कृपया, इस संबंध में मुझे 5 मिनट बोलने की अनुमति दी जाए। ...(व्यवधान) वहां पर लैंडस्लाइड हुआ है उससे लाखों लोग, 8 जिले के लोग तबाही में हैं।

मंत्री साहब ने अभी एन.डी.आर.एफ. की बात की है। मैं उनको जानकारी देना चाहती हूं कि एन.डी.आर.एफ. की 15 टीमें गई हैं। क्या आज मंत्री जी को मालूम है कि कितने लोग रेस्क्यू हो कर बाहर आए हैं? मात्र 30-40 हजार लोगों को कुत्ते-बिल्लियों की तरह, भेड़-बकरियों की तरह बांध के ऊपर ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

… (*Interruptions*)

श्रीमती रंजीत रंजन : सभापति महोदय, कृपया मुझे बोलने दिया जाए।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please take your seat. I will call you.

… (*Interruptions*)

श्रीमती रंजीत रंजन : मंत्री जी यह वहां के लोगों की डिमांड है। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: That is over.

...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Please take your seat. That is all.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Next question, please. Mr. Mahtab.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: He will give the answer. Hon. Member, please go to your seat. Go to your place.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I have given you time. Please take your seat.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Rajesh Ranjan, please take your seat. Please listen to me. The Minister has given the reply. You are given an opportunity to raise a question.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: There are many Members to speak. Whatever clarification you want, you ask for it. You may ask one question.

… (*Interruptions*)

श्रीमती रंजीत रंजन : वहाँ पर लोगों को भेड़-बकरियों की तरह रेस्क्यू करवा दिया गया। ...(व्यवधान) आपने कहा कि दो दिन से एनडीआरएफ की टीमें आ गयी हैं। ...(व्यवधान) दो दिन से लोग भूखे-प्यासे बच्चों को धूप में बोतल से पानी पिलाकर और बरसात में बांध पर रखा गया है। ...(व्यवधान) मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी वहाँ पर गये, ...(व्यवधान) एक शब्द भी उसके बारे में नहीं बोला गया। ...(व्यवधान) मैं आपसे सिर्फ यह पूछना चाहती हूँ ...(व्यवधान) कि वे लोग और कितने दिनों तक बांध पर रहेंगे? ...(व्यवधान) क्या यह नेपाल की साज़िश तो नहीं थी कि हिन्दुस्तान से पैसे लेने के लिए वहाँ के गरीबों को बांध के अंदर से फेंक दिया गया। वहाँ पर लोग बिलबिला रहे हैं, बच्चे बिलबिला रहे हैं और आप यहाँ पर एनडीआरएफ की बात कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: OK, please sit down.

… (*Interruptions*)

श्रीमती रंजीत रंजन : दूसरी बात, आपने गुजरात में 11 प्रतिशत ग्रोथ की बात की। ...(व्यवधान) वे कौन-से किसान हैं? इसकी जाँच हो।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I have told you to ask only one question.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI RANJEET RANJAN : Please give me one minute. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhartruhari Mahtab.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Madam, please take your seat.

… (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Mr. Chairman, the Agriculture Minister is a very good friend of mine and he has actually come out with full details. The manner in which the discussion went on for at least four days, I think he has satisfied most of the points that have been raised by the Members. … (*Interruptions*)

But here, I have a point to make, an issue to raise that is relating to the crop insurance. It is relating to the National Crop Insurance Programme about which the Minister has also mentioned while replying to the debate, which was started last year during the rabi crop and has come into force on 1st April, 2014. The scheme has replaced the National Agriculture Insurance Scheme. The National Crop Insurance Programme envisages charging of actuarial premium from the farmers on the notified crops basing on the quotes given by the insurance companies.

Sir, it is observed that in one of the districts of Odisha where paddy is the main crop, the lowest quote of premium was as high as 22 per cent. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Mahtab ji, you ask only a question. Please ask your clarification.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, that is the question.

As per the operational guidelines of NCIP, the premium is to be kept at 11 per cent and the sum assured for the farmer should be proportionately reduced. Therefore, as the entire crop loan is not covered for paying higher premium, woes of farmers are multiplied. Is the Government going to review the scheme and keep the premium level as it was of National Agricultural Insurance Scheme? Will the Government come out with a new scheme on crop insurance as suggested by the Government of Odisha?

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Thank you, Chairman, Sir. It is a straight and specific question. Many States including Kerala have been demanding for long changes in the criteria for giving Central assistance in case of damages caused by floods and drought. My specific question is whether there will be a

change in the criteria followed for giving Central assistance in the event of floods and drought. I want to know as to whether the Government would assure the House in this regard.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): My question is in respect of lightning and sea erosion. Just some time before, the hon. Minister of State for Home Affairs said that norms for the National Disaster Management Response Fund are to be determined by the Finance Commission. The hon. Minister for Finance is also here. Since the elected Government is there, I would like to know whether it is the political will of the Government to see that lightning as well as sea erosion are included in the list of natural disasters eligible for assistance from NDRF.

Secondly, paddy cultivation in India is declining like anything. I would like to know whether the Government has got any proposal to conserve the paddy cultivation and also wetlands in line with the Forest Conservation Act, 1980 so that paddy cultivation in India can be properly maintained.

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बहुआयामी जवाब देने के लिए धन्यवाद देता हूं।...(व्यवधान) एक ही समय देश में बाढ़ और सुखा, दोनों का प्रकोप आता है। वाटर मैनेजमेंट के लिए सरकार क्या करने जा रही है, जिससे बाढ़ और सूखा, दोनों समस्याओं का समाधान एक साथ हो सके?

दूसरे, बाढ़ के बाद जो संक्रामक बीमारियां फैलती हैं, बाढ़ के समय मे राहत कार्यों के लिए, पशुओं के लिए एवं सूखे समय भी पशुओं के चारे की व्यवस्था के लिए क्या यहां से सरकार कोई प्रावधान करेगी?

श्री राजेश रंजन : महोदय, बाढ़ और सूखे पर इस चर्चा की शुरूआत योगी आदित्यनाथ जी ने की।...(व्यवधान) बहुत ही गंभीर चर्चा की उन्होंने शुरूआत की। प्रधानमंत्री जी जिस प्रदेश से आते हैं - उत्तर प्रदेश, बनारस से लेकर बिहार तक, उत्तर प्रदेश का आधा हिस्सा और बिहार के तीन हिस्से आज बाढ़ से प्रभावित हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब बाढ़ और सुखा, दोनों मुद्दे थे, तब उनके जवाब का जो केन्द्र-बिन्दु था, उन्होंने अच्छा जवाब दिया, कृषि पर जवाब दिया, अन्य चीजों पर जवाब दिया, लेकिन जो बाढ़, जो सबसे अहम मुद्दा था, जिसके लिए जल संसाधन मंत्री सुश्री उमा भारती जी को यहां उपस्थित रहना चाहिए था। बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए, जो स्थिति है, ...(व्यवधान)

महोदय, मैं यही कह रहा हूं कि चर्चा सही थी। नेपाल में जो बांध टूटने की बात आई है, उसमें हम तीनों प्रभावित हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज वहां जो स्थिति है और लगातार तीन जिलों में हाई एलर्ट है, क्या सही में बाढ़ आने वाली है और क्या यह सरकार बाढ़ का स्थायी समाधान करेगी और उत्तर प्रदेश एवं बिहार को बचाने के लिए कोई योजना लाएगी?...(व्यवधान)

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI): Sir, I thank you for giving me the opportunity. Every year the Government of India is giving insurance amount to the farmers for the loss of their crops, but every year it is getting delayed. I would request the hon. Minister, through you, to please sanction the relief amount as early as possible so that a majority of the farmers can get the benefit.

श्री राधा मोहन सिंह : महोदय, हमारे जो सबसे नजदीकी मित्र लोग हैं, उन्हीं के ज्यादा पूरक सवाल हैं।...(व्यवधान)

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यहां कोई किसी का मित्र नहीं है, सभी माननीय सदस्य हैं।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Hon. Minister is on his legs. Please sit down.

श्री राधा मोहन सिंह : शायद मैं उनके निशाने पर हूं, इसलिए मैं उनको विशेष दर्जा अपनी ओर से दे रहा हूं।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister, you may please address the Chair.

श्री राधा मोहन सिंह : यह जो कृषि बीमा योजना है, वर्ष 2013-14 में इसमें नाम में सिर्फ छोटा सा परिवर्तन हुआ है। पहले वर्ष 2000 से इसका नाम "राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना" चल रहा था। अब वर्ष 2013-14 में इसका नाम "राष्ट्रीय कृषि बीमा कार्यक्रम" किया गया है। यह कार्यक्रम जब घोषित हुआ, मैं जवाब देते समय इसका जिक्र नहीं कर पाया, पहल राज्य ओड़िशा था, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से आपत्ति आई। उस समय इसे रबी के सीजन में रोक दिया गया और कहा गया कि खरीफ के सीजन से चालू किया जाए। जब खरीफ का मौसम शुरू हुआ तो मैं मंत्री बन चुका था। फिर इन लोगों से बात हुई, कई राज्यों से अलग-अलग सुझाव आने लगे। हमने अंत में तय किया और कहा कि जो नया चलाना चाहते हैं वे नया चलाएं और जो पुराना चलाना चाहते हैं वे पुराना चलाएं और सब मिल बैठकर इस वित्त वर्ष में कोई नया रास्ता निकालें। उसी क्रम में हमने 7 जुलाई को सभी माननीय मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा और कृषि सचिवों की भी बैठक बुलाई।

श्री भर्तृहरि महताब : यह दिक्कत है कि इसमें 11 प्रतिशत गैप है।

श्री राधा मोहन सिंह: इसमें प्राइवेट कम्पनीज ज्यादा आ गई हैं, उसके लिए बैठकर आगे का रास्ता निकालेंगे। आपदा के लिए जो राष्ट्रीय सहायता है, उसका पुनर्निर्धारण एक सतत प्रक्रिया से होता है। पिछले कुछ समय से यानि 2012 से अब तक चार बार नार्म्स संशोधित हो चुके हैं और हम फिर इस पर विचार करेंगे।

हमारे सामने बाढ़ एक महत्वपूर्ण विषय है और यहां 80 प्रतिशत सदस्यों ने उसी पर चर्चा की है। उस सम्बन्ध में गृह राज्य मंत्री जी ने एनडीआरएफ की चर्चा की। मेरे सामने कोसी का सवाल है। कोसी के अंतर्गत जो आपदा निर्मित हुई है, जिसका प्रभाव बिहार पर पड़ सकता है, वे नौ जिले हैं, जहां माना जा रहा है कि इसका असर हो सकता है। इन नौ जिलों के अंदर 163 ऐसे कैम्प बनाए गए हैं जहां लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा सके।

श्रीमती रंजीत रंजन : वहां लोग भूखे मर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह: उनके इशारे पर हम थे और मेरे इशारे पर अब उनका आना स्वाभाविक है।...(व्यवधान) मैं बता रहा था कि इसके अलावा कैटल्स के लिए 36 कैम्प बनाए गए हैं। इसी प्रकार से 15 एनडीआरएफ और चार एसडीआरएफ की टीमें वहां हैं। वहां पर तीन जिले सुपौल, सहरसा और मधुबनी तो बिल्कुल मुहाने पर हैं। इन तीन जिलों के दो सांसद हैं, एक पुरुष और एक महिला। उनके क्षेत्र में सेना की पूरी तैनाती कर दी गई है।...(व्यवधान) यह भारत सरकार ने की है। इसी प्रकार से 1,43,000 से ज्यादा लोगों को डेंजर जोन से निकालने का काम हाथ में लिया गया है और 33 एम्बुलेंस वहां लगाई गई हैं। इसके अलावा 12,305 मवेशियों को भी डेंजर जोन से बाहर निकाला गया है। यह जो रिपोर्ट मुझे प्राप्त हुई है, यह बिहार सरकार की है, जो नेट पर आई थी। वहां की प्रदेश सरकार के सहयोगियों द्वारा यह सवाल उठाया जा रहा है। अगर यह रिपोर्ट असत्य है तो आपको तुरंत शाम को फ्लाइट से वहां जाकर प्रदेश के अधिकारियों से बात करनी चाहिए और देखना चाहिए। मैं इस रिपोर्ट को विश्वसनीय मानता हूं।

<u>17.20 hrs.</u>

SECURITIES LAWS (AMENDMENT) BILL, 2014

HON. CHAIRPERSON : Item No. 17 – Shri Arun Jaitley.

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and the Depositories Act, 1996 be taken into consideration."

Sir, this is an identical set of amendments to three legislations which have been mentioned. The purpose of these amendments is that these were legislations which have been framed during the last several years, for instance, the Securities Contracts (Regulation) Act in 1956; the Depositories Act in 1996; and the SEBI Act in 1992. Over the last few decades, the nature of the securities market has changed, and the nature of various aberrations which can take place in the securities market has also changed. Now, these are the regulatory bodies which regulate the market. Therefore, in view of the nature of violations having altered, particularly on account of Ponzi schemes which are launched by several individuals or companies, the powers of these regulators need to be redefined.

I will just briefly mention the kind of changes which are proposed to these legislations. For instance, earlier, the information that these regulators were entitled to call for were from any bank authority or board. But today the information may be with any other person also. So, the Act needs to be amended. There are some language changes in the Act which also make it relevant that whatever documents are necessary in the interest of investigations would be required.

Secondly, these violators through these Ponzi schemes do not respect national boundaries. Evidence of what they do may be available across the boundaries. Therefore, our regulators enter into arrangements with regulators outside the country for mutual sharing of information. Now, that sharing of

information also requires the statutory basis, and the Act is being amended for that purpose.

There is a third provision which is being added which was not there originally. The amounts disgorged really means that if you commit violations through these Ponzi schemes, the profits from such offences that you earn do not belong to you; these profits must go to an Investor Protection Fund itself, and an amendment is required.

There were certain categories of such schemes where funds are pooled in and Ponzi schemes are created on that basis which were outside the definition of Section 11AA. Now, a generalized definition is being given in order to include all those schemes within the purpose of this particular Act itself.

Then there are some powers to be given to the investigators which may be required to conduct some searches. Here, Sir, since this law was initially brought in through an Ordinance by my predecessor, I have slightly altered this particular provision, and I have altered it on the basis of discussions which have taken place and suggestions which were made when this Bill had earlier come up for discussion in this House during the previous Lok Sabha. There was a power of search which was given to the SEBI and these regulators under the original Act. But if they had to conduct a search, under the original Act, they had to go to the Magistrate of the area where the search is to be conducted; after his permission, they had to conduct the search as a result of which, the whole issue would become public, and the purpose of search itself would be defeated. Secrecy itself is the essence of any surprise element during a search. So, what my predecessor, Mr. Chidambaram, had framed in the law was that SEBI directly, without any intervention of court, could go and search the premises, so could the other regulators. There was some element of resentment or discussion on this particular Bill. So, I have worked out after extensive discussions a *via media*; I have discussed it with SEBI also. Now, instead of having to go all over the country in order to take permission, a particular designated court in Mumbai is being created where the Headquarters of SEBI are. So, if they want to search any premises, they

will go to that particular designated court, place the documents or the materials that they have on the basis of which they have suspicion in order that they want to create a search, and with that, take the permission of that court before they can conduct that particular search. Power will have some safeguards and is not misused. Now, there are several provisions with regard to compensation and penalties which are being altered in these particular amendments. There are also provisions with regard to establishment of special courts. There are provisions with regard to recovery of amounts and empowering the regulators to recover the amount of the penalties which were inadequate in the original act. These are all procedural changes. These procedural changes are intended to empower these regulators to conduct their functions more effectively. These are identical set of amendments which are being brought into all the three legislations.

With these three brief comments, I recommend to this House that this Bill be taken up for discussion and thereafter for approval.

HON. CHAIRPERSON : Motion moved

> "That the Bill further to amend the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and the Depositories Act, 1996 be taken into consideration."

SHRI M. VEERAPPA MOILY (CHIKKABALLAPUR): Hon. Chairman, I thank you very much for the opportunity given to me to speak on an important legislation like the Securities Laws (Amendment) Bill, 2014. It has far reaching implications but it has had a chequered career. In last July, 2013, the ordinance was issued. It had to be issued again twice. The ordinance has been issued thrice in this case. It is an important measure. It should have been accepted by everybody. This must have a national consensus. Of course, it will now find a day when it will go through. It is a Bill which has been carefully drafted because many untoward incidents have occurred. Many innocent investors have been harassed. Many societies and companies were vanished immediately. I have a few details as to how those companies were vanished. Many people invest with the intention that those companies will give more returns. They invest in those companies and ultimately, they lose everything. We have seen many people committing suicides because they do not get the much-needed money at the time of daughter's marriage or for some important functions. So, for me, it is an important legislation. This is an amendment which will give powers to capital market regulators. This Bill will empower the SEBI.

How has this Bill or the ordinance been necessitated? Only after the collapse of the West Bengal based Saradha group, the then Government constituted an inter-ministerial group to look into all ways to find solutions and plug the loopholes, particularly the multi-level or pyramid schemes. That is how it is addressed. Then in May 2013, the SEBI also wanted these powers – power to seize, power to arrest and power to desist orders on offenders. Many a time they go to the court because of the deficit in law and deficit in conferring powers on the regulators. They take advantage of it and they thrive. That is how, many of these firms survive. The SEBI wanted the powers just like the powers which have been given to the Competition Commission of India to recover dues and take action against deposit taking firms and illegally raising public money.

The multiplicity of regulators sometimes leads to lack of accountability among various agencies not only of the Central Government but even of the State Governments. They complicate matters. For instance, take the sections dealing with the Collective Investment Scheme of the SEBI Act. There were exemptions given to the cooperative societies, chit funds, *Nidhis* and so on. They invent new names and new inventions for this. They know how to out-balance the grip of the regulators. That is how they have survived. The laws have to be dynamic in some of these areas. It should respond to the changes. Maybe today, they have brought some amendments to that. They look to be quite drastic. Some sweeping powers are definitely given. It is necessary. But tomorrow, they will definitely innovate new methods to manipulate things. That is why, the laws will have to be always dynamic to ensure that we respond to the situation.

At the same time, I must also say that there should be a comprehensive approach. This law is necessary today. The Ordinance is quite necessary. This law has to be approved by the Parliament. I must tell you that you must come out with a comprehensive law and not just a law for meeting the contingency. The law should not have the multiple elements of *ad hocism.* When I was the Law Minister and also subsequently the Corporate Affairs Minister, in fact, a Committee under Shri S.K. Irani was appointed to draft the amendments to the Company Law. After this Report came, I thought it proper that there was no point in amending the 1956 Act. We went in for a comprehensive and a total new Bill altogether under the Companies Act. That Bill has come out.

Of course, today is not the day to bring any amendment. We should not bring an amendment in a hurry. This amendment is just adequate to meet the present-day challenge. But, we should take care of the problems which may come up tomorrow and also avoid any *ad hocism* particularly in the areas of securities. Whenever we make a law like this, it has to be a state-of-the-art for the world. That is how, we addressed the problems while drafting the comprehensive Companies Law. It is a state-of-the-art Act which has come into effect. We had a lot of problems. We discussed it; we deliberated on it. I think, I must have held as

many as six national consultations with every stakeholder so that the views can come. We consulted many of the Acts of the US, UK and many of the Securities Act. But the time has come now when the hon. Finance Minister will have to look into this. Maybe, he may constitute an expert team. Just like what we have for the Companies Law, we need to bring a state-of-the-art approach to the Securities Bill because that becomes very important.

As the corporate governance improves, as the corporates grow, and as the aspirations of the middle class also grow, there is always greediness among the corporate bodies, particularly these companies which raise the public funds, to totally exploit the situation and also loot the public. For a poor man, for a common man, for a middle class man, ultimately each paisa is important. I think not even five per cent of the people out of 30 or 35 per cent who save their money, go for investment in the securities. That may be because of several reasons. One reason may be lack of knowledge, lack of confidence, many a time they feel very uncertain about the situation, and it has also become only urban-centred investors.

A lot of investment education will have to take place. That is what we have provided even in the Companies Act wherein investment education became very important. I strongly recommend that we go for a comprehensive amendment Bill. A business standard analysis of Corporate Affairs Ministry records, we got the study done, and data from 11 regional exchanges reveal, that around 700 listed companies have vanished without a trace at their registered addresses. Sometimes more than 87 per cent companies are identified as vanishing companies.

This is a very serious dimension. Are we to defend only FIIs, FDIs for investment in this country with such a large gamut of consumer community that we have? As we prosper, we should also prosper in mobilising funds which we are capable of. And if that confidence collapses, investors will not come out to invest. I think this is a very serious question. It cannot be dealt only by a few amendments which are brought only to meet particular contingencies. I think many a time we go on amending a Bill ultimately without finding a permanent or lasting solution.

According to estimates, the total value of the vanishing companies could be in excess of Rs.29,000 crore. It vanished along with the companies. This is valuable money. To that extent, quite steeply the confidence level of the investor, the common man, the middle class people, has come down. There were 2,397 companies that defaulted in filing their balance sheets appropriately. Of these, 1,012 were listed on BSR or the National Stock Exchange. Another instance which has come to light is the filing of charge-sheet against many of these companies. Because of a lacuna in the law, in recent instances like that of Jignesh Shah, Chairman of Financial Technologies Limited, there was a default scam of Rs.5,574 crore at the National Stock Exchange Limited (NSEL). After so many years of raising money from the public, everybody was under the impression that this is a right approach and a gentleman investment. However, ultimately it turned out to be a disaster to the investors.

The Government in fact needs to tackle all these things - definitely not to make money, not to make this country a perennial beggar for the FII which runs many risks – so that the same amount can be raised in this country. We have the potential. In fact, we agree with some of the amendments which you have suggested and which are necessary.

The Bill, of course, makes provisions for pooling of funds in any unregistered firm having more than Rs. 100 crore. We can deal with them with a firm hand.

Sections 15 (a) and (b) of the SEBI Act prescribe penalties to be imposed for various offences. These sections only provide one level of penalties with no minimum level or range and giving no discretion to the adjudicating officers. Amendments to these sections are included in the Securities Act in addition to the amendments in the Ordinance. In fact, for instance for insider trading victim, this is again a big menace in the investment region. Here it is provided that an entity is currently required to pay a penalty of Rs. 25 crore or three times the profit made out of the insider trading, whichever is higher. New norms will require the

defaulter to pay Rs. 10 lakh, which may extend up to Rs. 25 crore or three times the amount of profit made out of insider trading whichever is higher.

Bad loans, in India, were estimated to be close to around Rs. 2 lakh crore. The Government and the RBI have been worried that this would drag down many banks and many a times, as it has appeared in the last one or two days, the bad debt is not recovered. This is how NPA is created and how corruption has crept into even the high echelons of banking sector. This has to be dealt with an iron hand. In fact, Rs. 1.2 lakh crore is the NPAs of public sector banks and Rs. 40,500 crore is the amount owed by the top 50 defaulters in the country out of the total NPA. I think the time has come when the Securities Act should deal with such defaulters so that the banks would be aware of it.

One more thing which I would like to suggest is this. Of course, when you are going to go in for a comprehensive Bill we need to at the same time keep in mind that we have many regulations. We need to have a regulation review authority to continuously examine the stock of existing regulations and to weed out those that do not have continuing use but we continue with the regulators. Many a times, some of the regulators can merge with some other regulators. We create regulators and just leave them. Some of them are outdated. Some of them could be wound up. Some of them could be merged with some other regulators. I think, the time has come to revisit some of these concepts, in fact impact assessments of every proposed or existing regulations will have to be done. We have to see what impact it has created. That is how you can plug the loopholes or sometimes you can give them more power. I am just saying that this is important because many a time we find there is an overreach by the regulators and that will kill entrepreneurship. Sometimes, that will not help you.

I think, incentivising regulatory reforms will have to be done both at the national level and also the State level. We should not confine only to the present players insofar as the entrepreneurs or investors are concerned. We need to attract new players and entrepreneurs rather than simply conferring benefits on

established firms or established entrepreneurs. This is where we get stuck. We do not open up so that new entrepreneurship can come.

The expansion of India's middle-class, a group whose interests transcend region, castes and religion is a powerful force for unification of this country. In fact, we need to create such regulations which are definitely required and which will be conducive to dynamic development and dynamic progress. I think, the regulator should not definitely suffocate the new entrepreneurship and should not suffocate the entrepreneurship which is already in the country. The critical missing link is the 'leapfrogging mindset' to a better policy framework. That is farce innovation. Experimentation is the one which re-imagines the future by encouraging instead of prescribing. The day has come when we should not prescribe. The regulators are not there to prescribe. They need to encourage ultimately. They should create a good atmosphere and a good environment. In fact, we have reports on that.

When I was Small Scale Minister in Karnataka in the 1970s, I went to the Silicon Valley. Then I thought why I should not create a Silicon Valley in Bangalore or in Karnataka. I came back and I started it. I was a little jealous of Hosur because industries were coming up in Tamil Nadu, but not in Karnataka. Then, we created these. Following that up, we engaged an international agency to find out how the entrepreneurship can be developed. Ultimately, I am very happy to say that India has a better sense of entrepreneurship than those in the Silicon Valley.

This conclusion still holds good today. We have that kind of an entrepreneurship in the country. But we only try to suffocate the entrepreneurship, with the over-reach of these regulators. The time has now come to undo it.

My suggestion to the hon. Minister is, we need to re-visit many of these regulations; we need to come out with such leapfrogging innovative steps; new paths need to be carved out for development, like what you said about 'Picasso' – the principle is creative destruction – you have to destroy certain things, then only

can you create certain other things. Unless we do that, the country cannot pick up the momentum of development.

With this, I thank you for the opportunity given.

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : माननीय सभापति महोदय, अनिश्चितता का अंत आ रहा है। पता नहीं प्रभाव था, दबाव था या अभाव था कि एक साल से यह बिल यहां से वहां, वहां से वहां और वहां से यहां घूम रहा था। हम सब जानते हैं कि कोई सरकार के ऊपर दबाव डाल रहा था तो कोई प्रभाव डाल रहा था, प्रभावित कर रहा था। हिम्मत का अभाव था, पॉलिटिकल विल का अभाव था क्योंकि कभी डर लगता था कि उनको समर्थन देने वाली किसी पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया तो जेल में बैठा हुआ कोई बाहर आ जाएगा। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी और प्रधान मत्री जी को पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने प्राथमिकता देश के छोटे निवेशक को दी है, जो अरबोंपति है, उसको प्राथमिकता नहीं दी है। यह जो कानून है, यह छोटे निवेशकों की रक्षा करने के लिए है। सरकार की रक्षा करने के लिए नहीं है। सरकार की रक्षा करने के लिए कोई ब्लैकमेल करते थे, कोई धमकी देते थे कि मुझे डोनेशन देने वाला, मुझे उत्तर प्रदेश या देश में विधानसभा या लोक सभा में भेजने वाला नाराज़ हो जाएगा तो क्या होगा। इसके कारण यह बिल साल भर से लटक रहा था। इस बार भी वास्तव में स्थिति क्या हुई ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Just a minute. I would request the hon. Member sitting in the last row, not to read the newspapers here. This is not the place to read the newspaper. You can go outside and read, if you want.

Please continue.

डॉ. किरीट सोमैया: सभापति जी, मैं एक छोटे से उदाहरण के साथ प्रारंभ करना चाहूंगा। वास्तव में यह जो बिल है, यह कानून नहीं है, यह कानून बिल अमेंडमेंट नहीं है। महोदय, मैं स्वयं चार्टेड एकाउंटेंट हूं, लेकिन मेरी पीएचडी इस विषय पर हुयी है। My Phd is on the small investors' protection. मैंने थीसिस में लिखा था कि हिंदुस्तान का नेक्स्ट स्कैम पोन्जी स्कैम होगा। एक लाख करोड़ से ज्यादा रूपए इन पोन्जी कंपनियों में फंसे हुए हैं, ये पोन्जी कंपनियां सात टीवी चैनल चला रही हैं। पोन्जी कंपनी मतलब क्या, इसकी टोपी उसके सिर पर, उसकी टोपी इसके सिर पर। ये आज सात टीवी चैनल चला रहे हैं, अनेक अखबार चला रहे हैं, कल वे जाकर लोकतंत्र को खरीद लेंगे, इस बात की मुझे चिंता है। यह जो कानून आ रहा है, इसको हम सब मिलकर थोड़ा ऊपर उठकर देखें।

महोदय, जो नासिक में केबीसीएल घोटाला, अमिताभ बच्चन के सीरियल का नाम उठा लिया, कौन बनेगा करोड़पति, हर एक व्यक्ति को, हर एक छोटे-छोटे निवेशक को, किसान को, नौजवान, मजदूर को करोड़पति बनने का सपना दिखाया और आज क्या परिस्थिति हुयी? वह कंपनी चलाने वाला भाऊसाहब चव्हाण, वह तो करोड़पति बन गया, तीन हजार करोड़ का मालिक बन गया। सिंगापुर में छः कंपनियां खोल दीं, लेकिन आज नासिक में क्या हुआ, औरंगाबाद में क्या हुआ, जालना में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? गत सोमवार को छुट्टी थी, मैं इस केबीसीएल स्कैम के लिए नासिक गया था। पुलिस कमिश्नर

के साथ एक घंटा चर्चा हुयी। वहां पर मुझसे जो छोटे निवेशक मिलने आए थे, उन्होंने मुझे पत्र दिया। मैंने उसी दिन तय किया था कि मैं सदन में यह पत्र पढ़कर सुनाऊंगा। हम थोड़ा ऊपर उठेंगे। उस पत्र में लिखा था किरीट जी सोमैया, खासदार भारतीय जनता पार्टी, "महाराष्ट्र केबीसी गुन्तणुक फसोमिकी बाबतं", आगे इस पत्र में लिखा है कि वड़नेर भैरव, बहुत छोटा सा गांव है, वड़नेर भैरव नासिक जिले में पांच हजार लोगों की भी बस्ती नहीं है। उसमें लिखा है कि हजार परिवार के पचास करोड़ रूपए भाऊसाहब चव्हाण की कंपनी में फंस गये। हमें मूर्ख बनाया गया। आज हमारी स्थिति यह है कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। जो महिलायें आयी थीं, उनका अंतिम वाक्य था कि "आमचा चमोर आत्महत्ये सिवाय पर्याय राहिला नाहीं"। उन महिलाओं ने लिखकर दिया कि हमारे सामने अब आत्महत्या के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। बच्चों की पढ़ाई के पैसे चले गए, जमीन गिरवी रखकर हमने इसमें निवेश किया। आज हमारे घर में लोग बीमार हैं, बेटी की शादी करनी है, पैसे नहीं हैं, जमीन गिरवी रख दी। आज यह स्थिति है।

सभापति जी, मैं सदन से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस विषय पर चर्चा करते समय भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, टीडीपी हो या कोई भी पार्टी हो, हम यह सोच लें कि हमें सांसद बनाने के लिए ये सब पोन्जी कंपनी वाले आ जाते हैं और आकर निधि देते हैं। मैं एक कंपनी की जानकारी आपको देने वाला हूं, यू विल बी शॉक्ड। उस पोन्जी कंपनी ने इतने पैसे इकट्ठे किए, अब अकाल है, तो हम लोगों को बुलाते हैं, कहते हैं कि आपके हाथ से हम दस भैंस गरीब किसानों को देंगे। उस कंपनी का काम-धंधा क्या है, क्या आपको पता है, पप्पू जी, भैंस आपके नाम से, आप उसमें पैसे निवेश करो, आपके नाम से भैंस खरीदी जाएगी। आपको और मुझे वे कहेंगे कि साहब आपने पैसा नहीं देना है, आपके नाम से 10 भैंस या 100 भैंस हमारी कंपनी खरीदकर आपको कॉम्पलीमैंट्री देती है। हमारे जैसे निवेशकों को किसी को 10 भैंस, किसी को 15 भैंस, किसी को 100 भैंस वे देंगे, उसका प्रोपोगंडा करेंगे, उस कंपनी का खुद का टीवी चैनल है, उसमें दिखाएँगे कि पप्पू यादव की 10 भैंस हैं। ...(व्यवधान) पप्पू भाई क्षमा करें, आप तो ईमानदार हैं। ...(व्यवधान) सभापति जी, मैं जब इस कंपनी की शिकायत लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पास गया तो उन्होंने पूरी राउंड टेबल मीटिंग बुलाई थी - डीजी, पुलिस कमिश्नर और होम सैक्रेटरी, Everybody was present. मैंने कहा कि यह क्या लगाया है। यहाँ हम पोलिटीशियन जाते हैं। उस कंपनी की सीबीआई की जाँच हुई and the CBI is not under BJP. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश दिया, उसके अंतर्गत उस कंपनी की सीबीआई ने जांच की कि इस कंपनी ने 6 लाख 52 हज़ार लोगों के पास से भैंस के पैसे लिये और वास्तव में सिर्फ 16600 भैंसें खरीदीं। वह रिपोर्ट जाकर मैंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री को दी तो मुझे कहने लगे कि किरीट भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी कंप्लेन्ट मिल गई थी। वास्तव में इस कंपनी ने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। वे बोले कि मैंने निमंत्रण स्वीकार किया, हमारे दो कार्यकर्ता और विधायक आ गए थे। मैं उस कार्यक्रम में गया, उस गाँव के पास पहुँचा, वे अकाल पीड़ित किसानों को मेरे

यहाँ से कुछ 25-50 भैंस डोनेशन में देने वाले थे, लेकिन जब मैं अंदर जा रहा था तो वहाँ का पुलिस सुपरिंटेंडेंट बाहर आया और मुझे कहा कि सर, इस कंपनी की तो सीबीआई जाँच हो गई है, क्या आप इस कार्यक्रम में जाना चाहोगे? तो मेरा गृह मंत्री मुझे कहता है कि मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और सीधा बाहर से बाहर निकल गया। मुझे दुख इस बात का हुआ। मैंने माननीय मंत्री महोदय से कहा कि आप तो निकल गए लेकिन आपके प्रदेश का उप मुख्य मंत्री उसी कार्यक्रम में गया और वहाँ जाकर उस कंपनी को क्रैडिबिलिटी देने का काम हम लोग करते हैं। मैं इस सदन से अपील करना चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा सोचें, समझें। यह हमारे गरीबों के, छोटे किसानों के, छोटे निवेशकों को मूर्ख बनाकर पैसे लिये हैं। What is Ponzi? Ponzi is nothing. सीबीआई की रिपोर्ट में उसका कुछ रैफरैंस है जो मैं आपको आगे बताऊँगा। सीबीआई ने लिखा है कि 40 to 60 per cent amount spent by Ponzi company is just on collection. 20 to 40 per cent commissions are offered to agents. उसमें आगे लिखा है कि आपके और मेरे जैसे जो लोग जाते हैं, कोई कुक्कुट पालन, कोई प्लांटेशन, कोई उसको मल्टी लैवल मार्केटिंग का नाम देते हैं, कोई कोआपरेटिव क्रैडिट सोसाइटीज़, इस प्रकार अलग अलग नाम की कंपनियाँ हैं। मुझे एक और किस्सा याद आया। हमारे एक केन्द्रीय मंत्री ने मेरे पास किसी को भेजा कि देखिये, इसकी शिकायत आई है। ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : आपका किस्सा तो ठीक चल रहा है, मगर कम से कम जो सपोर्ट कर रहे हैं और बैठे हैं, आप किस्सा जल्दी खत्म करें तो बिल को पास करें। ...(व्यवधान)

डॉ. किरीट सोमैया : सभापति महोदय, इसमें आज देश के एक लाख करोड़ रुपये फँसे हुए हैं। इसमें हमें और किन-किन चीज़ों पर ध्यान देना है, इसकी बात भी मैं करना चाहूँगा। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य मुझे जल्दी अपनी बात खत्म करने के लिए कह रहे हैं लेकिन शारदा चिट फंड जैसे घोटालों में जिन्होंने आत्महत्या की, ऐसी 41 और कंपनियाँ लाईन में खड़ी हैं। जब एक के बाद एक कंपनियाँ डूबेंगी और आत्महत्या का दौर कोलकाता से प्रारंभ हुआ और महाराष्ट्र तक पहुँचा है, फिर दूसरे प्रदेशों में पहुँचेगा। मैं इसलिए आपसे एक और प्रार्थना करना चाहता हूँ।

HON. CHAIRPERSON : Dr. Kirit Somaiya, you can continue tomorrow.

Now, it is 6 o'clock and if the House agrees, we can extend the time of the House till the Zero Hour is over.

18.00 hrs (Dr. Ratna De (Nag) *in the Chair*)

श्री रामेश्वर तेली (डिब्रूगढ़) : महोदय, मैं सदन की दृष्टि एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। विश्व के दो देशों में गेंडा अर्थात रायनू पाए जाते हैं। पहला देश अफ्रीका है और दूसरा देश भारत के असम राज्य में गेंडा पाए जाते हैं। असम के चार स्थानों काजीरंगा, पपीतारा, पुरांग और मानस में गेंडा पाए जाते हैं। कहा जाता है कि गेंडा के सींग बहुत मूल्यवान हैं, जिनके कारण शिकारी गेंडा की सींग काट कर ले जाते हैं। इस कारण असम में हजारों की तादाद में गेंडा की हत्या कर दी गई है। असम सरकार के अधीन जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वहां सुरक्षाकर्मी शिकारियों को पकड़ नहीं पा रहे हैं जिसके कारण हजारों की तादाद में गेंडा मारे जा रहे हैं। ऐसा बहुत दिनों से हो रहा है।

मैं सदन को बताना जाता हूं कि एक सींग वाला गेंडा असम में पाया जाता है। विश्व के विभिन्न देशों से लोग गेंडा देखने के लिए आते हैं। यह हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति है। इसे बचाना है इसलिए मैं मंत्री जी से सदन के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि काजीरंगा उद्यान में जो फोर्स है उसे आधुनिक अस्त्र दिया जाए। एक बार मंत्री जी काजीरंगा का भ्रमण करें। धन्यवाद।

SHRIMATI ARPITA GHOSH (BALURGHAT): Madam, I thank you very much for giving me this opportunity to speak in 'Zero Hour'.

My constituency, Balurghat, of West Bengal consists of the whole of South Dinajpur and Itahar block of North Dinajpur. South Dinajpur is surrounded by Bangladesh border. In those border areas, the Border Security Force is there for security reasons. During the election campaign, the people there consistently complained about the BSF. The BSF is creating a lot of nuisance there. They are troubling the local villagers a lot for no reasons.

Through you, Madam, I would like to request the concerned hon. Minister to take necessary action regarding this issue which will help the people living in the border areas of my constituency, specially hilly areas which are adjacent to the Bangladesh border. I hope that you will look into the matter for helping the common people living there.

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज) : महोदया, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की तरफ दिलाना चाहता हूं। हमारे लखनऊ जनपद के साथ जुड़ा जनपद उन्नाव है और वहां थाना औरास के अंतर्गत गांव गिरूआ आता है जहां एक महिला रामकली ग्राम प्रधान है। उस पर विगत 23 अप्रैल को जानलेवा

हमला हुआ जिसमें मुकदमा महन सिंह, संदीप सिंह, भूपेन सिंह, अमरेन सिंह, योगेंद्र सिंह और राघवेन्द्र सिंह के खिलाफ धारा 307 के अंतर्गत दायर किया गया लेकिन उन लोगों पर चार्जशीट लग जाने के बाद भी अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस संबंध में मैंने एसपी उन्नाव से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि यह केस झूठा है। इससे पहले इसी ग्राम प्रधान के लड़के पर भी प्रवीण रावत को मुकदमा पृष्ठ संख्या 240/13 में धारा 307 के अंदर योगेन्द्र सिंह ने फर्जी मुकदमा लगा कर जेल भेज देने का काम किया था। जब इस संबंध में मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये दोनों मुकदमे झूठे हैं। मैंने कहा कि अगर यह मुकदमा झूठे हैं तो प्रवीण रावत को जेल भेजने का काम क्यों किया गया? इसका मतलब है कि आप सही जांच नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर जांच करा रहा हूं। सीओ सिटी ने उस बारे में जांच की और जांच करने के बाद चार्जशीट भी लगाई। लेकिन चार्जशीट लग जाने के बाद भी अभी तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। जिन लोगों के खिलाफ़ यह नामज़द एफ.आई.आर. है, वे लोग प्रवीण की हत्या कर देना चाहते हैं। प्रवीण की मां, जो ग्राम प्रधान हैं, उनकी हत्या कर देना चाहते हैं। प्रवीण का एक डेढ़ साल का छोटा बच्चा है, वे उस की भी हत्या कर देना चाहते हैं। इस कारण वे उन्नाव छोड़ कर आज लखनऊ में दर-दर भटक कर किसी तरह से छिप कर रह रहे हैं। अगर उन लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई नहीं की गयी, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो प्रवीण, उसके बच्चे, उसकी ग्राम प्रधान मां की हत्या कर दी जाएगी।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उन हमलावरों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन्हें जेल भेजना चाहिए और प्रवीण के खिलाफ़ जो झूठा मुक़दमा दायर किया गया है, उसकी जांच करके उस मुक़दमे को खत्म करने की कार्रवाई करनी चाहिए।

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Madam Chairperson, thank you.

I invite the kind attention of this august House to the plight of nurses who are being exploited by the manpower recruiting agencies. These agencies collect exorbitant service charges from the nurses for overseas employment. Recently, the Ministry of Health under the Government of Kuwait has conducted test in Kerala through the manpower recruiting agencies to select 502 qualified staff nurses. The agencies demand a service charge of Rs. 22 lakh from each nurse for recruitment to Kuwait's Ministry of Health.

Most of the nurses are not able to pay this amount and some nurses arrange the money either through bank loans or through selling their family property. In

this pathetic condition, a nurse from the poor economic background is deprived of her or his right to employment.

It is learnt that the Kuwait Government is not taking any fee from the candidates or agencies for recruitment. Hence, the full amount of service charge is directly going to the pockets of recruiting agencies in India and their counterparts in Kuwait.

Therefore, I would request the Government to take immediate measures to stop this sheer exploitation. Thank you.

HON. CHAIRPERSON: Shri P.K. Biju is allowed to associate with the matter raised by Shri Anto Antony.

SHRI C. MAHENDRAN (POLLACHI): Respected Chairperson, I humbly submit my thanks to the Tamil Nadu Chief Minister, my God, hon. *Puratchi Thalaivi* Amma for having given me an opportunity to be a parliamentarian in this hon. House.

My issue is about the implementation of four-laning of NH 209 from Dindigul to Mysore sector. The NH 209 project road starts from Dindigul and ends at Tamil Nadu – Karnataka border, covering a length of nearly 268 kms. The project is divided into two packages, one from Dindigul to Coimbatore covering 149 kms. and the rest from Coimbatore to Karnataka border covering three major districts of Tamil Nadu, Dindigul, Tirupur and Coimbatore.

The project road passes through major built-up areas, vide Oddanchatram, Chatrapatti, Palani, Madathukulam, Udumalpet, Pollachi and Kilathukadavu. Out of this, a major area comes under Pollachi constituency.

Madam, let me now tell the House about the present status of the project. The Final Feasibility Report is to be submitted by the consultant to NHAI as per the meeting held on 16.7.2014 at NHAI, Chennai. The project NH -209 will be taken up after the approval of the Final Feasibility Report by the competent authority.

To avoid heavy traffic on this NH -209, I would request the Ministry concerned to allot funds immediately as it will reduce the vehicular traffic to a large extent.

I thank once again for giving me an opportunity to the Speaker and our God, Tamil Nadu Chief Minister hon. *Puratchi Thalaivi* Amma for allowing me to make this submission in this august House.

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा) : सभापति महोदया, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत किसानों की फसलों की बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा की जाती है। सामान्य रूप से बीमा कंपनी ऋणी किसानों की फसलों की बीमा करती है और इस स्थिति में किसानों को पता भी नहीं चलता कि उनकी फसल का बीमा हुआ या नहीं हुआ है। इस से स्थिति यह बन जाती है कि वे अपने फसल के नुकसान के लिए दावा भी नहीं कर सकते और फसल बीमा कंपनी उन्हें फसल बीमा कंपनी फसल बीमा की राशि भी नहीं देती है। इसलिए मेरा आपसे इस बारे में अनुरोध है।

महोदया, मध्य प्रदेश में पिछले दो वर्षों से पाले की वज़ह से, ओले की वज़ह से और अतिवर्षा की वज़ह से तमाम रबी और खरीफ़ की फसलें जैसे चना की फसल, मसूर की फसल, सोयाबीन की फसल नष्ट हो गयीं और आज तक बीमा कंपनियों द्वारा उनके बीमा की राशि नहीं दी गयी। इस वर्ष सोयाबीन की फसल, खासकर रीवा और सतना जिले में सोयाबीन की फसल का अंकुरण 50 प्रतिशत से कम हुआ है, लेकिन बीमा कम्पनी द्वारा इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

सभापति महोदया, मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन है कि बीमा कम्पनी को निर्देशित करें। किसानों की जो बकाया बीमा राशि है, वह अदा करें और इस वर्ष की बीमा राशि का आंकलन करके काम किया जाए। धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री पी.पी. चौधरी जी श्री जनार्दन मिश्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ अपने को सम्बद्ध करते हैं।

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर) : माननीय सभापति जी, 65 वर्षों की संसदीय व्यवस्था में रहते हुए भी बिहार के बेगुसराय जिले में डाक-तार कर्मचारियों का जिले में कोई प्रधान कार्यालय नहीं है। उनके पास न जमीन है, न भवन है। पिछली जो केन्द्रीय सरकारें रही हैं, उनके स्तर से बहुत प्रयास हुए, परन्तु बेताल उसी डाल पर बैठा है।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से वर्तमान केन्द्रीय सरकार के माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि प्रधान डाकघर कार्यालय नहीं रहने के कारण कर्मचारियों की जो वेदना है, उनकी जो

पीड़ा है, उनकी गुणवत्ता का जो ह्रास हुआ है और उनको जो भाड़े के मकान में रहने के कारण जलील होना पड़ता है, यह दुखद कहानी अब मिटनी चाहिए।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों वहां के समाहरणालय के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के स्तर पर प्रयास हुए। केन्द्रीय सरकार ने अभी हाल में एक करोड़ रुपए की राशि देने का आश्वासन दिया है, परन्तु बिहार सरकार सांप की कुंडली मार कर उस पर बैठी हुई है।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार सरकार बेगुसराय नगरनिगम होने के कारण 14 लाख रुपए और मांग रही है। केन्द्रीय सरकार 14 लाख रुपए अतिरिक्त देकर बेगुसराय जिले में डाक-तार कर्मचारियों का प्रधान कार्यालय खोलने के लिए कदम उठाए, मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Madam, with your permission, I would like to invite the attention of the Government of India to a very important matter.

In India, about 15 million people are bitten by animals, mostly dogs, I mean the stray dogs, the street dogs. The largest number of rabies death happens in this nation. More than 80 per cent of the rabies death that occur in the whole world is in our nation. Most of them are urban poor or rural poor. Of those who have been bitten by the street dogs or the stray dogs, more than 42 per cent are children below the age of 14 years. Every two seconds, one man or a woman or a child is bitten by a street dog in India. Every hour, two persons die because of rabies. In a nation where the capital punishment still exists, even though the Supreme Court says that it is awarded only in the rarest of the rare cases, we are still hesitant to control the menace of the street dogs. I am not saying about the road accidents where most of the people have been hurt or grievously hurt where some of them have died. Even the pillion riders who are house-wives, women and children have died in road accidents. They have succumbed to the injuries due to road accidents. The incidence of animal bites is 17.4 per one thousand population.

Madam, 174 persons per 10,000 of the population are bitten by dogs. It is very curious to see that before 1998, our local bodies were having the power to eliminate the ferocious dogs which have been infested by Rabies, and the street dogs which have become dangerous. But now, it is a pity that many of the animal lovers, I don't know whether they love their children or not, even in our

Parliament compound……. (*Interruptions*) More than 30,000 people of our country die every year because of Rabies.

My humble demand, through you, Madam, is that firstly, the Government of India should amend the law for the eradication of ferocious Rabies-infested dogs and the power, which the local bodies were having before 1998, should be given back to them. Secondly - it is very important - free treatment and vaccination should be given to all the Public Health Care Centres. Unless and until we give free treatment, these deaths would occur in future also. My humble request, once again through you, Madam, to the Government of India is that we have to protect our children. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : Shri P.K. Biju is allowed to associate with the issue raised by Dr. A. Sampath.

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): I would like to raise the issue of post office buildings that are dilapidated. I would like to bring to the notice about the Dombivali post office in my constituency where thousands of citizens come for their work. If these buildings are declared dangerous, the Department should immediately undertake repairs so that the lives are not put at risk.

I am talking about Vishnunagar post office in my constituency which has been very weak. Around 60-70 postal staff work here who are under constant threat of a collapse. If the building collapses it will be a mishap that could have been averted. People have been complaining about the building for along time. Postal Department does not have time to listen. Now, the Postal Department has been shifted to the east, which means that people have to spend at least half an hour to reach the post office, and the existing post office in the east is already crowded. Most affected population are the senior citizens and the pensioners. The Commissioner has agreed to make a suitable place in the Dombivali West itself. Hence, I would request the Department of Posts in the Dombivali West with suitable accommodation and repair the building as soon as possible.

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Madam, I thank you for giving me this opportunity. I would like to request the Government to assist in rectifying the damages occurred due to monsoon rains in my State, Kerala.

Rains lashed the State of Kerala in the last few days which have caused huge damage, in general, and especially in northern part of Kerala, in particular. Madam, 50 persons have died; many roads washed away; many low lying areas submerged; houses collapsed; apart from agricultural loss. My constituency, Kozhikode, has also been affected. I am drawing the immediate attention of the Government of India with a request to sanction an NDRF Battalion in the Malabar Region of Kerala to meet such contingencies. Madam, I would like to request the Government of India to immediately send a team to study the losses and casualties, and to consider extending compensation to the victims on account of monsoon debacle.

SHRI R. GOPALAKRISHNAN (MADURAI): Respected Chairperson, with the blessings of our hon. Chief Minister of Tamil Nadu, *Puratchi Thalai Amma¸* who gave me an opportunity to be the Member of this august House, I start my maiden speech.

First of all; I would like to thank you very much for giving me an opportunity to participate in this House. Madurai city is the third biggest city in Tamil Nadu. It is a traditional city having potential to grow manifold in the coming years. The popular *Meenakshi Amman* Temple draws lakhs of people daily from all over the world. Being centrally located between the southern and northern districts of Tamil Nadu, Madurai well deserves to have all the hi-tech and updated infrastructure facilities such as Metro train, International Airport, helicopter tourism etc.

Construction of the Outer Ring Road around Madurai city is a very important one among such infrastructures. Madurai city is called as *Thoonga Nagaram*, a city that never sleeps. Such is the movement of traffic and people there. National Highways Authority of India (NHAI) is the nodal organization to execute the construction of Outer Ring Road. Understanding the growth potential

and the need of Madurai city, our hon. Chief Minister of Tamil Nadu Amma has allocated Rs. 200 crore towards four laning of the existing half ring road there.

Therefore, I urge upon the Union Government to complete all the formalities and procedures for expeditious completion of Outer Ring Road of Madurai, in public interest.

श्री राम कृपाल यादव (पाटलीपुत्र) : महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र पाटलीपुत्र की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। मसौढ़ी विधान सभा क्षेत्र में तरेंगना स्टेशन के ठीक दक्षिण में सटे हुए एक रेलवे गुमटी है। यह पटना-गया रेल खंड पर अवस्थित है। यहां हमेशा जाम लगा रहता है। एन.एच-83 इसी गुमटी से हो कर गुजरती है। पटना से गया जाने के क्रम में, कम दूरी होने के कारण अक्सर गाड़ियां इसी गुमटी से हो कर गुजरती हैं। रेलवे गुमटी के दोनो तरफ मसौढ़ी का मुख्य बाजार है। प्रतिदिन उस गुमटी से पटना, पालीगंज और नौबतपुर की तरफ जाने वाली हजारों गाड़ियां गुजरती हैं। चूंकि रेलवे गुमटी मसौढ़ी को दो भागों में बांटती है, इसी कारण स्थानीय लोगों का आवागमन उसी गुमटी पर निर्भर करता है। मसौढ़ी के लोगों को धरहरूआ, जहानाबाद और गया जाना होता है, उन्हें उस गुमटी से हो कर गुजरना पड़ता है। वहां पर कोई अन्य वैकल्पिक सड़क नहीं है। जब रेलवे गुमटी बंद रहती है तो वहां पर विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वहां पर काफी जाम लग जाते हैं। लोग परेशानी में आ जाते हैं। वहां पर लोग चार-पांच घंटे तक फंसे रह जाते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी काफी तकलीफ होती है। मरीजों को इमर्जेन्सी में इधर से उधर आने-जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लगभग रोज का यही हाल है।...(व्यवधान) वहां पर जाम के कारण स्थानीय व्यापार पर भी बुरा असर पड़ता है।

अतः स्थानीय लोगों के बारबार अनुरोध पर मेरा यह आग्रह होगा, चूंकि, उस इलाके में यह प्रमुख समस्या बन गई है और जब तक मसौढ़ी गुमटी पर एक रेलवे ओवर ब्रिज, आर.ओ.बी. का निर्माण नहीं होगा, तब तक इस गंभीर समस्या से लोगों को निदान नहीं मिलेगा।

मैं पुनः आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा वहां प्रस्तावित ओवर ब्रिज, उस समय माननीय श्री लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां पर अविलंब ठोस कार्रवाई करें। वहां पर ओवर ब्रिज बनाएं ताकि वहां की समस्या का निदान निकल सके।

माननीय सभापति : श्री रामकृपाल यादव जी द्वारा शून्य प्रहर में उठाए गए विषय के साथ श्री राजेश रंजन जी अपने-आप को संबद्ध करते हैं।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : सभापति महोदया, तमिलनाडु के हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्यूफैचरिंग कंपनी, लिमिटेड के यूनियन के लोग मुझसे मिले थे, क्योंकि मैं मजदूरों के बीच में काम करता हूं। उन्होंने हमको एक ज्ञापन दिया है। मैं दो-तीन बातें मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। इस कंपनी की परिसंपत्ति 17 सौ करोड़ रुपए है। वर्ष 2012 में बाजार में इसका शेयर 30 प्रतिशत था। इसमें 1000 से ज्यादा कर्मचारी अधिक हैं। एच.पी.एफ. एम.सी.एल जिस समय यह कंपनी चल रही थी उस समय 270 रु. से 290 रु. प्रति मीटर के आधार पर ही फिल्म देने का काम किया गया था। लेकिन, उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी उसने 570 करोड़ रुपए की एक नई यूनिट लगाई और अचानक बिना उसे स्टार्ट किए कह दिया कि यह कम्पनी घाटे में है। जबकि पूरी की पूरी कंपनी डूपॉन्ट के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग से चल रही है। बिना उद्घाटन किए उसको खत्म कर दिया। आज जो रेट है, वह 600 रू से 610 रु. प्रति मीटर है। यह देश का भी नुकसान है। 1000 कर्मचारी संकट में है और जितना भी उत्पाद होता है, वह 30 प्रतिशत से ज्यादा सरकारी कार्यालयों में उपयोग होता है। एक्स-रे चाहे सेना के हों या हमारे अस्पताल के हों, उसके अलावा जो मोनोपॉली दे दी गई है, यह बिल्कुल गलत नीतियों का परिणाम है। अभी भी अगर सरकार चेते, और जो पुरानी मशीनरी रखा हुआ है, जिसका उपयोग ही नहीं हुआ है, अगर इसको शुरू कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि सरकारी एक्स-रे के अलावा कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं, जैसे-कंज्यूमर इमेजिंग, सिने उत्पाद, और केमिकल प्रोसेस करना है, अगर इनमें में इसको इन्वाल्व कर दिया जाएगा, तो यह कंपनी के लिए लाभ का सौदा हो सकती है। जो कंपनियां मोनोपॉली के कारण एक तरफा मुनाफा उठा रही हैं और आयात कर के हिन्दुस्तान की संपत्ति का नुकसान किया जा रहा है, तमिलनाडु के जो 1000 से ज्यादा कर्मचारी हैं, जो उनके परिवार हैं, उनके साथ न्याय करना चाहिए।

सभापति महोदया, मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस यूनिट को राहत दे कर पहले प्रारंभ करें ताकि तमिलनाडु के उन कर्मचारियों को बेघर न होना पड़े। दो साल से अचानक बंद किए गए हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड की जो दुर्दशा है, उसको फिर से सामान्य बनाने का काम करना चाहिए। कम्पनियां मोनोपली के कारण एक तरफा मुनाफा कमा रही हैं और आयात करके हिन्दुस्तान की सम्पत्ति का नुकसान किया जा रहा है। तमिलनाडु की उस कम्पनी के एक हजार से ज्यादा कर्मचारियों के परिवार हैं। उनके साथ न्याय करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से बड़ी विनम्रता से प्रार्थना करूंगा कि उस यूनिट को राहत देकर पहले प्रारंभ किया जाए ताकि तमिलनाडु के उन कर्मचारियों को बेघर न होना पड़े। दो साल से अचानक बंद की गई हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड की जो दुर्दशा है, उसे फिर से संवारने का काम किया जाना चाहिए।

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपनी लोक सभा कौन्सटीटूएंसी जम्मू के एक राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू- राजौरी-पुंछ की ओर दिलाना चाहता हूं। यह एक ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो भारत-पाकिस्तान की सीमा के साथ लगते हुए तीन जिलों से होता हुआ पुंछ तक पहुंचता है जो बार्डर एरिया है। यह दो लेन राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसे फोर लेन बनाने की बहुत आवश्यकता है। सीमा के साथ लगते जिले के लोग और आर्मी की गाड़ियां इसी रोड पर चलती हैं। इसलिए इस रोड को चौड़ा करने का काम बहुत जल्द शुरू होना चाहिए। अन्यथा यहां इतना ट्रैफिक है कि रोड जाम हो जाती है और लोगों को आने-जाने में बहुत परेशानी होती है। यह तीनों जिले भारत-पाकिस्तान सीमा के हैं और रोड तीनों जिलों के बीचों बीच होती हुई पुंछ तक पहुंचती है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि इस रोड को फोर लेन बनाने का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : सभापति महोदया, देशभर खासकर बिहार के जिस बांका संसदीय क्षेत्र से मैं आता हूं, वहां का सुपौल, सहरसा, मधेपुरा या कोई भी इलाका हो, राजीव गांधी विद्युतीकरण की 10वीं और 11वीं योजना के तहत भारत सरकार द्वारा जितनी राशि भेजनी चाहिए उतनी राशि नहीं गई। आज बांका क्षेत्र में लगभग 500 से 700 ट्रांसफर जले हुए हैं। बिजली व्यवस्था सम्पूर्ण रूप से चरमराई हुई है। वहीं विश्व के 110 किलोमीटर के अद्वितीय मेले में लोग सुलतानगंज से बाबा देवघर की नगरी झारखंड तक पांव पैदल जाते हैं। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत ट्रांसफार्मर्स द्वारा बिजली की जो व्यवस्था की गई है, वे ट्रांसफार्मर्स जले हुए हैं। अभी बेलहर में एक हादसा हुआ और कमरिया की मौत भी हुई। बिहार सरकार और भारत सरकार मिलकर उन इलाकों में बिजली की व्यवस्था करे और भागलपुर का बांका जिला, मुंगेर, जमुई, लक्खीसराय का इलाका और जो कोसी का इलाका है, उन इलाकों में बिजली की व्यवस्था सरकार समुचित रूप से करे। बांका, बाराहाट, बौंसी, कटोरिया, बोलीडुमर, सुलतानगंज, अमरपुर, समूगंज, बेलहर, चांदन आदि के लिए हम चाहते हैं कि केन्द्र सरकार राशि आबंटित करे और ट्रांसफार्मर्स की व्यवस्था भारत सरकार राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत यहां से करें, तभी वहां बिजली की व्यवस्था अच्छी हो सकती है। इसीलिए हमने यह आग्रह किया है कि बांका जिला में उक्त व्यवस्था की जाए।

SHRI V. ELUMALAI (ARANI): Madam, I would like to draw the attention of the Government towards the dire need to develop Gingee Town as a tourist centre which is 130 kilometres away from Chennai. The Gingee Town and its surrounding areas were ruled by one king from North, Raja Desing who built a fort and many palaces on the top of the mountain. He ruled the entire place for a certain period. This place is a symbol of secularism. This place, now maintained

by the Archeological Department, is on the National Highway between Puducherry and Krishnagiri.

On the said National Highway, there are two mountains, on which two palaces have been built called Rani Palace and Raja Palace. This place is a symbol for secularism where Hindus, Muslims, Jains and other communities are living peacefully.

A request has been made several times to declare this place as a tourism centre. If it is developed as a tourism centre, it will be like another Mahabalipuram. The infrastructure work has already been done by our hon. Chief Minister of Tamil Nadu 'Puratchi Thalaivi' Amma.

Therefore, I request the hon. Minister for Tourism, through the Chair, to visit the place and declare the Gingee Town as a tourist centre or it may be recommended to the UNESCO to be declared as a world heritage monument.

*SHRI MOHANBHAI KALYANJIBHAI KUNDARIYA (RAJKOT): Thank you, Madam. You have given me the opportunity to speak. I am grateful for that. I would like to bring to your kind notice that Rajkot is not only a city of Gujarat but is an industrial centre of Gujarat. Hon'ble Madam, you must be knowing that there are twelve districts in Saurashtra, mainly Jamnagar, Junagadh, Surendranagar, Amreli, Bhavnagar and other districts. In these districts there are two places of pilgrimage – Dwarka and Somnath. Hon'ble Madam nearly two crore people of Saurashtra have been demanding for many years, a direct flight from Rajkot to Delhi. I request you to pay special attention to meet this requirement. And with this, if a flight from Udaipur of Rajasthan is extended upto Rajkot, then also the problem can be solved. Madam, I request the Ministry of Civil aviation to introduce a direct flight from Rajkot to Delhi. The local people and the business community of Saurashtra are demanding a direct flight between Delhi and Rajkot. I request you to kindly draw the attention of the Ministry of Civil aviation towards this demand of the people of Saurashtra. Thank you.

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : सभापति महोदया, मैं अपने क्षेत्र अमरेली जिले की एक महत्वपूर्ण मांग की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज के आधुनिक युग में नयी-नयी तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे लोग हाईटेक हो रहे हैं, परन्तु अमरेली अभी भी ऐसी तकनीक से दूर है। अमरेली में एफएम रेडियो स्टेशन न होने के कारण किसान एवं जन साधारण अनेक आवश्यक सूचनाओं से वंचित रह जाते हैं। उन्हें आसानी से आवश्यक सूचनाएं नहीं मिल पाती हैं।

महोदया, एफएम रेडियो स्टेशन संचार प्रसारण का सबसे सस्ता और सुलभ साधन है। अमरेली जिले को हमेशा यूपीए सरकार द्वारा सौतेले व्यवहार को सामना करना पड़ता है। यहां न तो बड़ा अस्पताल है, न ही रेलवे की उत्तम व्यवस्था है और न ही केन्द्रीय विद्यालय है। यह शहर अनेक प्रकार की मूलभूत सुविधाओं की मार वर्षों से झेल रहा है। वर्तमान में अमरेली जिले में जो 100 वोल्ट का दूरदर्शन केन्द्र है, उसका अपग्रेडेशन करके उसे 500 वोल्ट का कर दिया गया है, लेकिन दूरदर्शन केन्द्र
बनाने के लिए बड़े भवन की आवश्यकता है।

महोदया, इसी के साथ ही एफएम रेडियो के लिए भी ट्रांसमीटर लगा दिये जायें, तो अमरेली शहर के लोगों को एफएम रेडियो की सुविधा मिल सकती है। राजकोट में एफएम रेडियो स्टेशन है लेकिन

* English translation of the Speech originally delivered in Gujarati.

अमरेली शहर राजकोट से 120 किलोमीटर दूर होने के कारण वहां एफएम रेडियो नहीं पकड़ता, क्योंकि यह 10 किलोमीटर तक ही सीमित रहता है। अमरेली जिले में एफएम की सुविधा मिलनी चाहिए जिससे 10 किलोमीटर के नजदीक सभी गांवों को भी इसकी सुविधा मिल सके।

अंत में, मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट अमरेली को जल्द से जल्द एफएम रेडियो की सुविधा मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान अत्यधिक संवेदनशील मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। नेपाल में अत्यधिक पानी का जमाव होने के मुद्दे ने देश का सबसे अत्यधिक ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें प्रधान मंत्री जी भी चिंतित रहे हैं। हमने सुश्री उमा भारती से भी बातचीत की है। श्रीमती रंजीत रंजन ने भी कई बार सुश्री उमा भारती से बातचीत की है। इसके अलावा खुद उमा भारती जी ने रंजीत रंजन जी से क्षेत्र में पांच बार पूछा कि क्या स्थिति है? उसके बाद प्रधान मंत्री कार्यालय से भी मेरी आज बात हुई, कैबिनेट सचिव से बात हुई। मुख्य मंत्री जी से मेरी बात हुई। मुख्य मंत्री श्री जीतन राम मांझी भी वहां दो बार गये। वे आज भी गये और दो दिन पहले भी गये।

यह काफी गंभीर मामला है। कोसी से लेकर उत्तर बिहार के मिथिला, भागलपुर, बांका, पूर्णिया आदि जो इलाके हैं, ये हमेशा हर साल बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि हर साल मरने से बेहतर है कि हम लोगों को एक बार ही बम से मार दिया जाए या पानी में जहर दे दिया जाए। हर साल मरने से अच्छा है कि एक बार ही हम लोगों को मार दिया जाए। स्थिति बहुत ही हृदयविदारक है। नेपाल और भारत सरकार के बीच इन्हीं बातों के कारण तनाव की स्थिति बनी रहती है। दोनों का समाधान होना आवश्यक है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ही एक प्राधिकार बना था, उस समय बिहार के ही मंत्री थे आदरणीय श्री सी.पी. ठाकुर जी। उन्होंने इस संबंध में एक कार्यालय खोला था और अभी तक रिपोर्ट नहीं आ पायी है। उस समय हाई डैम कैसे बनाया जाए या सब-डैम बनाने की बात हुई थी। लेकिन अभी की जो स्थिति है, वह यह है कि कम से कम 50 लाख लोग बेघर होकर सड़क पर आ गये हैं। उनके लिए वहाँ पर भोजन तथा अन्य किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। किसी भी तरह से अच्छी स्थिति नहीं है। मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद वहाँ आज विस्थापितों को जमीन नहीं मिली, इंदिरा आवास योजना के तहत घर नहीं मिले और वहाँ पर स्थिति ऐसी है कि मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूँगा कि एक मिथिला विकास प्राधिकार या कोसी विकास प्राधिकार बनाकर वहाँ के लिए विशेष पैकेज दिया जाए। कोसी नदी का स्थायी निदान कैसे हो, इस पर विचार किया जाए। बालू को निकालकर नदी को गहरा किया जाए। कोसी, महानन्दा और गंडक नदी से लोगों को कैसे बचाया जाए,…(व्यवधान) इस पर विचार किया जाए और हाई डैम का निर्माण कराया जाए। …(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूँ कि जब श्री नरेन्द्र मोदी जी नेपाल गये तो बहुत उम्मीद थी कि इस मामले में निश्चित रूप से कोई-न-कोई समाधान

होगा। यह एक बहुत ही जटिल मामला है, इसका निश्चित रूप से कोई समाधान होना चाहिए, मैं यही आग्रह करता हूँ।

SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA): Madam, I would like to raise the issue regarding erosion of coast at Uppada village, which is near to my constituency, Kakinada, East Godavari district, Andhra Pradesh.

Kakinada town of East Godavari district is bestowed with seashore. Uppada village is another seashore, which is 22 kilometres away from Kakinada. There is severe erosion at Uppada, which is extending towards Kakinada. If we allow this erosion, it will badly affect the Kakinada town within a short time. In order to protect Uppada village, the Irrigation Department had taken up shore protection work in one kilometre with Geo Tubes, and this model really worked out very well.

There is R&B road continuing along with the shore. Due to sea tides, almost 3.8 kilometres of land is already eroded. R&B of Andhra Pradesh Government had obtained consultancy services from the Ocean Engineering Department of IIT, Chennai for protection of seashore at Uppada. They have suggested taking up shore protection work half length with Tetra Blocks, and for another half length, to go with Geo Tubes covering with Polypropylene Gobean.

Madam Chairperson, I would submit that the Central Water Power Resource Station, Pune is the highest authority in this field. The National Institute of Ocean Technology, Chennai is another competent body. Both these institutions may also be consulted, and permanent remedial action should be taken to protect the seashore of Uppada, which is in my constituency, Kakinada, on war footing.

SHRIMATI K. MARAGATHAM (KANCHEEPURAM): Thank you, Madam Chairperson. This is my first parliamentary speech in my political career, and I would like to thank the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi Amma and my Party leader for this great opportunity.

Chengalpattu junction in my constituency is a major railway station and it is in the Chennai suburban railway network. This junction is an important

junction, which has connecting trains in all the directions. This is also the alighting point for the tourists visiting Mamallapuram, Kancheepuram, Mahendra World City, Kalpakkam Atomic Power Plant and many other places.

Many elderly and age-old people, who are on pilgrimage, visit these places quite frequently. In this junction, the long-distance trains stop only in far-off platforms for technical reasons because the nearer platforms cannot accommodate them. So, the elderly and old people find it very difficult to climb the stairs and to go to those platforms in order to catch trains.

Hence, I would like to request the hon. Railway Minister to consider installing an escalator at the Chengalpattu railway station, as was provided at the Tambaram railway station recently.

श्री भगवंत मान (संगरूर): सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से बहुत गंभीर मुद्दे पर ध्यान खींचना चाहता हूं। वैसे बेरोजगारों पर पूरे देश में पुलिस के अत्याचार की घटनाओं में बहुत वृद्धि हो गयी है, चाहे वे यूपीएससी वाले छात्र हों, बेरोजगार लाइनमैन हों, लेकिन परसों की बात है कि पंजाब के मजीठा में ईटीटी के बेरोजगार नौजवानों और लड़कियों को बेरहमी से पीटा गया। मेल पुलिसमेन ने लड़कियों को बेरहमी से पीटा, एक लड़की की आंख पर 24 स्टिचेज लगी हैं, उसकी आंख खतरे में है। कई बेरोजगारों की टांगें टूट गयी हैं। माननीय मंत्री साहिबा श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी यहां बैठी हैं, वह इनका नेटिव गांव है, इनके घर के सामने यह घटना हुई है। मैं चाहता हूं कि सरकार इसका कोई स्थायी हल करे। वे लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, मर रहे हैं। इसका स्थायी हल होना चाहिए।

SHRI M.I. SHANAVAS (WAYANAD): Madam Chairperson, I am raising a very serious and important matter of urgent importance for the consideration of the Union Government.

Terrorists use a large number of SIM cards. For getting SIM cards, fake identity papers are given. This matter was very seriously considered in 2008 and the Government at that time, passed an order directing all the seven private telecom operators to re-identify all the SIM cards and discard the fake identity cards. The statistics is so alarming that 4.59 crore subscribers are still unknown. In this regard, the Government had already imposed a fine of Rs. 4,000 crore on these seven private companies. But till now, this amount has not been paid by these companies and these fake identifications have not been looked into.

I would, therefore, urge upon the Government to immediately take note of this issue, instruct the telecom companies to immediately ban the services of all unverified subscribers and take steps to recover the penalties imposed on these companies, at the earliest.

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुझे दो मिनट समय दीजिए।

HON. CHAIRPERSON : Mr. Choubey, without. Speaker's permission, how can I allow you? You have to take Speaker's permission. You have not taken Speaker's permission.

SHRI ASHWINI KUMAR CHOUBEY: Please, Madam. It is very serious and urgent.

HON. CHAIRPERSON: All right. Please conclude within a minute.

श्री अश्विनी कुमार चौबे : सभापति महोदया, बिहार में विश्वामित्र की प्राचीन तपोभूमि है, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने गुरू से प्रशिक्षण प्राप्त कर ताड़का का वध किया था। यहीं पर बामन भगवान सोमेश्वर स्थल में स्वयं प्रकट हुए थे। साथ ही जहां अहिल्या का उद्धार भगवान श्री राम के चरणों की धूलि से हुआ था। यह स्थल हजारों वर्षों से सांस्कृतिक एवं धार्मिक शक्ति का केन्द्र रहा है, जहां देश के कोने-कोने से तीर्थयात्री आते हैं। आज बक्सर का यह प्राचीन किला गंगा के भीषण कटाव से कभी भी गंगा की गोद में समा सकता है जिससे सम्पूर्ण शहर सहित सैकड़ों गांव अपने अस्तित्व को समाप्त कर विलुप्त हो जांएगे। अभी तक हजारों हेक्टेअर जमीन एवं दर्जनों गांव गंगा में विलीन हो चुके हैं। अतः केन्द्र सरकार इसमें अविलम्ब हस्तक्षेप कर गंगा के कटाव से बचाव एवं प्राचीन बक्सर किले की सुरक्षा हेतु युद्धस्तर पर कारगर कदम उठाए तथा इसे राष्ट्रीय तीर्थाटन केन्द्र के मानचित्र में प्रतिस्थापित करते हुए अयोध्या तक रामायण सर्किट के रूप में विकसित करने हेतु घोषित करे।

सभापति महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

HON. CHAIRPERSON: The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 6th August, 2014 at 11 a.m.

18.44 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, August 6, 2014/ Shravana 15, 1936 (Saka).